लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ५८, १९६१/१८८३ (शक)

[४ से ८ सितम्बर १९६१/१३ से १७ भाद्र १८८३ (शक)]

2nd Lok Sabha

चौदहवां सत्र, १९६१/१८८३ (शक)

(खण्ड ५८ में अंक २१ से २५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

लोक - सभा वाद - विवाद

दिनांक ५ सितम्बर, १९६१ । १४ भाद्र, १८८३ (शक)

का

शुद्धि - पत्र

पृष्ठ संख्या ३४८४ पर :

१६ वीं पंक्ति के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :

(ख) यदि हां, तो इन वस्तुओं के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने का अनुमान है ?

विषय-सूची

पृष्ठ

अंक २१--सोमवार, ४ सितम्बर, १९६१/१३ भाद्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११५९ से ११६४, ११६६ से ११७१ और ११७४ ३२७१--९६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ ३२९६--९८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११५८, ११६५, ११७२, ११७३, ११७५ से १२०९ ३२९८--३३१५

अतारांकित प्रश्न संख्या ३१५० से ३२९३, ३२९५ से ३३०२, ३३०४ से ३३३३ और ३३३५ से ३३४३ ३३१५--९६

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३३९६

वित्तीय समितियां (१९६०-६१)- एक समीक्षा--

सभा-पटल पर रखी गयी ३३९७

राज्य सभा से सन्देश ३३९७

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ३३९७

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति--

कार्यवाही सारांश और बारहवां प्रतिवेदन ३३९७-९८

सभा का कार्य ३३९८

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक ३३९८--३४१७

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव ३३९८--३४०२

खंड ३ से २९ और १ ३४०२--०५

पारित करने का प्रस्ताव ३४०५--१७

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक--

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव ३४१७--२१

अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक सम्मेलनों के बारे में आधे घंटे की चर्चा ३४२१--२३

दैनिक संक्षेपिका ३४२४--३४

अंक २२--मंगलवार, ५ सितम्बर, १९६१/१४ भाद्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२१० से १२१४, १२१६, १२१७, १२२० से १२२३, १२२५ से १२३१ ३४३५--६१

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२१५, १२१८, १२१९, १२२४, १२३२ से १२४० ३४६१—६७

अतारांकित प्रश्न संख्या ३३४४ से ३४६३ . ३४६७—३५१८

स्थगन प्रस्ताव . . ३५१८—२०

(१) मोसावाडी में तांबों की खानों का बन्द किया जाना ३५१८–१९

(२) तीस्ता नदी पर रस्सी के पुल का टूटना ३५१९–२०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ३५२०–२१

पुनर्वास प्रतिकर दावों के आवेदन पत्रों का अस्वीकार किया जाना ३५२०–२१

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३५२१–२२

राज्य सभा से सन्देश . . . ३५२२, ५६–५७

अनुपस्थिति की अनुमति . ३५२२

धार्मिक न्यास विधेयक—

संयुक्त समिति में सदस्यों की नियुक्ति ३५२३

सभा का कार्य ३५२४

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ३५२४—३७

खंड २ से २६, २०क और १ ३५३४—३६

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३५३६–३७

गन्ना उपकर (वैधकरण) विधेयक ३५३७—५३

विचार करने का प्रस्ताव ३५३७—५१

खंड २ से ५ और १ . ३५५३

पारित करने का प्रस्ताव . ३५५३

दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक . ३५५३—५६

विचार करने का प्रस्ताव ३५५३—५६

आयकर विधेयक, १९६१ . . . ३५५७

राज्य सभा से संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में सभा पटल पर रखा गया

लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा के बारे में आधे घंटे की चर्चा ३५५७—६२

दैनिक संक्षेपिका ३५६३—७०

पृष्ठ

अंक २३—बुधवार, ६ सितम्बर, १९६१/१५ भाद्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२४३, १२४५, १२४६, १२४७, १२४९, १२५० से १२५५, १२५७, १२५८ और १२६१ . . . ३५७१–९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२४१,१२४२, १२४४, १२४८, १२५६, १२५९, १२६० और १२६२ से १२७० ३५९५–३६००

अतारांकित प्रश्न संख्या ३४६४ से ३५९४, ३५९६, ३५९७, ३५९९ से ३६१८, ३६१९क, ३६१९ख, ३६१९ग, ३६१९घ और ३६१९ङ ३६०१–६८

अतारांकित प्रश्न संख्य . . . . उत्तर में शुद्धि ३६६८

स्थगन प्रस्ताव—

नजफगढ़ झील से पानी का बह निकलना ३६६९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

कलकत्ते के हवाई अड्डे पर डकोटा विमान की दुर्घटना ३६६९–७०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३६७०

राज्य सभा से सन्देश ३६७१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और सदस्यों सम्बन्धी समिति—

नवास्सीवां प्रतिवेदन . ३६७१

लाभ पदों संबंधी संयुक्त समिति—

चौथा प्रतिवेदन ३६७१

सदस्य का त्याग पत्र . ३६७१

दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . ३६७१–९२

खंड २ से २३ और १ ३६९२–९७

पारित करने का प्रस्ताव ३६९२–९७

खनिज रियायत निगम के बारे में प्रस्ताव ३६९८–३७०७

भारत में पाकिस्तानी राष्ट्रजनों के बारे में आधे घंटे की चर्चा ३७०७–१३

दैनिक संक्षेपिका . . ३७१४–२२

पृष्ठ

अंक २४ गुरुवार, ७ सितम्बर, १९६१/१६ भाद्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२७१ से १२७६, १२७८ से १२८०, १२८२, १२८४ ३७२३–४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२७७, १२८१, १२८३, १२८५ से १३१८ ३७४७–६३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६२० से ३७७६, और ३७७६क ३७६३–३८३२

नागा पहाड़ियों की स्थिति के बारे में अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ३८३२

गैर सरकारी क्षेत्र में इस्पात के कारखानों को कोयले और चूने के पत्थर के नियमित रूप से संभरण न होने के कारण कठिनाइयां ३८३२

कोयले की स्थिति के बारे में वक्तव्य ३८३३

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३८३३

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ३८३४

कार्यवाही का सारांश ३८३४

याचिका सम्बन्धी समिति—

(१) कार्यवाही सारांश ३३३४

(२) तेरहवां प्रतिवेदन ३८३४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति कार्यवाही सारांश ३८३४

प्राक्कलन समिति—

(१) कार्यवाही सारांश ३८३४

(२) एक सौ बयालीसवां प्रतिवेदन ३८३४

जमा धन बीमा निगम विधेयक ३८३५–५७

विचार करने का प्रस्ताव ३८३५–५५

खंड २ से ६ ३८५५–५७

कोयले के उत्पादन और संभरण के बारे में प्रस्ताव ३८५७–७६

बोनस आयोग के बारे में आधे घंटे की चर्चा ३८७६–८०

दैनिक संक्षेपिका ३८८१–९०

पृष्ठ

अंक २५—शुक्रवार, ८ सितम्बर, १९६१/१७ भाद्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३१९ से १३२८, १३३० से १३३६, १३४२-अ और १३३७ . . . ३८९१—३९१९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ से ९ ३९१९—३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३२९ और १३३८ से १३४५ ३९३४—३८

अतारांकित प्रश्न संख्या ३७७७ से ३८४४ और ३८४६ से ३८७४ . ३९३८—८५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . . ३९८५—९५

(१) कुछ खानों में दुर्घटनायें

(२) आई० सी० एस० अधिकारियों की उपलब्धियों में कथित कटौती

(३) फर्रुखाबाद में रेल गाड़ी को रोका जाना

(४) उड़ीसा के लिये तृतीय पंच वर्षीय योजना में किये गये आवंटन का पुनरीक्षण

(५) कुछ संघ राज्यों में नई राजनैतिक व्यवस्था

(६) हथकरघे कपड़े के लिये गोदी निरीक्षण प्रमाणपत्र

(७) लोहे की कतरन का निर्यात

(८) अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिये मैट्रिक के बाद की छात्र-वृत्तियों का दिया जाना

(९) विज्ञान संवर्धन संस्था कलकत्ता के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की धमकी

(१०) राष्ट्रीय न्यायाधिकरण (बैंक विवाद) द्वारा पंचाट देने में विलम्ब

(११) दिल्ली विश्वविद्यालय के एक अनुसंधान विद्यार्थी द्वारा कथित आत्महत्या

(१२) नौकरी से हटाये गये कुछ कर्मचारियों को फिर से बहाल न किया जाना और कर्मचारियों के संघों तथा फैडरेशनों को पुनः मान्यता देने में विलम्ब

(१३) उड़ीसा में बाढ़

(१४) कुछ सरकारी शिक्षा संस्थाओं का राष्ट्रीय शिक्षा प्रतिष्ठान में विलयन

	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	३९९५—९८
सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति . . कार्यवाही-सारांश	३९९८
राज्य सभा से संदेश . .	३९९८
लोक लेखा समिति . .	३९९९
अड़तीसवां प्रतिवेदन	
तीस्ता नदी के पुल के टूटने के बारे में वक्तव्य	३९९९
सदस्य द्वारा वक्तव्य . .	३९९९
आयकर विधेयक . .	३९९९—४००३
राज्य सभा द्वारा किए गये संशोधन	
जमा धन बीमा निगम विधेयक	४००३—०५
खंड ६ से ५१ और १	४००३—०४
पारित करने का प्रस्ताव	३००४—०५
यूरोपीय साझा बाजार के बारे में प्रस्ताव	४००६—१६
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति नवासीवां प्रतिवेदन	४०१६
अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के बारे में संकल्प . . .	४०१६—३४
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस तथा रासबिहारी बसु की अस्थियों के बारे में संकल्प . . .	४०३५–३६
दैनिक संक्षेपिका . . .	४०३७–४६
चौदहवें सत्र की कार्यवाही का संक्षेप .	४०४७–४९

लोक-सभा

मंगलवार, ५ सितम्बर, १९६१

१४ भाद्र, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

जहाजों के डीजल इंजन

†*१२१०. श्री चुनी लाल :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री कोडियान :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री पुन्नूस :
श्री विभूति मिश्र :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री २३ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या २७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जहाजों के डीजल इंजन तैयार करने के लिये एक कारखाना खोलने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : दो विदेशी साथों ने जिन्होंने पहले इसके बारे में अपनी इच्छा दिखाई थी, सहयोग की ब्यौरेवार शर्तें दे दी हैं। उनकी जांच की जा रही है।

†**श्री चुनी लाल** : अन्तिम निर्णय कब तक कर लिया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं समझता हूं कि इसमें तीन महीने से अधिक नहीं लगेंगे। संयंत्र तथा मशीनों के आयात के लिये विदेशी मुद्रा की ऋण शर्तों की प्रतीक्षा की जा रही है। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि इसके तीसरी योजना में शामिल किये जाने की सम्भावना है।

†मूल अंग्रेजी में

1217 (Ai) LSD--1

†**श्री कोडियान :** क्या इस कारखाने की स्थापना के स्थान के बारे में कोई निर्णय ले लिया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह विशाखपटनम् के हिन्दुस्तान शिपयार्ड से सम्बन्धित था ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** माननीय मन्त्री द्वारा बताई गई दो साथों के अतिरिक्त क्या प्रतीरक्षा मन्त्रालय द्वारा कारखाना स्थापित करने का भी कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह शिप बिल्डिंग यार्ड के लिये है । इनमें से एक जर्मन तथा दूसरी डेनिश फर्म है । हम उनसे बातचीत कर रहे हैं ।

पिछड़े क्षेत्र

\+

†१२११. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **योजना** मंत्री २४ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १०८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के पिछड़े क्षेत्र निर्धारित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार ऐसे क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उनकी उन्नति के लिये क्या विशेष कार्यवाही की गयी है या की जाने वाली है; और

(घ) जिस तरह पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों के लिये मंत्रणा समितियां बनाई गयी हैं, उसी तरह इन क्षेत्रों के लिये भी मन्त्रणा समितियां बनाने का प्रस्ताव किस दशा में है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) और (ख). विभिन्न राज्यों में अल्प विकसित क्षत्रों की जानकारी है परन्तु तीसरी योजना सम्बन्धी प्रतिवेदन के पूरा हो जाने के बाद राज्य सरकारों के सहयोग से अग्रेतर अध्ययन किया जायगा ।

(ग) तीसरी योजना के प्रतिवेदन के अध्याय ९ में ये दिखाये गये हैं ।

(घ) पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के लिये सलाहकार समितियां बनाने का विचार था ।

†**श्री चुनी लाल :** पिछड़ेपन के मुख्य आधार क्या हैं ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** माननीय सदस्य योजना का अध्याय ९ देखें । उस अध्याय में इन सभी प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा हुई है । हम इस प्रश्न का कई बार उत्तर दे चुके हैं ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** सरकार पिछड़े राज्यों को पिछड़ा क्षेत्र मान लेती है अथवा राज्य के पिछड़े भाग को ही पिछड़ा क्षेत्र मानती है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा) :** यह प्रश्न एक राज्य के पिछड़े क्षेत्र के बारे में है । परन्तु जो राज्य अन्य राज्यों की तुलना में अल्प-विकसित होते हैं उन पर दूसरे प्रकार से विचार किया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री महंती** : पहले पंचवर्षीय योजना से ही हम क्षेत्रीय असमानता के बारे में सुनते आ रहे हैं तथा यह भी सुनते आ रहे हैं कि इन असमानताओं की देशनाएं (इंडेक्स) बनाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने यह देशनाएं तैयार कर ली हैं ?

†**श्री नन्दा** : जी हां। देशनाएं बना ली गई हैं तथा आधार निश्चित कर लिये गये हैं। परन्तु विकास होने में तो समय लगगा। जो जानकारी हमें मिलती है उसका हम उपयोग करते हैं।

†**श्री महंती** : क्योंकि यह जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण है और इसका योजना पर असर पड़ता है इसलिये क्या हम आपके द्वारा सरकार से इस जानकारी को सभा पटल पर रखने के लिये कह सकते हैं--यह जानकारी तीसरी पंचबर्षीय योजना में भी नहीं दी गई है ?

†**श्री नन्दा** : इस जानकारी के आधार पर जब कुछ सांख्यकी प्रगित होगी तो हम निश्चित रूप से यह जानकारी सभा को देंगे ।

†**श्री संपत** : क्या सरकार ने राज्यवार प्रतिव्यक्ति आय का निर्धारण किया है ?

†**श्री नन्दा** : जी हां। वह कार्य अब किया जा रहा है।

†**श्री त्यागी** : क्या सामान्यतः पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों में खनिज साधनों की खोज की कोई योजना है ?

†**श्री नन्दा** : पर्वतीय क्षेत्रों का विकास इसी आधार पर तो होने की आशा है। मेरी जानकारी के अनुसार इस सम्बन्ध में भी कुछ किया जा रहा है।

†**श्री वाजपेयी** : माननीय उपमन्त्री ने बताया कि पिछड़े क्षेत्रों की जानकारी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इन क्षेत्रों की सूची बनाई है ?

†**श्री नन्दा** : पिछड़े क्षेत्रों की सभी को जानकारी है। परन्तु केवल इतना ही तो पर्याप्त नहीं है। इसीलिये हम पिछले डढ़ वर्ष से इन क्षेत्रों की यथार्थ स्थिति निर्धारित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमें सात राज्यों से उत्तर मिल चुके हैं जिनमें उन्होंने अपनी अपनी राय बताई है। इसके बाद हम अपने तरीके से इसकी जांच करेंगे जिससे इन क्षत्रों के सम्बन्ध में वास्तविक जानकारी हमें मिले।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि राज्यों द्वारा दी गई जानकारी क्या माननीय सदस्यों को दे दी जायगी ।

†**श्री नन्दा** : यह केवल जानकारी इकट्ठा करने का प्रश्न नहीं है। केवल जानकारी इकट्ठा करने से हमारी तुष्टि नहीं हो जाती है। योजना आयोग में हम एक इकाई बनाने जा रहे हैं जो क्रियान्विति करेगी, अध्ययन करेगी तथा प्रतिवेदन देगी। इसके अतिरिक्त कुछ दल भेजे जायेंगे जो इसकी जांच करेंगे कि काम ठीक प्रकार से हो रहा है अथवा नहीं।

†**श्री हेम बरुआ** : पहले एक बार यह बताया गया था कि राज्य सरकारें अपने राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों को निश्चित करेगी। मैं जानना चाहता हूं कि किन राज्यों ने अपने राज्यों मे पिछड़े क्षेत्रों का निश्चय कर दिया है तथा ऐसा उन्होंने किन परीक्षणों के आधार पर किया है।

†**श्री नन्दा** : मैं बता चुका हूं कि सात राज्य, पंजाब, मैसूर, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर और गुजरात ने ब्यौरे बता दिये हैं। अन्य राज्यों से जानकारी आ रही है।

---

†मुल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ :** उन्होंने किस प्रकार की जांच करने का निर्णय किया है ?

†**श्री नन्दा :** ऐसा निर्धारित परीक्षणों के ही आधार पर होता है ।

†**श्री साधन गुप्त :** क्या पिछड़े क्षेत्र बताने वाले ७ राज्यों ने अपने राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों की पूरी सूची दी है ?

†**श्री नन्दा :** कुछ राज्यों ने लगभग पूरी सूची दे दी है परन्तु कुछ राज्यों के बारे में हमें और जानकारी मांगनी है ।

†**श्री बसुमतारी :** माननीय मंत्री ने बताया कि प्रादेशिक असमानता दूर करने तथा पिछड़ेपन की जानकारी इकट्ठा करने के बारे में योजना बनाई जा रही है । क्या पिछड़ी जातियों, विशेषतया आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति के विकास के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में विशेष योजना बनाई गई है ?

†**श्री नन्दा :** एक क्षेत्र के पिछड़े पन का पता लगाने के लिए यह भी एक विशेष बात है ।

पटसन उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड

+

†*१२१२. { **श्री पांगरकर :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री चुनी लाल :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २४ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ११०१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पटसन उद्योग के मजूरी बोर्ड की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री पांगरकर :** क्या मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार जूट मिलों के कर्मचारियों को अब तक कोई अन्तरिम सहायता दी गई है, यदि हां, तो किस सीमा तक ?

†**श्री आबिद अली :** जी हां । बोर्ड द्वारा अन्तरिम सहायता की सिफारिश की गई थी । ८८ मिलों में से ८३ ने सिफारिशों को लागू कर दिया है । ३ ने मुकदमा दायर कर दिया है; एक ने बोर्ड को अपनी कठिनाइयां बताई हैं । परन्तु बोर्ड ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया ।

†**श्री तंगामणि :** क्या गवाहियां हो चुकी हैं और क्या यह सच नहीं है कि सुनवाई आरम्भ होने में इसलिए देर हुई है कि मालिकों ने प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए दो बार स्थगन की मांग की ? सुनवाई कब तक आरम्भ हो जायेगी ?

†**श्री आबिद अली :** यह एक त्रिदलीय बोर्ड है जिसमें कर्मचारियों तथा मालिकों के प्रतिनिधि होते हैं और न्यायपालिका का एक वरिष्ठ अधिकारी सभापति होता है । यह कर्मचारियों के

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिनिधियों पर निर्भर करता है कि वह इन मामलों को शीघ्र निबटाने के लिए बल दें। माननीय सदस्य अपने निकट बैठे हुए मित्र से ब्यौरेवार जानकारी ले सकते हैं क्योंकि वह बोर्ड के एक सदस्य हैं। हम इन मामलों के लिए बोर्ड पर दबाव नहीं डालते हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि कानपुर की दोनों जूट मिलों ने अन्तरिम सहायता न देने के लिए दावे दायर किये हैं ? यदि हां, तो सरकार इन मालिकों को बाध्य क्यों नहीं करती जिससे यह मुकदमे वापस कर ले और इन सिफारिशों को लागू कर दे ?

†**श्री आबिद अली** : यह सच है कि इन दोनों मिलों ने मुकदमे दायर कर दिये हैं। हमने उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा है कि वह इन दोनों मिलों को मुकदमे वापस लेने तथा सिफारिशों को लागू करने के लिए राजी करें।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ? क्या उत्तर प्रदेश सरकार से इस बारे में कोई पत्र मिला है ?

†**श्री आबिद अली** : पहले उनका एक पत्र मिला था कि वह मिलों को राजी नहीं कर सके हैं। हमने उन्हें दोबारा लिखा है। अभी तक उसका उत्तर नहीं मिला है।

मशीनों का निर्माण

†*१२१३. **श्री कोडियान** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'मशीनें बनाओ--भारत को बनाओ' का नारा कार्यान्वित करने के लिये सरकार ने क्या ठोस कार्यवाही की है;

(ख) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में मशीनें तैयार करने के लक्ष्य के ब्यौरेवार अनुमान निर्धारित किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनके ब्यौरे क्या हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) मशीन निर्माण उद्योग के लिए विकास परिषद् स्थापित कर ली गई है।

(ख) मशीन बनाने का ब्यौरेवार कार्यक्रम स्वीकार कर लिया गया है और पुस्तकालय में रखी गई पुस्तिका में विभिन्न प्रकार की मशीनों के निर्माण के लिए ११०० इंजीनियरिंग फर्मों में से कुछ में काम हो रहा है अथवा कुछ स्थापित हो रही हैं।

(ग) ५०० करोड़ रुपये की मशीनें प्रति वर्ष १९६५ से बनाने का उत्पादन कार्यक्रम बन रहा है।

†**श्री कोडियान** : विवरण से मालूम होता है कि ११०० इंजीनियरिंग फर्में या तो चालू हैं अथवा शीघ्र ही स्थापित होने वाली हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कितनी फर्में इस समय चालू हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : लगभग ९००।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कोडियान** : औद्योगिक मशीनों के उत्पादन लक्ष्य तीसरी योजना के अन्त तक ५०० करोड़ रुपये निश्चित किये गये हैं। इसका अर्थ हुआ कि उत्पादन में लगभग चौगुनी वृद्धि हो जायेगी। मैं जानना चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र परियोजनाओं में कितनी वृद्धि होगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : संसद् सदस्यों में परिचालित पुस्तिका में हम ने ये सभी आंकड़े बता दिये हैं और इनका विभाजन कर दिया है। गैर-सरकारी तथा सरकारी दोनों प्रकार के कारखानों के बारे में बताया गया है। क्योंकि उत्पादन क्षमता इतनी अन्योन्याश्रित है कि इनको अलग अलग करना बड़ा कठिन होगा।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : इस कार्यक्रम में मशीनों को बनाने वाली मशीनें कितनी बनाई जायेंगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह केवल मशीनों के बारे में है। मशीनों को बनाने वाली मशीनें मशीनी औजार कहलाती हैं। वह भी ४५ करोड़ रुपये की हैं।

†**श्री दामानी** : तीसरी योजना में कपड़ा उद्योग के संयंत्र तथा मशीनों के प्राक्कलन बढ़ जाने के कारण इसकी मशीनें देश में बनाई जायेंगी अथवा इनकी कमी ही रखी जायेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : कमी की कोई गुंजायश नहीं है। परन्तु देश की मांग इतनी बढ़ती जा रही है कि लक्ष्य की पूर्ति हो जाने पर भी देश में कमी रहेगी।

†**श्री कोडियान** : मशीनों के कितने प्रतिशत देसी पुर्जे यहां बनाये जा रहे हैं ?

†**श्री मनूभाई शाह** : कुछ ८० प्रतिशत तथा कुछ ९५ प्रतिशत। आयात किये गये पुर्जे २० से २५ प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

†**श्री शिवनंजप्पा** : क्या मशीन बनाने की इकाई की लोहा तथा इस्पात की आवश्यकता देश से ही पूरी की जायेगी

†**श्री मनुभाई शाह** : आवश्यकता से भी अधिक। जहां तक मशीन का सम्बन्ध है टनभार अधिक नहीं है अपितु मूल्य अधिक है।

†**श्री कोडियान** : स्थापित की गई विकास परिषदों के अतिरिक्त मुझे मालूम हुआ है कि कुछ समितियां उद्योगों के विशेष वर्ग पर ध्यान देने के लिए नियुक्त की गई थीं। क्या यह समितियां काम करती रहेंगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह स्थायी समितियां हैं। वे विकास परिषद् के रूप में काम करेंगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारी मशीनी औजार कारखाना, रांची

+

†*१२१४. श्री सुबोध हंसदा :
श्री नेक राम नेगी :
श्री सं० चं० सामन्त :
श्री मुरारका :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री कालिका सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेकोस्लोवाकिया की सहायता से रांची में भारी मशीनी औजार कारखाने का निर्माण-कार्य शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो आज तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) यह कब पूरा हो जायगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

३१ मई, १९६१ को हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची तथा मैसर्स टैक्नो एक्सपोर्ट चैकोस्लोवाकिया के बीच परियोजना के ब्यौरेवार प्रतिवेदन बनाने के बारे में समझौता हुआ है जो इस योजना की क्रियान्विति के लिए पहला क़दम है । चैक विशेषज्ञों के परामर्श से परियोजना के ब्यौरेवार प्रतिवेदन बनाने के लिए आरम्भिक आंकड़े इकट्ठा किये गये हैं और मैसर्स टैक्नो एक्सपोर्ट को दे दिये गये हैं । संयंत्र के स्थापना स्थान के लिए भूमि का अर्जन करने के लिए राज्य सरकार के परामर्श से कार्यवाही की जा रही है । सलाहकारों द्वारा बताई गई बातों से मालम होता है कि संयंत्र का परीक्षण उत्पादन १९६५ के आरम्भ में शुरू हो जायेगा तथा नियमित उत्पादन १९६५ के मध्य तक शुरू हो जायेगा ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : विवरण से मालूम होता है कि भूमि के अर्जन के लिए राज्य सरकार कार्यवाही कर रही है। क्या यह सच नहीं है कि राज्य सरकार ने ६० एकड़ भूमि का अर्जन कर लिया है? यदि हां, तो उस स्थान से कितने व्यक्तियों को हटाया गया तथा क्या उनको इसके लिए कोई प्रतिकर दिया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : बहुत थोड़े व्यक्तियों को हटाया गया है। यह देश की एक विशाल परियोजना है। मैं समझता हूं कि लोगों को हटाने की बड़ी समस्या नहीं है। भूमि पर से जिनको हटाया गया है उनको सभी को हम बसा रहे हैं ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : विवरण में बताया गया है कि उनको चैक विशेषज्ञों का परियोजना प्रतिवेदन शीघ्र मिल जायेगा । क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का परामर्श भी लिया गया था कि वह परियोजना प्रतिवेदन दे सकते हैं और क्या उनके इन्कार कर देने पर ही सरकार ने चैक विशेषज्ञों की सहायता ली थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : यह भिन्न प्रकार की मशीन है। यह ८०० से १००० टन भारी है। हैवी मशीन टूल्स उस वर्ग में नहीं आती है। उनको भारी मशीनों की टैक्नीकल जानकारी नहीं है।

†**श्री मुरारका** : इस कारखाने में उत्पादन कब आरंभ होगा तथा क्या यह कार्यक्रम के अनुसार होगा अथवा कार्यक्रम से पीछे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह कार्यक्रम के अनुसार होगा। तथ्य यह है कि तीसरी योजना में कुछ अतिरिक्त संयंत्रों को शामिल कर लिया गया है और उत्पादन १९६४ से आरंभ होगा।

†**श्री मुरारका** : इस कारखाने में किस प्रकार की मशीनों का निर्माण होगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : गीयर हाबर्स, रेडियल ड्रिल्स खराद, मिलिंग मशीन, जिग बोटर्स तथा अन्य मशीनें।

†**श्री बसुमतारी** : माननीय मंत्री ने बताया कि इस कारखाने की स्थापना के कारण बहुत से व्यक्ति बेघरबार के हो गये। सरकार ने इन बेघरबार हुए आदिम जाति के लोगों को बसाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : ५ प्रतिशत से भी कम लोगों की जमीनें लीं गईं हैं। मशीन बनाने के कारखानों में १०००० से १५००० लोग नौकर हो सकेंगे। हमारा यह प्रयत्न है कि जिन आदिवासी तथा अन्य लोगों की जमीनें ली जायें उनको सबसे पहले बसाया जाये। उनमें से अधिकांश कारखाने में काम करेंगे।

†**श्री तंगामणि** : विवरण में बताया गया है कि १९६५ में परीक्षण उत्पादन आरंभ हो जायेगा तथा १९६६ के मध्य तक नियमित उत्पादन होने लगेगा परन्तु अभी माननीय मंत्री ने बताया कि उन्हें १९६४ में उत्पादन आरंभ हो जाने की आशा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उत्पादन शीघ्र आरंभ हो जायेंगे।

†**श्री मनुभाई शाह** : मैंने पूरा पूरा उत्पादन होने की तिथि बताई थी। सच यह है कि १९६३ में भी कुछ पुर्जे बनने शुरू हो जायेंगे। १९६५ तक पूरा कारखाना बन जायेगा।

केन्द्रीय रेशमकीट पालन संस्था, बरहामपुर

†*१२१६ { **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय रेशम कीट पालन संस्था, बरहामपुर का विस्तार कार्यक्रम, जैसा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित किया गया था, लक्ष्य से बहुत कम पूरा हुआ है ;

(ख) क्या प्रस्तावित भवन का निर्माण अभी तक पूरी नहीं हुआ है ;

(ग) क्या सामान और अन्य उपकरण अभी तक नहीं पहुंचे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**:(क) से(घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

केन्द्रीय रेशम कीट पालन अनुसंधान संस्था, बरहामपुर की विस्तार योजना को मई, १९६० में २२ लाख रुपये के अनुमानित व्यय पर स्वीकार किया गया है । तब से योजना की क्रियान्विति के लिए निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :--

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य के ब्यौरेवार अन्तिम प्रावकलन बना लिए गए हैं ।

(ख) टेंडर मंगाये गये हैं तथा केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग ने अब बरहामपुर में एक सहायक इंजीनियर नियुक्त कर दिया है जो शीघ्र आरंभ होने वाले निर्माण कार्य का अधिक्षण करेगा ।

(ग) कालिम्पोंग में भूमि का अर्जन कर लिया गया है ।

(घ) संभरण तथा निबटारा महानिदेशक को आर्डर दे दिए गए हैं कि सामान तथा यंत्रों का समाहार करे । परन्तु यह चीजें भवननिर्माण की प्रगति से संबंधित हैं । क्योंकि भवन निर्माण नहीं हुआ तो यह सामान और यंत्र बेकार पड़े रहेंगे ।

(ङ) आवश्यक कर्मचारी भर्ती कर लिए गए हैं ।

'विस्तार योजना' के दूसरी योजनावधि में पूरे हो जाने की आशा नहीं है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : केन्द्रीय रेशमकीट पालन अनुसंधान संस्था के द्वितीय पंचवर्षीय योजना लक्ष्य योजना को अन्तिम वर्ष तक क्यों नहीं बनाये जा सके ?

†**श्री मनुभाई शाह** : बनाये गये हैं । प्रगति भी हुई है । इसको दूसरी योजना में पूरा करने की अनुसूची नहीं बनाई गई थी । यह आगामी १८ महीनों में पूरी होगी ।

†**श्रीमती रेंणु जक्रवर्ती** : पूरा होने का प्रश्न नहीं है । विवरण में बताया गया है कि प्रावकलन बनाये गये हैं, टेंडर मंगाये गये हैं, कालिम्पोंग में जमीन का अर्जन कर लिया गया है । योजना के आरंभ से ही इस काम को आरंभ करने में क्या कठिनाई थी ? कब यह पूरी हो जायेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : पंच वर्षीय योजना में आरंभ की जाने वाली सभी योजनायें योजना के पहले वर्ष से आरंभ नहीं होती है । इसको दूसरी योजना के चौथे वर्ष से आरंभ करना था । सभी आरंभिक कार्य कर लिए गए हैं । जमीन का अर्जन कर लिया गया है टेंडर मंगा लिए गए हैं । मैं बता चुका हूं कि १८ महीनों में परियोजना पूरी हो जायेगी ।

†**श्री साधन गुप्त** : सामान तथा अन्य यंत्र भी क्या इन १८ महीनों में मंगा लिए जायेंगे अथवा इनके मंगाने में कुछ विलम्ब होगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : विवरण में भाग (घ) में यही बताया गया है । संभरण तथा निबटारा महा निदेशालय को आर्डर दे दिए गए हैं और आयात लाइसेंस जारी कर दिए गए है ?

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : विवरण में बताया गया है कि कालिम्पोंग में जमीन का अर्जन कर लिया गया है । मुझे मालूम हुआ है कि बरहामपुर में जमीन का अर्जन नही किया गया है । इसके बारे में वास्तविक स्थिति क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : यह एक अलग प्रश्न है। इस पर विचार किया जा रहा है।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या जमीन का अर्जन कर लिया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह**: जी नहीं। अर्जन किया जायगा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : कालिम्पोंग में एक छोटा उप-केन्द्र बनाया जा रहा है और केन्द्रीय रेशमकीट पालन अनुसंधान शाला बरहामपुर में होगी। मैं जानना चाहती हूं कि मई, १९६० में स्वीकृत २२ लाख रुपये में से बरहामपुर में काम आरंभ करने के लिये कितना धन है ?

†**श्री मनुभाई शाह**: मैंने अभी बताया कि वास्तविक व्यय का ज्ञान तभी हो सकता है जब निर्माण कार्य समाप्त हो जाये। यह धन अनुसंधान शाला के दोनों भागों के लिये है।

†**श्री रंगा** : मैं आपका ध्यान एक छोटी सी गलती की ओर दिलाना चाहता हूं। हमें पहले बताया गया था कि भूमि का अर्जन कर लिया गया है। परन्तु बाद में अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने पर कि क्या यह अर्जन मुख्य स्थान पर हुआ है माननीय मंत्री ने बताया नहीं। हमें इस प्रकार का उत्तर पहले नहीं दिया जाना चाहिये था।

†**श्री मनुभाई शाह** : यदि माननीय सदस्य उत्तर को देखें तो उन्हें मालूम होगा कि जहां भूमि का अर्जन किया गया है उस स्थान का नाम भी वहां पर है। माननीय सदस्य जानना चाहती थीं कि अन्य स्थान की भूमि के बारे में क्या क़दम उठाये हैं। यह भूमि गैर सरकारी मालिकों की है और उनसे भूमि लेने के पहले बहुत बातचीत करनी पड़ती है। इसीलिये इसमें समय लगता है।

†**श्री रंगा** : पहले ही ऐसा क्यों नहीं बताया था।

†**श्री मनुभाई शाह** : जहां पर भूमि का अर्जन हुआ है वह स्थान उत्तर में बताया गया है।

†**श्री शिवलिंगप्पा** : मैसूर राज्य के चेलापरम में केन्द्रीय रेशमकीट पालन अनुसंधान संस्था का काम कितने ही वर्ष पहले आरंभ किया गया था परन्तु अभी भी पूरा नहीं हुआ है।

†**श्री मनुभाई शाह**: अब इसको सामुदायिक परियोजना को दे देने का विचार है और हम मैसूर और बंगलौर के निकट अलग संस्था बनाने का विचार कर रहे हैं। स्थान का चुनाव कर लिया गया है।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या बरहामपुर के भूमि अर्जन के आरंभिक कार्य कर लिये गये हैं।

†**श्री मनुभाई शाह** : जी हां।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : केन्द्रीय संस्था, बरहामपुर में कब काम आरंभ होने जा रहा है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : प्रश्न छोटे से केन्द्रीय के बारे में है। सभी ब्यौरे बता दिए गए हैं। प्रत्येक मिनट की प्रगति की जानकारी हमें नहीं होती है। अनुसंधानशाला के लिये अपेक्षित धनराशि स्वीकार कर ली गई है। १८ महीनों में केन्द्र तथा उप-केन्द्र तैयार हो जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : यह तो एक बड़ा केन्द्र है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं आशा करता हूं कि धीरे धीरे यह बड़ा केन्द्र बन जायेगा ।

भारतीय आप्रवासियों के आगमन के बारे में ब्रिटेन की जांच

†*१२१७. **श्री आसर** :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री हेम बरुआ :
श्री रघुनाथ सिंह :
डा० राम सुभग सिंह :
महाराज कुमार विजय आनन्द :
श्री प्र० गं० देव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन में भारतीय आप्रवासियों की संख्या काफी बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके आप्रवास के बारे में कोई जांच की है ;

(ग) जनवरी, १९६१ से जून, १९६१ तक भारतीयों को ब्रिटेन जाने के लिये कितने पासपोर्ट जारी किये गये ; और

(घ) गत वर्ष इसी अवधि की तुलना में इस वर्ष जारी किये गय पासपोर्टों में कितनी वृद्धि हुई ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) सरकार ब्रिटेन या अन्य किसी देश को जाने वाले उत्प्रवासियों के आंकड़े नहीं रखती । अतः हम यह निश्चित रूप से नहीं बता सकते कि ब्रिटेन जाने वाले उत्प्रवासियों की संख्या बढ़ रही है या कम हो रही है ।

(ख) प्रायः सरकार भारतीय नागरिकों के अबाध आवागमन में हस्तक्षेप नहीं करती, अतः जांच करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जनवरी–जुलाई, १९६१ में ब्रिटेन के लिये १२,२७७ पार-पत्र तथा प्रष्ठाकंन स्वीकार किये गये ।

(घ) १९६० की अपेक्षा १९६१ में तत्स्थानी काल में पारपत्रों तथा प्रष्ठाकनों की संख्या २,११० बढ़ गई थी ।

†**श्री वाजपेयी** : क्या यह सच है कि ब्रिटेन सरकार भारतीय उत्प्रवासियों के प्रवेश पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने का विचार कर रही है ?

†**श्री सादत अली खां** : मुझे उसका बोध नहीं है ।

†**श्री अन्सार हरवानी** : सभा सचिव ने पारपत्रों तथा प्रष्ठांकनों का उल्लेख किया है । क्या सरकार को कुछ पता है कि जाली पार-पत्रों से कितने व्यक्ति वहां गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सादत अली खां** : यह भिन्न प्रश्न है। मैं ने इस प्रश्न का उत्तर प्रायः यहां दिया है। उनकी संख्या आंकना कठिन है।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को ध्यान में रख कर कि ब्रिटेन जाने वाले उन भारतीय उत्प्रवासियों के बारे में, जिनके पास नकली पासपोर्ट थे, समाचार-पत्रों में मोटे अक्षरों में, छपा था, क्या सरकार ने ब्रिटेन सरकार से कहा है कि वह पारपत्रधारियों की जांच करे और नकली पारपत्र धारियों का पता लगाये ?

†**श्री सादत अली खां** : हम विदेशी सरकारों से कुछ करने की प्रार्थना नहीं कर सकते। हम अपनी इस पर स्वयं कार्यवाही कर रहे हैं। फिर भी, यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री हेडा** : ब्रिटिश सरकार को जिस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उसका एक पहलू, शायद यह है कि भारत के कुछ उत्प्रवासियों के पास कोई पारपत्र नहीं है और कुछ के पास नकली पारपत्र हैं। अतः क्या ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार से कोई सहायता मांगी थी, यदि हां, तो उन्होंने किस रूप में सहायता मांगी थी ?

†**श्री सादत अली खां** : संभव है कि मैं जो कह रहा हूं ठीक न हो। परन्तु आपसी बात यह है कि जाली पारपत्र-धारी उत्प्रवासियों को ब्रिटेन न जाने दिया जाये।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : सभा सचिव ने बताया है कि पिछले बर्ष की अपेक्षा २,००० पारपत्र अधिक जारी किये गये हैं। क्या पारपत्र जारी करने की हमारी यह सामान्य स्थिति है या इसमें कोई असाधारण बात है ?

†**श्री सादत अली खां** : बात यह है कि जिन लोगों को वहां काम मिल जाता है उनके परिवार भी उनके पास वहां चले जाते हैं। इससे पारपत्रों और पृष्ठांकनों की संख्या बढ़ जाती है।

†**श्री हेम बरुआ** : श्रीमान, एक औचित्य के प्रश्न पर। अभी माननीय सभा सचिव ने कहा है कि ब्रिटेन की ओर उन्हें यह नहीं देखना है कि वहां जाली पारपत्रों पर कोई आप्रवासी नहीं जाता है और यह हमारा उत्तरदायित्व है और .....

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं औचित्य का प्रश्न जानता हूं, इसका इससे कोई भी सम्बन्ध नहीं है। सभा सचिव ने एक बार नहीं दो बार कहा था कि इस प्रश्न का संबंध पारपत्र जारी करने से है और जाली पारपत्र की बात अलग है। इसमें औचित्य का कोई प्रश्न नहीं है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या सरकार को पता लगा है कि ब्रिटेन में भारतीय अप्रवासियों की इस अधिकता के फलस्वरूप वहां भारतीय जाति विरोधी झगड़े उत्पन्न करने का कुछ प्रयास किया जा रहा है जैसा कि हाल में मिडिल्सवर्ग में हुए थे ?

†**श्री सादत अली खां** : नहीं, श्रीमान।

---

†मूल अंग्रेजी में

कुवेत में भारतीय

+
†१२१०. { श्रीमती मैमूना सुल्तान :
{ श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुवैत में भारतीय काफी बड़ी संख्या में हैं ;

(ख) यदि ह , तो उनके संरक्षण के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) भारतीय हितों की देख भाल करने के लिये कुवेत में किसको रखा गया है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) कुवैत में लगभग ६००० भारतीय हैं ।

(ख) और (ग). कुवैत में भारतीय व्यापार आयुक्त वहां भारतीयों के हितों की सुरक्षा की दृष्टि से उनकी देख रेख करता है । बगदाद में भारतीय राजदूत भी कभी कभी वहां जाते हैं ।

†**श्रीमती मैमूना सुल्तान** : कुछ समय पहिले कुवैत में कुछ गड़बड़ थी क्योंकि जनरल कासिम ने इस बात पर ज़ोर दिया था कि कुवैत इराक का एक भाग है जब कि कुवैत का दावा था वह सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न है और स्वतन्त्र है । उस समय से, क्या यह सच है कि भारतीय बड़ी संख्या में वहां से भारत आ गये हैं और यदि हां तो उन लोगों को संख्या कितनी है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : कुवैत से कोई व्यक्ति नहीं आया है । वहां स्थिति स्थिर है । हमें वहां भारतीय निवासियों से कोई शिकायत नहीं मिली है ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : क्या यह सच है कि हाल में कुवैत में कुछ गड़बड़ होने के कारण भारतीय नागरिकों की कठिनाइयां बढ़ गई हैं और उन्होंने आयुक्त से शिकायत की थी और वह उनकी कोई सहायता कर सका ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : यह झूठ है । इराक में हमारे राजदूत ने शासक से मित्रता के सम्बन्ध स्थापित किये और हमारा व्यापार आयुक्त जा कर शासक से मिलता है और हमें आश्वासन दिया गया है कि भारतीय नागरिकों के सम्बन्ध में काई हस्तक्षेप नहीं होगा । उन की कोई शिकायत नहीं है । वे वहां बस गये हैं और खुश हैं ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या कुवैत के स्वतन्त्र घोषित होने के पश्चात वहां हमारे व्यापार आयुक्त के अतिरिक्त और कोई राजनैतिक पदाधिकारी हैं, जो हमारा प्रतिनिधित्व करता हो ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : नहीं, श्रीमान । व्यापार आयुक्त भी पिछली मई में नियुक्त हुआ था । वहां और कोई राजनैतिक प्रतिनिधि नहीं है ।

†**श्रीमती मैमूना सुल्तान** : इराक के दावे के विरुद्ध कुवैत के प्रभुत्व के बारे में भारत सरकार का क्या विचार है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : भारत सरकार ने कुवैत को सदैव ही स्वतन्त्र राज्य माना है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

असम-नागालैंड सीमा विवाद

†*१२२१. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या **प्रधान** मंत्री २ मई, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १८३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागालैंड अन्तरिम निकाय से असम और नागालैंड के बीच सीमा के प्रश्न के फैसले करने के लिये केन्द्रीय सरकार से एक आयोग नियुक्त करने के लिये कहा है और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री जो० ना० हजारिका)** : (क) और (ख) नागा लैंड अन्तरिम निकाय ने अपनी पहली मीटिंग में, जो १७ से २५ मई, १९६१ तक हुई थी, एक संकल्प स्वीकार किया। इस में सिफारिश की गई थी कि भारत सरकार से असम और नागा लैंड के बीच की सीमा सदैव के लिए निर्धारित करने के लिए एक आयोग नियुक्त करने की प्रार्थना की जाये ।

राज्यपाल ने ७ जुलाई, १९६१ को प्रशासी परामर्शदाताओं के साथ इस सिफारिश पर चर्चा की थी ।

संविधान में राज्यों के बीच सीमाओं का समायोजन करने की प्रक्रिया का उपबन्ध है। सरकार का विचार है कि इस मामले को नागा लैंड के भावी राज्य द्वारा विचार किया जाने के लिये छोड़ दिया जाये। किसी स्थान विशेष के ठीक निर्धारिण संबंधी किसी स्थानीय झगड़े के बारे में निश्चय किया गया है कि दोनों ओर के अधिकारियों के मिले जुले परामर्श से उसकी जाच की जाये और फैसला किया जाये ।

†**श्रीमती मफीदा अहमद** : वे नागालैंड में किन किन क्षेत्रों को सम्मिलित करना चाहते हैं ?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : यह अभी तय नहीं हुआ है।

†**श्री वसुमतारी** : क्या उन के प्रस्ताव में कुछ बन क्षेत्रों का दावा किया गया है और यदि हां, तो उन्होंने अपने दावे में किन क्षेत्रों को अपना बताया है ?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : असम सरकार और नागा लैंड की सरकार इन सब मामलों का निश्चय संविधान के संबंधित अनुच्छेदों के अनुसार करेंगी ।

†**श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या केन्द्रीय सरकार ने एन० पी० सी० के नेताओं को उत्तर कछार और सिकिर पहाड़ी जिले को दीमापुर क्षेत्र फिर देने के बारे में बताया है क्योंकि इस क्षेत्र में मुख्यकर गैर-नागा लोग रहते हैं जोकि जाति तथा संस्कृति में नागाओं से भिन्न हैं ?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : मूल उत्तर में इस प्रश्न का उत्तर आ जाता है जिसे मैं पहिले ही पढ़ चुका हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जल संभरण योजनाओं के लिये नल

†*१२२२. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान जल संभरण योजनाओं तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू की जाने वाली योजनाओं के लिये जी० आई० पाइप (धातु चढ़े लोहे के नल) और स्पेशल पाइप की अनुमानित आवश्यकता कितनी है, और

(ख) वर्तमान उत्पादन क्षमता कितनी है और संपूर्ण मांग पूरी करने के लिये क्या व्यवस्था की गयी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) अनुमान लगाया गया है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इस्पात के पाइपों तथा ट्यूबों और (जल संभरण के लिए जी० आई० पाइप सहित) और स्पेशल पाइपों के क्रमानुसार ९ लाख टन और ५३,००० टन की आवश्यकता होगी। पानी के नलों की मांग अलग निर्धारित नहीं थी की गई है परन्तु नलों की मांग का अधिकतर भाग जल संभरण के लिए है।

(ख) इस्पात के नलों और विशेष नलों की वर्तमान उत्पादन क्षमता क्रमानुसार २.१५ लाख टन और २२,००० टन प्रतिव र्थी। इस्पात के नलों और ट्यूबों को और ७.७४ लाख टन क्षमता का लाइसेन्स दे दिया गया है और स्पेशल पाइपों के निर्माण के लिए और क्षमता का लाइसेन्स दिया जा रहा है ताकि वर्तमान उत्पादन क्षमता और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक होने वाली आवश्यकता के बीच के अभाव को पूरा किया जा सके।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : की गई जांच के समय हमने देखा कि सामान की कमी के कारण जल संभरण परियोजनायें रोक दी गईं थीं। आजकल, वायदा संभरण ट्रेड माल के लिए है और परियोजनायें बन्द कर दी गई हैं। इसका क्या कारण है कि इन परियोजनाओं को स्वीकृत करते समय इन पाइपों और स्पेशल पाइपों के उत्पादन का ध्यान नहीं रखा गया ?

†**श्री मनुभाई शाह** : माननीय सदस्य का कथन सत्य है। परन्तु विदेशी मुद्रा और कच्चे माल की उपलब्धता के बारे में देश भली भांति जानता है कि उस में और स्पष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : परियोजनायें स्वीकार करने और सामान की व्यवस्था न करने में क्या औचित्य है ? अगले छः महीनों, आदि में कितना सुधार होगा और कितना संभरण होगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वास्तव में अधिकतर परियोजनाओं को स्वीकार नहीं किया गया है और यह कहना सर्वथा सत्य नहीं है कि स्वीकृत परियोजनाओं के लिए सामान नहीं मिला है। परन्तु प्रश्न यह है कि देश की मांग कितनी है जैसी कि यह निर्धारित की गई है और समूची आवश्यकता पूर्ति के लिए किस बात की आवश्यकता है; यह करने के लिये हमने इस्पात के पाइपों, ट्यूबों और स्पेशल पाइपों के निर्माण के लिए २२ नई फर्मों को लाइसेन्स दे दिये हैं। आशा है कि विभिन्न राष्ट्रीय इस्पात, इस्पात कारखानों से अधिक स्केल्प मिलते ही इन ट्यूबों के नलों का उत्पादन बढ़ जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या यह सच नहीं है कि वित्त मंत्रालय के विशेष संगठन डिविज़न ने इस विषय का विशेष अध्ययन किया था और योजना आयोग तथा वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय को बताया था कि कठिनाई होगी, और यदि हां, तो उस अध्ययन से क्या लाभ उठाया गया और क्या कार्यवाही की गई ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इन अध्ययनों से कार्यवाही और बढ़ गई। यदि मैं कह सकूं कि तीसरी पंच वर्षीय योजना के अधीन प्रत्येक पण्य और प्रत्येक प्रोग्राम के लिए ये अध्ययन होते हैं।

†**श्री हेडा** : माननीय मंत्री ने अभी कहा था कि वर्तमान उत्पादन और तीसरी योजनाकाल की आवश्यकता के अन्तर को पूरा करने के लिए लाइसेन्स दिये गये हैं। क्योंकि कच्चे सामान का पर्याप्त संभरण है और अन्यथा, क्योंकि क्षमता का शतप्रतिशत प्रयोग किया जाना कठिन है, सरकार इस कठिनाई को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है जो इतने पर भी पैदा होगी।

†**श्री मनुभाई शाह** : हम कच्चा सामान पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने पर अधिक कारखानों को लाइसेन्स नहीं देना चाहते। अतः जैसा कि मैंने मूल उत्तर में कहा था कि वर्तमान क्षमता के लिए, जिसके लाइसेन्स दिये गये हैं, स्वदेशीय उत्पादन से कच्चा माल उपलब्ध होने तक हम और लाइसेन्स नहीं देंगे।

कलकत्ते में भारत सरकार मुद्रणालय

†*१२२३. { +**श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चा० सामन्त :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २१ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १०१२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संत्रागाछी सरकारी मुद्रणालय में पर्याप्त बिजली अब उपलब्ध है, और छपाई की मशीनें और जिल्दसाजी के उपकरण काम कर रहे हैं,

(ख) कलकत्ते में भारत सरकार मुद्रणालय का विस्तार कार्य क्रम निकट भविष्य में कहां तक पूरा किया जा रहा है, और

(ग) संत्रागाछी डिपो में ये छपाई मशीनें आदि स्थायी रूप से स्थापित करने में क्या कठिनाईयां हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) संत्रागाछी में अब बिजली उपलब्ध है। लिफाफे बनाने की छः मशीनों और छपाई की दो मशीनों के अतिरिक्त कलकत्ता में भारत सरकार के प्रेस की सारी मशीनें, और भारत सरकार के फार्म प्रेस, कलकत्ता की पांच रोटरी मशीनें चालू कर दी गई हैं।

(ख) भारत सरकार प्रेस, कलकत्ता का जिल्दसाज़ी विंग और लिफाफा बनाने का पूर्ण एकक संबंधी विस्तार, कार्यक्रम में प्रयाप्त प्रगति हुई है और आशा है कि वह शीघ्र ही पूरा हो जायेगा। पत्र-प्रेस का विस्तार संत्रागाछी प्रेस ले जाने से संबंधित है। संत्रागाछी में प्रेस लगाने की योजना और प्राक्कलनों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) कलकत्ता में भारत सरकार के प्रेस की मशीनों को स्थायी रूप से संत्रागाछी में रखने में कोई कठिनाई नहीं है क्योंकि अन्त में सारा प्रेस वहीं स्थापित होगा। जहां तक भारत सरकार के फार्म प्रेस, कलकत्ता की रोटरी मशीनों और उनके सहायक उपकरणों का संबंध है, इस मामले पर शीघ्र विचार किया जायेगा ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : माननीय मंत्री ने अभी बताया है कि कोई कठिनाई नहीं होगी। परन्तु क्या वहां काम करने वाले व्यक्तियों की कठिनाइयों का ध्यान रखा गया है और क्या उन्हें कोई भत्ता दिया जायेगा, यदि उन्हें वहां जाना पड़े ?

†**श्री अनिल कु० चंदा** : हमने संत्रागाछी में १०७ एकड़ भूमि की प्राप्ति का नोटिस दे दिया है ताकि वहां हमारा नया प्रेस तैयार होने पर हमारे कारीगरों को पास ही में रहने के लिए स्थान मिल जायेगा।

†**श्री सुबोध हंसदा** : मंत्री महोदय ने कहा है कि सरकार ने संत्रागाछी में १०७ एकड़ भूमि प्राप्त करने के लिए कहा है। क्या कलकत्ता में रोटरी संयंत्र, आदि के लिए अतिरिक्त इमारत का निर्माण रुक जायेगा।

†**श्री अनिल कु० चंदा** : मैंने बताया कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने मजदूरों के रहने के लिए १०७ एकड़ भूमि की प्राप्ति का नोटिस दे दिया है। कुछ अभियोग चलता रहा है। परन्तु हम इस आशा में योजना बना रहे हैं कि हमें भूमि मिल जायेगी और हम इसकी प्राप्ति होते ही इस का प्रयोग आरम्भ कर देंगे ।

†**श्री अरविंद घोषाल** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह परियोजना पिछले कई वर्षों से अधूरी पड़ी है, क्या इसे शीघ्र पूरा करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है, और विशेषकर इस कारण से कि कुछ मशीनें और वस्तुयें इस विलम्ब के कारण खराब हो रही हैं ?

†**श्री अनिल कु० चंदा** : इस में अधिक विलम्ब नहीं हुआ है। मशीनों की पिछली किस्त १९६० में आई थी और मशीनों को प्रयोग किया जा रहा है। पश्चिमी बंगाल सरकार से अधिक बिजली प्राप्त करने में कठिनाई थी परन्तु १ अगस्त से हमें बिजली मिल गई है और मेरा विचार है कि ३ अगस्त से इन मशीनों को प्रयोग किया जा रहा है।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या यह सच नहीं है कि कलकत्ता में एक इमारत की मरम्मत की गई है और भारत सरकार के फार्म प्रेस के संत्रागाछी चले जाने से यह इमारत पूर्णतया दूसरे प्रेस के लिए प्रयोग की जायेगी ? दूसरी बात, इस प्रेस को संत्रागाछी ले जाने पर कितना व्यय होगा ?

†**श्री अनिल कु० चंदा** : फार्म प्रेस नहीं हटाया जा रहा है। हम ने वहां एक नई इमारत बनाई है। भारत सरकार प्रेस संत्रागाछी ले जाया जा रहा है। मशीनों का परिवहन व्यय और इमारत की लागत ही प्रेस हटाने का व्यय होगा।

भूटान में डाक पद्धति

†*१२२५. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूटान सरकार का यह विचार है कि एक संगठित डाक पद्धति कायम की जाये और वह अपने निजी टिकट छापे;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इस संबंध में भारत सरकार से कोई सहायता मांगी गई है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रार्थना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारत सरकार ने यदि कोई सहायता दी हो तो वह किस प्रकार की है ?

†**विदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) भारत सरकार को जानकारी नहीं है ।

(ख) नहीं ।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

पोलैंड से कारतूसों का आयात

†*१२२६. **श्री तंगामणि** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने पोलैंड से कारतूसों के आयात के लिये लाइसेंस प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो वितरण का ढंग क्या है;

(ग) क्या वह बंबई शस्त्रास्त्र विक्रेता संघ के जरिये या किरकी गोलाबारूद कारखाने के जरिये होगा;

(घ) क्या वितरण के तरीके में कोई परिवर्तन हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) पोलैंड के संभरण कर्ता के भारतीय ऐजेन्ट मैसर्स गर्ग आर्मरी (प्राइवेट) लि० दिल्ली द्वारा वास्तविक प्रयोगकर्त्ताओं को जैसे राइफिल क्लबों को कारतूस देने का विचार है। वितरण और मूल्य पर राज्य व्यापार निगम का नियन्त्रण होगा।

(ग) नहीं, श्रीमान।

(घ) नहीं, श्रीमान।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री तंगामणि** : क्या यह सच नहीं है कि इस संगठन के बम्बई के विभिन्न सदस्यों द्वारा वितरण करने का उचित ढंग है, और यदि हां, तो यह काम केवल एक लाइसेन्स धारी को देने का क्या कारण है ?

†**श्री कानूनगो** : कारण यह है कि यह फर्म अब भी शस्त्र संभरण करने वाले पौलिश के एकाधिकार के थोक एजेन्ट है और उनका आग्रह है वितरण इस फर्म द्वारा हो। राज्य व्यापार निगम ने यह सावधानी की है कि राइफिल क्लबों और ऐसी ही अन्य संस्थाओं को ये नियन्त्रित मूल्य पर दिये जायें।

†**श्री तंगामणि** : पोलैंड से राज्य व्यापार निगम को जो लाइसेन्स दिये गये थे उनके फलस्वरूप आयात किये गये शार्ट-गन के कारतूसो का क्या मल्य था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो** : २ लाख रु०।

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या देश में शिकार आदि के लिये कारतूसों की मांग पूरा करने के लिये हमारे शस्त्र कारखानों में पर्याप्त कारतूस नहीं बनते ?

†**श्री कानूनगो** : नहीं, श्रीमान। यह पर्याप्त नही है।

†**श्री च० द० पांडे** : प्राय कहा जाता है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय के औद्योगिक संस्थापनों की बहुत फालतू क्षमता है। यह मामला पूर्णतया उस मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में हैं। नागरिक के प्रयोग के ये कारतूस और शस्त्र उनमें क्यों नहीं बनते ?

†**श्री कानूनगो** : इन वस्तुओं का पहिले भी आयात हुआ है। भारत में निर्माण क्षमता का उत्तर देने का अधिकार मुझे नहीं है।

†**श्री च० द० पांडे** : यह कोई औचित्य नहीं है। पहिले हमने बहुत कुछ आयात किया परन्तु अब हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं।

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : हमने प्रतिरक्षा मंत्रालय और मंत्री का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वह इस ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं कि भारत में आवश्यक कारतूस, आदि के निर्माण के लिये प्रतिरक्षा संस्थानों की फालतू क्षमता का प्रयोग किया जाये।

†**श्री त्यागी** : वे कारतूस किस किस्म के हैं और क्या यह सच है कि आयुध कारखानों में इस किस्म के कारतूस पहिले से ही बनते हैं और वे बहुत बड़ी मात्रा में उनके पास पड़े हैं तथा बाजार में नहीं भेजे जा रहे हैं। ?

†**श्री कानूनगो** : मुझे यह जानकारी नहीं है।

†**श्री त्यागी** : वे कैसे कारतूस हैं ? क्या वे १.२ के हैं या २.२ के ?

†**श्री कानूनगो** : मुझे यह विदित है कि वे क्रीड़ा बन्दूकों के लिये हैं।

†**श्री मं० नं० कृष्ण** : क्या सरकार कारतूसों के आयात की अनुमति के साथ क्रीड़ा शस्त्रों के आयात की भी अनुमति देती है ?

†**श्री कानूनगो** : नहीं, श्रीमान। यह तो पोलड की सरकार के साथ व्यापार करार का एक अंग है।

†**श्री त्यागी** : क्या गैर-सरकारी फर्म भारत में इस प्रकार के कारतूसों के निर्माण के लिए कारखाना स्थापित कर सकती है या सदैव ही उनका विदेशों से आयात होगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : गैर सरकारी फर्मों को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई है। यह काम तो आयुध कारखानों अथवा प्रतिरक्षा संगठनो में ही किया जायेगा। में सभाको आश्वासन दे देना चाहता हूं कि हमने प्रतिरक्षा मंत्रालय का ध्यान इस ओर दिलाया है और वह कार्यवाही कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इसके बारे में और प्रश्न कृपा करके प्रतिरक्षा मंत्रालय से पूछे जायें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सम्पत**: गैर सरकारी लाइसेंस धारियों जो राइफल क्लब के सदस्य नहीं होते हैं को कारतूस क्यों नहीं दिए जाते हैं।

†**श्री कानूनगो** : इनका संस्थाओं द्वारा वितरण इसलिये किया जाता है कि जिससे मूल्यों पर नियंत्रण रह सके।

†**श्री त्यागी**: पोलैंड सरकार से यह समझौता कितनी अवधि के लिये किया गया है?

†**श्री कानूनगो** : एक वर्ष के लिये।

†**श्री बाजपेयी**: सरकार समय समय पर यह दावा करती है कि वह भारत में गोली बारूद के निर्माण के संबंध में कार्यवाही कर रहेहैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस आयात का क्या औचित्य है।

†**अध्यक्ष महोदय**: दोबारा यह प्रश्न पूछा जा रहा है। माननीय वाणिज्य मंत्री को तो इस बारे में जानकारी नहीं थी परन्तु उद्योग मंत्री ने उसका उत्तर दिया था कि प्रतिरक्षा मंत्रालय से पूछा गया था और उन्होंने बताया कि इनके उत्पादन के संबंध में कार्यवाही की जा रही है। एक दिन में सभी काम तो नहीं हो सकते।

†**श्री ब्रजराज सिंह**: श्रीमान, परन्तु प्रश्न यह उठता है कि क्या यहां दो सरकारें हैं। यह बताया गया कि प्रतिरक्षा मंत्रालय को पूछा गया था। मैं समझता हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर दोनों को आपस में एक दूसरे का परामर्श लेना चाहिए था और सभा में उचित उत्तर देना चाहिये था।

†**श्री कानूनगो** : यह प्रश्न महत्वपूर्ण है ही नहीं। यह शिकार के कारतूस हैं।

†**अध्यक्ष महोदय**: तब तो सभी मंत्रियों को सभी प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। विभिन्न माननीय मंत्री के बीच काम का विवरण किया गया है। एक माननीय मंत्री उनको सौंपे गये काम के बारे में ही जानते हैं। परन्तु फिर भी मेरा यही प्रयत्न रहता है कि अधिक से अधिक जानकारी सभा को दिलाऊं। मैं प्रत्येक माननीय मंत्री से प्रतिदिन प्रश्नों के उत्तर देने को नहीं कह सकता। माननीय सदस्यों को ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिये। यदि प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और संबंधित मंत्री यह समझते हैं कि वह सभा में उसका उत्तर ठीक प्रकार से नहीं दे सकते हैं तो मेरा सुझाव है कि पहले से ही अपने साथी से पूरी जानकारी हासिल करके उन्हें तैयार रहना चाहिए। यदि किसी माननीय मंत्री का प्रश्नों के उत्तर के देने का दिन नहीं है तो मैं उनसे यहां उपस्थित रहने को नहीं कह सकता हूं।

†**श्री ब्रजराज सिंह**: मेरा प्रश्न यह था कि उन्होंने पोलैंड सरकार के साथ एक समझौता किया था। क्या समझौता करने से पहले उन्होंने प्रतिरक्षा मंत्रालय का परामर्श लिया था?

†**श्री त्यागी** : श्रीमान मैं सभा को कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। इन कारतूसों का निर्माण चार वर्ष पहले आयुध कारखानों में होने लगा था।

†**श्री अ० चं० गुह** : विदेशी मुद्रा की कमी के कारण क्या सरकार की यह नीति नहीं है कि आयात लाइसेंस जारी करने के पहले संबंधित मंत्रालय से पूछताछ कर लें?

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्री कानूनगो** : जी हां।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : मैं सभा को यह आश्वासन दे देना चाहता हूँ कि सरकार की यह नीति नहीं है कि जिन वस्तुओं का निर्माण देश में हो सके उनका आयात किया जाये। मेरे माननीय साथी ने अभी बताया कि प्रतिरक्षा मंत्रालय का परामर्श लिया गया था और उसने बताया था कि प्रतिरक्षा मंत्रालय देश में इसका उत्पादन करने के लिए सभी प्रकार की कार्यवाही कर रहा है। अत्यधिक आवश्यकता के कारण ही हमने २ लाख रुपयों के कारतूसों का आयात किया है। इसके अतिरिक्त यह करार केवल एक वर्ष के लिए है।

†**श्री तंगामणि** : क्या यह सच नहीं है कि छोटी शाट-गन के कारतूस किरकी गोला बारूद कारखाने में बनाये जा रहे हैं; यदि हां, तो मैं जानना चाहता हूँ कि उस कारखाने की क्या क्षमता है और क्या किरकी के सामान को भी वितरण किया जायेगा?

†**श्री मनुभाई शाह** : श्रीमान यह विषय प्रतिरक्षा मंत्रालय का है। हम केवल उतनी ही बात बता सकते हैं जितनी हमें मालूम है।

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : परन्तु आयात की अनुमति तो आप देते हैं?

†**श्री मनुभाई शाह** : उनके कहने पर ही हमने आयात की अनुमति दी है।

†**श्री तंगामणि** : हमें बताया गया था कि शब्द गन के कारतूस देश में नहीं बनाये जा रहे हैं। मेरी जानकारी यह है कि इनका निर्माण किरकी के गोला बारूद कारखाने में हो रहा है। मैं उसकी क्षमता आदि जानना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरा माननीय मंत्रियों से अनुरोध है कि यदि प्रश्न में निहित मामला उनसे सम्बन्धित न हो तो इसकी सूचना वह मुझे दें जिससे मैं उसको दूसरे मंत्री के पास भेज दूं। सामान्यतः एक प्रश्न की तीन प्रतियां बनाई जाती हैं। इनमें से एक प्रति सचिवालय में रहती है तथा दूसरी तुरंत सम्बन्धित मंत्रालय को भेज दी जाती है। माननीय मंत्री यह बता सकते हैं कि वह प्रश्न उनके मंत्रालय का नहीं है। यदि वह चुप रहते हैं और सभा में अनुपूरक प्रश्न पूछ जाने पर वह कहते हैं कि प्रश्न उनसे सम्बन्धित नहीं है तो हमारा उनके पास प्रश्न भेजने का तात्पर्य ही क्या रह जाता है?

†**श्री मनुभाई शाह**: निर्माण का प्रश्न आयात के प्रश्न से अलग है।

†**श्री क० च० रेड्डी** : श्रीमान्, प्रश्न विशेष तथ्यों के बारे में पूछा जाता है। जब हमारे पास वह तथ्य होते हैं तो हम प्रश्न को स्वीकार कर लेते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : ऐसा होने पर माननीय मंत्री अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में कह सकते हैं कि वह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है :

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : प्रतिरक्षा मंत्रालय । [illegible]कार [illegible] राइफलों तथा उनके कारतूसों के संभरण से कोई संबंध नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी** : इन कारतूसों के आयात की स्वीकृति देने से पहले इस मंत्रालय को प्रतिरक्षा मंत्रालय से परामर्श लेना चाहिये था कि वह इन कारतूसों का निर्माण करने की स्थिति में है अथवा नहीं, और यदि हां, तो उनका क्या उत्तर था ?

†**श्री अ० च० रेड्डी** : मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न की सूचना नहीं थी ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : फिर भी यह महत्वपूर्ण अनुपूरक प्रश्न है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न वितरण के तरीके के बारे है । और किसी भी प्रकार की सूचना के लिये माननीय सदस्यों को दूसरा प्रश्न प्रस्तुत करना चाहिये ।

†**श्री त्यागी** : प्रश्न के भाग (क) में बताया गया है :

"क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने पोलैंड से कारतूसों के आयात के लिये लाइसेंस प्राप्त किया है ।"

लाइसेंस देने का काम इस मंत्रालय का है । इसीलिये प्रश्न उत्पन्न होता है कि लाइसेंस देने से पहले क्या उन्होंने अन्य मंत्रालय का परामर्श भी लिया था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या कृपा करके वह प्रश्न का भाग (ख) भी तो देखें जिसमें कहा गया है कि "यदि हो, तो वितरण का ढंग क्या है । इसके बाद के अन्य प्रश्न भी वितरण के सम्बन्ध में हैं ।

नकली रूई के सूत[1] की कीमतें

†१२२७. **श्री कै० प० सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, १९६१ की पहली छमाही में नकली रूई के सूत की कीमतों में असाधारण चढ़ाव-उतार के क्या कारण थे; और

(ख) क्या निर्धारित मूल्य पर इस ढंग का सूत सप्लाई करना मिलों के लिये खास कर जरूरी नहीं होता ?

†**वाणिज्य मन्त्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

जुलाई १९६१ के अन्त में तथा अगस्त के आरंभ में नकली रूई के सूत की कीमतें कुछ बढ़ गई थी । परन्तु बाद में वह गिर गई । सूत खरीदने में सट्टेबाज़ी के कारण कीमतें बढ़ गई थी और कीमतें घटी इस कारण कि खरीदे गये सूत के प्रकार के बारे में जांच पूरी तरह नहीं की गई ।

नकली रुई के सूत पर सविहित मूल्य नियंत्रण नहीं है । परन्तु भारतीय सूती कपड़ा मिल फेडेरेशन ने सूत के सभी नम्बरों के उचित मूल्य निर्धारित कर दिये हैं और सभी कपड़ा मिलों से कहा है कि इन मूल्यों को ही लागू करें । कुछ मिलों ने बताया है कि उन्होंने इन मूल्यों को लागू कर दिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Staple fibre yarn.

†**श्री के० प० सिन्हा** : क्या देश में नकली रूई के सूत का उत्पादन मांग पूरा करने के लिये पर्याप्त है ?

†**श्री कानूनगो** : जी, नहीं मांग अधिक है ।

†**श्री के० प० सिन्हा** : वितरण का क्या तरीका है ?

†**श्री कानूनगो** : इस समय निर्यात मूल्यों का नियंत्रण करते हैं परन्तु उपभोक्ता को वितरण करने में भारतीय सूती कपड़ा फेडेरेशन का अर्धीक्षण होता है ।

†**श्री हेम बरुआ** : विवरण में बताया गया है कि भारतीय सूती कपड़ा मिल फेडेरेशन उचित मूल्य निर्धारित करता है और मिलों को उन मूल्यों को लागू करने को कहता है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार कोई उचित मूल्य स्वयं निर्धारित करने का है ?

†**श्री कानूनगो** : जी नहीं । उनके द्वारा दिये गए प्रबन्ध के परिणामस्वरूप मूल्य उसी स्तर पर आ गये हैं जिस पर वह मई में थे । यदि यही हालत रही तो ठीक ही है और हम आशा करते हैं कि निकट भविष्य में क्षमता बढ़ जायेगी ।

†**श्री हेम बरुआ** : कितने मिलों ने भारतीय सूती कपड़ा मिल द्वारा निर्धारित उचित मूल्य लागू कर दिए हैं ? क्या ऐसी भी मिलें हैं । जिन्होंने इन मूल्यों को लागू करने से इन्कार कर दिया है ?

श्री कानूनगो : जी, नहीं । सभी मिलें फेडेरेशन की सदस्य हैं ।

पाकिस्तानियों द्वारा आक्रमण

†१२२८. { **श्री के० प० सिन्हा** :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९ अगस्त, १९६१ को या उसके आस पास करीब ३० सशस्त्र पाकिस्तानियों ने करीमगंज सीमा पर भारतीय गांव शालूरबाग पर आक्रमण किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस आक्रमण में यदि कोई व्यक्ति हताहत हुये हों, तो कितने; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

†**वैदेशिक-कार्य मन्त्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका)** : (क) हां, श्रीमान् । १८ अगस्त, १९६१ की रात को लगभग बीस से पच्चीस व्यक्तियों ने आसाम पूर्व पाकिस्तान सीमान्त पर करीमगंज के निकट शेरुलभाग नामक भारतीय गांव में डकैती डाली । उनमें से अधिकांश पाकिस्तानी राष्ट्रजन थे परन्तु कुछ भारतीय भी थे ।

(ख) एक भारतीय राष्ट्रजन गोली लगने से मर गया ।

(ग) आसाम सरकार द्वारा पूर्वी पाकिस्तान को जोरहार विरोध पत्र भेजा गया । उन्होंने अपराधियों को पकड़ने के लिये तुरन्त जांच किये जाने की प्रार्थना की । भारतीय सहयोगियों का पता लगाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं । इस क्षेत्र के सीमान्त पर गश्त बढ़ा दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कै० प० सिन्हा** : चूंकि इस प्रकार के हमले अक्सर होते रहते हैं, मैं जानना चाहता हू कि सरकार से सीमान्त के जन और सम्पत्ति की रक्षा के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : यह इन सीमान्तों में कोई नई बात नहीं है और जैसा कि मैं बता चुका हू ऐसी दुर्घटनाओं को गश्त आदि द्वारा रोकने के लिये कदम उठाए गए हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : इस मामले पर हमने जो एक स्थगन प्रस्ताव रखा था उसके सम्बन्ध मंत्री ने हमें यह बताया था कि उस समय तक सूचना उपलब्ध नहीं थी। मैं जानना चाहता हूं कि आसाम सरकार को यह सूचना कब मिली ? घटना घटित होने और आसाम सरकार को सूचना मिलने के बीच में कितने दिन का अन्तर रहा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि इस सरकार को आसाम सरकार से सूचना प्राप्त होने में कितना समय लगा ?

†**श्री हेम बरुआ** : मैं यह जनाना चाहता हूं कि आसाम सरकार को यह सूचना कब प्राप्त हुई क्योंकि जब आसाम सरकार को मालम होगा तो भारत सरकार को भी मालूम हो जाएगा।

स्थगन प्रस्ताव के संबंध में यह कहा गया था कि उस समय तक आसाम सरकार को सूचना उपलब्ध नहीं थी। परन्तु वास्तव में वह समाचार अखबारों में प्रकाशित हो चुका था। इससे मालूम होता है कि सरकार का काम कितनी सुस्ती से होता है। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि घटना घटने और उसकी सूचना सरकार को मिलने के बीच में कितना समय लगा ?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : घटना घटित होने के तुरन्त बाद ही हमारे सीमान्त सुरक्षा-दल ने उस ओर के अधिकारियों से पूछताछ की ताकि डकैतों को पकड़ा जा सके परन्तु उनसे सम्पर्क स्थापित नहीं किया जा सका।

†**श्री त्यागी** : क्या उस गांव के निकट कोई सीमान्त पुलिस चौकी थी और, यदि हां, तो क्या वे गांव वालों की सहायता करने पहुंचे थे ?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : यह गांव कुशयारा नदी क्षेत्र में चौकी में ही स्थित है जैसे ही सीमान्त सुरक्षादल के इस कटना की सूचना मिली उन्होंने उस ओर के अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करने का प्रयत्न किया परन्तु वह अधिकारी मिल नहीं सका। इसलिए मौके पर तुरन्त कार्यवाही नहीं की जा सकी। अब माननीय सदस्य पूछते हैं कि आसाम सरकार को यह सब कब मालूम हुआ। स्थगन प्रस्ताव के समय आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं थी। उसके तुरन्त बाद ही सुरक्षादल द्वारा सरकार को यह सूचना भेजी गई।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या वह यह बता सकते हैं कि आसाम सरकार को यह सूचना कब प्राप्त हुई ?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : मुझे ठीक ठीक तारीख नहीं मालूम जिसको यह सूचना आसाम सरकार को मिली। परन्तु आसाम सरकार ने पाकिस्तान सरकार को विरोधपत्र २३ अगस्त को भेजा था। यह दुर्घटना १८ तारीख की रात को घटित हुई थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : कांग्रेस फॉर वर्ल्ड फेडेरेशन कलकत्ता में पूर्व बंगाल में बंगाली राष्ट्रीयता जागृत करने का प्रयत्न कर रही है तो क्या सरकार के लिए यह अच्छा नहीं है कि वह इस आन्दोलन में सहयोग दे ? तब ऐसे हमले नहीं होंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

चीन नेपाल सीमा आयोग

+

†*१२२९. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन-नेपाल सीमा आयोग ने भारत, नेपाल और तिब्बत के बीच नेपाल के दोनों ओर तीन जंक्शन सीमा के संबंध में कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह निर्णय दो स्थानों के संबंध में भारतीय सीमा दल की रिपोर्ट के अनुसार है ?

†**वैदेशिक कार्य• उपमन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) हमने समाचार पत्रों में प्रकाशित इस आशय की खबरें देखी हैं कि चीन और नेपाल की सरकारें चीन-नेपाल सीमा, जिसमें संभवतः पूर्व और पश्चिम के सीमान्त स्थान सम्मिलित हैं के संबंध में सहमत हो गई हैं ।

(ख) हमें इन निर्णयों की सही सूचना दोनों देशों के बीच सीमान्त करार पर हस्ताक्षर हो जाने के पश्चात् ही मिलेगी जबकि उसका मूलपाठ प्रकाशित किया जाएगा । भारत सरकार ने नेपाल• और चीन दोनों सरकारों को इन तीन जंक्शनों की सही स्थिति बता दी है ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या नेपाल सरकार ने भारत सरकार को यह आश्वासन दिया था कि इस मामले में निर्णय करने के पूर्व वे इसके संबंध में भारत सरकार से परामर्श करेंगे ।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : नेपाल सरकार ने हमारे सुझाव स्वीकार कर लिए थे परन्तु उन्हें उसका समझौता चीन सरकार के साथ करना है ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या भारत सरकार ने उन स्थानों का निश्चित संकेत कर दिया है जहां कि चीन की ओर इन सीमान्तों का निश्चय किया जाना है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : जी हां, हमने निश्चित संकेत दे दिए हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नारियल जटा की वस्तुओं का निर्यात

+

†*१२३०. **श्री चुनी लाल :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ८ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६८१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नारियल जटा की और अधिक वस्तुओं की बिक्री की संभावना का पता लगाने के लिये सुदूर पूर्व के देशों में एक शिष्टमंडल भेजने के प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां तो क्या परिणाम निकला ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). मामला अभी विचाराधीन है।

†**श्री चुनी लाल** : सरकार शिष्टमंडल भेजने के संबंध में कब तक अंतिम निर्णय कर लेगी ।

†**श्री मनुभाई शाह** : आजकल विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण इन शिटमंडलों पर बहुत नियंत्रण है। इसलिए मैं निश्चित तारीख नहीं बता सकता परन्तु हम ऐसे शिष्ट-मंडल के भेजे जाने की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं।

उर्वरक कारखाने

+

†*१२३१. **श्री चुनी लाल :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्रीमती इला पाल चौधरी :
श्री बि० दास गुप्ता :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री प० ला० बारूपाल :
श्री मं० वें० कृष्णराव :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २३ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या २८० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र में आन्ध्र प्रदेश और राजस्थान में दो उर्वरक कारखाने खोलने के प्रस्ताव इस बीच मंजूर कर लिये हैं,

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमन्त्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) गैर-सरकारी पक्षों को आन्ध्र प्रदेश में कोठागुदाम और विशाखापटनम में तथा राजस्थान में हनुमानगढ़ में उर्वरक कारखानों की स्थापना के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

पक्ष का नाम	स्थिति	क्षमता (नाईट्रोजन के टन)	उत्पाद
१. मेसर्स आन्ध्र शुगर्स लिमिटेड, मेसर्स शेषसायी ब्रदर्स ट्रावनकोर लिमिटेड के साथ सहयोग से।	कोठागुदम	८०,०००	यूरिया
२. अंतराष्ट्रीय खनिज तथा रसायन निगम और कैली-फोर्निया कैमीकल कम्पनी, संयुक्त राज्य अमेरिका/ईस्ट इंडिया डिस्टिलरीज एण्ड शूगर फैक्टरीज लिमिटेड पैरी ग्रुप	विशाखापटनम	८०,०००	(१) एमोनिया सल्फेट (२) प्रिल्ड यूरिया।
३. श्री बी० एल० जालन	हनुमानगढ़	८०,०००	एमोनियम सल्फेट

†**श्री रंगा** : अभी तक क्या प्रगति हुई है? लाईसेंस तीन महीने पहले जारी किए गए थे।

†**श्री सतीश चन्द्र** : एक उर्वरक कारखाना बनाने में चार वर्ष लगते हैं। इन लाईसेंसदारों से लाइसेंस जारी किए जाने के छः महीनों के अन्दर प्रथम प्रतिवेदन मांगा गया है। जहां तक मेरी जानकारी है संबंधित पक्ष विदेशी सहयोग प्राप्त करने और भूमि के अर्जन के लिए उचित कदम उठा रहे हैं। वे राज्य सरकारों से सम्पर्क बनाए हुए हैं। समस्त उपयुक्त कदम उठाए जा रहे हैं।

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ के बारे में

†**अध्यक्ष महोदय** : आज की कार्यसूची में जो अल्प सूचना प्रश्न रखा गया था उसे ८ तारीख के लिए स्थगित कर दिया गया है। माननीय मंत्री उसका उत्तर उस तारीख को देंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

जापान तथा अन्य देशों को कच्चे लोहे का निर्यात

*१२१५. { **श्री विभूति मिश्र** :
श्री प्र० चं० बरुआ : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार यह प्रयत्न करती रही है कि जापान तथा अन्य देश जो बढ़िया किस्म का कच्चा लोहा लेने में दिलचस्पी रखते हैं, वे मध्यम कोटि तथा घटिया किस्म का कच्चा लोहा भी लें;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) पिछले पांच वर्षों में प्रतिवर्ष घटिया किस्म का कच्चा लोहा अनुमानतः कितना निर्यात किया गया ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमन्त्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) निर्यात लगातार बढ़ता जा रहा है।

(ग) एक विवरण सभा की मेज पर रखा जाता है।

विवरण

घटिया किस्म के लौह खनिज का निर्यात

वर्ष	(परिमाण लाख टनों में)
१९५६	·५०
१९५७	·७३
१९५८	१·५३
१९५९	३·३१
१९६०	३.६७
१९६१ (अनुमानित)	४.००

औद्योगिक श्रमिकों की भारत यात्रा

***१२१८. श्री म० ला० त्रिवेदी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक श्रमिकों के अखिल भारतीय दौरे के सम्बन्ध में स्थायी श्रम समिति ने कोई सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सिफारिश को अमल में लाने के लिये सरकार को कितना खर्च करना पड़ेगा ?

†**श्रम उपमन्त्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी हां ।

(ख) अन्दाज है कि इसके लिये फी मजदूर करीब ३० रुपया सरकार को देना पड़ेगा ।

जापान को बेचे गये नमक की कीमत

†***१२१९. श्री परूलकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम तट पर जापान को जो बगैर पीसा हुआ नमक बेचा जाता है उसका प्रति टन वर्तमान औसत मूल्य क्या है ;

(ख) पश्चिम तट से बंगाल प्रदेश को जो बगैर पीसा हुआ नमक बेचा जाता है उसका प्रतिटन वर्तमान औसत मूल्य क्या है ; और

---

†मूल अंग्रेजी मे

(ग) बंगाल प्रदेश को बेचे गये नमक की कीमत जापानी फर्मों से ली गयी कीमत की अपेक्षा ज्यादा लेने के क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

ये आन्तरिक मूल्य समय समय पर बदलते रहते हैं। इसलिए कोई औसत मूल्य देना संभव नहीं है ।

नमक के मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं है। देश के अन्दर के मूल्य, बंगाल प्रदेश को सम्मिलित कर के, समय समय की मांग और संभरण की स्थिति का ध्यान रखते हुए विक्रेताओं और खरीददारों के बीच बातचीत द्वारा तय किए जाते हैं।

भारत से बाहर निर्यात किया जाने वाला नमक नमककर से मुक्त है जो लगभग ३.५० रुपए प्रति टन के है और इसलिए वह निर्यात मूल्यों में सम्मिलित नहीं है । जापान हमारा प्रमुख निर्यात बाजार है जहां भारतीय नमक को निर्यातक देशों से प्रतियोगिता करनी पड़ती है । इस बाजार में तथा अन्य बाजारों में अपने निर्यात जारी रखने और विदेशी मुद्रा के अर्जन के लिए जापान को नमक प्रतियोगी अन्तर्राष्ट्रीय दरों पर बेचना पड़ता है । इस प्रकार आन्तरिक और निर्यात मूल्यों के बीच कोई तुलना नहीं हो सकती है ।

नंगल में औद्योगिक बस्ती

†*१२२४. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के नंगल बांध में, जहां भाखड़ा बांध पूरा हो जाने के बाद कई सरकारी इमारतें खाली हो जायेंगी, एक औद्योगिक बस्ती कायम करने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). सरकार ने तीसरी पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत १९६४–६५ में नांगल बांध पर एक ५० एककों की औद्योगिक बस्ती की स्थापना के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है । भाखड़ा बांध के निर्माण कार्य की समाप्ति पर जो सरकारी इमारतें खाली हो जायेंगी उनको इस औद्योगिक बस्ती के लिए उपयोग में लाने की संभावना पर भी विचार किया जाएगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बम्बई में उर्वरक कारखाना

†*१२३२. **श्री पांगरकर :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री चुनीलाल :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २९ मार्च, १९६१ से तारांकित प्रश्न संख्या ११७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में उर्वरक कारखाना खोलने के लिये करार पर इस बीच हस्ताक्षर किये जा चुके हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमन्त्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) शोधनशाला की गैस के ट्राम्बे उर्वरक परियोजना को संभरण के लिए भारत के उर्वरक निगम और मैसर्स बर्मा शैल के बीच २२-४-१९६१ को एक करार हुआ था, मेसर्स स्टेंडर्ड वैकुअम आयल द्वारा पैट्रोलियम नैफ्था के संभरण के लिए करार के प्रारूप की निगम के संचालक बोर्ड की आगामी बैठक में चर्चा की जानी है ।

(ख) मेसर्स बर्मा शैल और उर्वरक निगम के बीच हुए करार की प्रति संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

दूसरा मशीनी औजार कारखाना, बंगलौर

†*१२३३. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री नेकराम नेगी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर में दूसरे मशीनी औजार कारखाने का निर्माण कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब पूरा हुआ ; और

(ग) क्या उसमें उत्पादन शुरू हो गया है ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). बंगलौर में दूसरे मशीनी औजार कारखाने का निर्माण-कार्य मई, १९६१ में पूरा हुआ था। उत्पादन जून, १९६१ से शुरु हो गया है ।

भारतीय शीशे की मांग

†*१२३४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के शीशा उद्योग के एक शिष्टमंडल ने मध्यपूर्व के कई देशों, पूर्व अफ्रीका और पाकिस्तान का इस वर्ष अप्रैल-मई में दौरा किया था ताकि इन देशों में भारतीय शीशे की मांग का अनुमान लगाया जा सके ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में इस शिष्टमंडल का क्या अनुमान था ; और

(ग) इन बाजारों का पूरा पूरा पता लगाने के लिये सरकार ने इस बीच क्या कार्यवाही की है ?

†**वाणिज्य मन्त्री (श्री कानूनगो)** : (क) कांच निर्माताओं का एक शिष्टमंडल, जो रसायन तथा संबद्ध-उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा संगठित किया गया था, फरवरी-मार्च, १९६१ में पाकिस्तान, मध्यपूर्व और पूर्व अफ्रीकी देशों में गया था ।

(ख) शिष्ट मंडल का विस्तृत प्रतिवर्द्धन प्रतीक्षित है। सरकार को सूचित की गई शिष्ट मंडल की प्रतिक्रिया से मालूम होता है जिन क्षेत्रों का दौरा किया गया उनमें भारत कांच और कांच के सामान की बिक्री की पर्याप्त संभावना है ।

(ग) अवसर का लाभ उठाना निर्यातकों का काम है । सरकार उचित सुविधाओं देने के लिए तैयार है ।

सरकारी निगमों द्वारा राजनैतिक दलों को अंशदान

†*१२३५. **श्री आसर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों तथा सरकारी निगमों को यह आदेश जारी किया है कि वे किसी राजनैतिक दल को कोई अंशदान न दें ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के ध्यान में यह बात आयी है कि आंध्र प्रदेश की सरकारी कम्पनियों ने एक राजनैतिक दल को १,३०,५०० रुपये दान दिये हैं और आंध्र प्रदेश सरकार की १९५९–६० की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य मन्त्री (श्री कानूनगो)** : (क) जनवरी १९६१ में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखे जिन में उन से प्रार्थना की गई है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण धीन सभी सरकारी कम्पनियों को उपयुक्त हिदायतें दे दें कि वे राजनीतिक दलों या किसी राजनीतिक नाम के लिये जमा निधियों में दान न दें । साथ ही कम्पनी विधि प्रशासन विभाग ने भी यह नीति निर्णय की सूचना केन्द्र या सरकार के सभी मंत्रालयों को और उनके प्रशासनाधीन सभी सरकारी कम्पनियों को दे दी है ।

(ख) जी हां ।

(ग) राज्य सरकार का ध्यान इस मामले की ओर आकर्षित किया जाता है ।

बकाया किराया

†*१२३६. **श्री तंगामणि** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या डायरेक्टरेट आफ एस्टेटस, नयी दिल्ली को दिया जाने वाला बकाया किराया पूरा पूरा वसूल कर लिया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) बकाया किराया कितना है और जुलाई १९६१ के अन्त तक कितना वसूल किया गया है ; और

(घ) सारा बकाया किराया वसूल करने के लिए क्या विशेष कार्यवाही की गयी है ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण उपमन्त्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रखा गजाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३६]**

विस्थापित व्यक्ति द्वारा आत्म-हत्या

†१२३७. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पूर्व पाकिस्तान के एक विस्थापित व्यक्ति, श्री सुरेन्द्रकुमार चक्रवर्ती ने जो बहुत ईमानदार और नम्र समझा जाता था, १७ अगस्त, १९६१ की रात देवघर (बिहार) में गरीबी की पीड़ा से अपने आपको बचाने के लिये अपने पीछे अपनी स्त्री और पांच बच्चों को अपने भाग्य पर छोड़ कर आत्म हत्या कर ली थी, और

(ख) यदि हां, तो इस पीड़ित परिवार को और अधिक बर्बादी से बचाने के लिये वित्तीय सहायता देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या की जाने वाली है ?

†**पुनर्वास तथा अल्प संख्यक कार्य मन्त्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख) सूचना बिहार सरकार से प्राप्त की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

†*१२३८. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २३ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या २६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन संविहित दर बढ़ाने के सम्बन्ध में अन्तिम निश्चय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निश्चय किया है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय का अनुसमर्थन

†*१२३९. **श्री चुनी लाल :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २३ फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बागान कर्मचारियों के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय के अनुसमर्थन में इस बीच आगे और क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम उपमन्त्री (श्री आविद अली)** : जैसी स्थिति इस समय है, उस में अभिसमय का अनुसमर्थन करना संभव नहीं है ।

टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी

†*१२४०. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी द्वारा तैयार किये गये ट्रकों का दाम बढ़ाने के लिये मंजूरी दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो किस हद तक ; और

(ग) किन किन बातों के कारण दाम बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

न केवल मैसर्स टाटा इंजनियरिंग और इंजन कम्पनी अपितु सभी मोटर गाड़ी निर्माताओं को मई १९६१ में नीचे बताई गई मात्रा तक अपनी गाड़ियों की फैक्टरी से मिलने के शुद्ध थोक और खुदरा बिक्री मूल्य बढ़ाने की अनुमति दी गई थी :—

(१) वित्त अधिनियम १९६१ के उपबन्धों के प्रत्यक्ष परिणाम के अनुसार पुर्जों/कच्चे माल पर सीमा शुल्क / उत्पादन शुल्क के तौर पर निर्माताओं द्वारा दी गई वास्तविक राशि के बराबर राशि तक; और

(२) पश्चिम जर्मनी से कच्चे माल और पुर्जों के आयात के मामले में, ड्यूश पार्क के हाल के पुनर्मूल्यन के फलस्वरूप जिस मात्रा तक माल के मूल्य में वास्तव में वृद्धि हुई हो ।

इस कारण मोटर गाड़ियों के मूल्यों में शोधन के कारण निर्माताओं या व्यापारियों के लाभ की मात्रा में कोई वृद्धि नहीं होती ।

कनाट सर्कस नई दिल्ली में केन्द्रीय पार्क

†३३४४. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री २७ अप्रैल १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४०१० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राजधानी में गाड़ियां खड़ी करने के अधिक स्थान की व्यवस्था करने से कनाट सर्कस में केन्द्रीय पार्क को छोटा करने की योजना किस स्थिति में है ?

†**निर्माण आवास और सम्भरण उपमन्त्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : मामला अभी विचाराधीन है ।

ट्राम्बे में उर्वरक संयंत्र

†३३४५. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री आसर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह २ मई, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १८३४ के उत्तर के संबंध में बताने की कृपा करेंगे कि ट्राम्बे में उर्वरक संयंत्र लगाने के बारे में और क्या प्रगति की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमन्त्री** (**श्री सतीश चन्द्र**) : विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३७]** ।

औद्योगिक सोडियम सल्फेट संयंत्र

†३३४६. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २ मई १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १९३५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक औद्योगिक सोडियम सल्फेट तैयार करने का संयंत्र लगाने के लिये पश्चिमी जर्मनी से प्राप्त संशोधित उत्कथित मूल्यों पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला है ?

†**उद्योग मन्त्री**(**श्री मनूभाई शाह**) : (क) और (ख) पश्चिम जर्मनी की फर्म के प्राप्त संशोधित उत्कथित मूल्य अभी हिन्दुस्तान नमक कंपनी सीमित के विचाराधीन है ।

इंजीनियरी सामान निर्यात संवर्द्धन परिषद्

†३३४७. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २ मई, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १८५६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् के पश्चिम एशियाई और यूरोपीय देशों का दौरा करने वाले प्रतिनिधि मंडल का प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है ;

(ख) यदि हां, तो उस में क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमन्त्री** (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी हां ।

(ख) विवरण संलग्न है ।

विवरण

शिष्ट मंडल के प्रतिवेदन की मुख्य सिफारिशें यह हैं :—

१. भारत की इंजीनियरिंग वस्तुओं का प्रचार तथा प्रसार करने की अत्यधिक आवश्यकता ।

२. भारतीय निर्माताओं निर्यात कर्ताओं को विदेशी आयात कर्ताओं से निजी सम्पर्क स्थापित करना चाहिए ।

३. 'सर्विसिंग' की ज़रूरत वाली वस्तुओं के बारे में 'सर्विस' संगठन स्थापित करने चाहिए । विदेशी खरीददारों के प्रतिनिधियों को पुन प्रशिक्षण सुविधायें देनी चाहिए ।

४. नये बाजारों में नई वस्तुओं के निर्यात के लिए तथा छोटे निर्माताओं को वित्तीय गारंटी तथा बाज़ार अनुसंधान सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए निर्यात गृह स्थापित होने चाहिए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

५. पश्चिम अफ्रीका तथा लैटिन अमरीका में वस्तुओं का विक्रय करने के अनुभव वाले वाणिज्यिक गृहों की सेवायें इन देशों में भारतीय इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए उपयोग करनी चाहिएं।

६. यूगोस्लाविया, ब्रिटेन, तथा ईरान को ढली हुई चीज़ों के निर्यात के लिए विशेष प्रयत्न किए जाने चाहिए।

७. यूगोस्लाविया तथा संयुक्त अरब गणराज्य जैसे देशों से व्यापार में सहयोग की संभावनाओं को खोजना चाहिए।

८. पश्चिम एशिया तथा अफ्रीका के देशों में भारी इंजीनियरिंग वस्तुओं को भेजने की आशा।

९. इंजीनियरी सामान निर्यात संवर्द्धन परिषद् को काहिरा में कार्यालय खोलना चाहिए।

(ग) सिफारिशें मुख्यतः निर्यातकों/निर्माताओं द्वारा कार्यान्वित करने के लिये हैं। सरकार जहां कहीं आवश्यक होगा उचित सुविधाएं देने को तैयार है।

निर्यात संवर्धन

†३३४८. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २ मई १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १८५७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात संवर्धन के लिये अग्रिम लाइसेंस देने की प्रणाली के अन्तर्गत नकली रेशम का धागा देने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम है ?

†**वाणज्य मन्त्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां।

(ख) १·२५ करोड़ रुपये की लागत तक नकली रेशम के धागे के आयात के लिये अग्रिम लाइसेंस राजकीय व्यापार निगम को दिये जाएंगे। आयात किया गया धागा नकली रेशम के कपड़े बनाने वाले निर्माताओं को दिये जाएंगे और उस कपड़े के निर्यात में से होने वाली आय में से वह राशि काट ली जाएगी।

छोटे पैमाने के उद्योग

†३३४९. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २ मई १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४२५५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि छोटे पैमाने के उद्योगों से संबंधित विभिन्न सरकारी विभागों का पुनर्गठन करने के लिये एक समिति स्थापित करने के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : समिति स्थापित हो चुकी है और उससे छः महीनों के अन्दर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की प्रार्थना की गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

सिद्धपुर में श्री सया जी जुबली कॉटन एण्ड जूट मिल्स

†३३५०. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री मो० ब० ठाकुर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २ मई, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४२८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री सिया जी जुबली सूत और पटसन मिल पुनः आरम्भ हो गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह कब पुनः चालू होगा ?

†**वाणिज्य मन्त्री** (**श्री** कानूनगो) : (क) से (ग) यह ख्याल किया जाता है कि मिल के स्वामित्व में परिवर्तन के बारे में बात चीत जारी है और यदि वह कामयाब हो गई और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी हो गईं, तो मिल पुनः चालू हो जाएगा।

औद्योगिक सहकारी संस्थाएं

†३३५१. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २ मई, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४२८६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक सहकारी संस्थाओं संबंधी गोष्ठी की सिफारिशों पर किये गये विमर्शों का स्वरूप और ब्यौरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री** (**श्री मनुभाई शाह**) : अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ? **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३८]**

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में श्रम सम्बन्धी समस्याएं

†३३५२. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २ मई, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४२९४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों में श्रम सम्बन्धी समस्याओं के बारे में एक पत्र के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से उत्तर प्राप्त हो चुके हैं और

(ख) यदि हां, तो क्या कार्रवाई की गई है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) सभी राज्यों की सरकारों से अभी तक उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ख) मामलों पर राज्य सरकारों से , अब तक प्राप्त हुये उत्तरों को दृष्टि से विचार किया जा रहा है ।

नागपुर में कुटीर उद्योगों का एम्पोरियम

†३३५३. **श्री पांगरकर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या नागपुर में कुटीर उद्योगों का एम्पोरियम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो यह कब स्थापित किया जाएगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनूभाई शाह)** : (क) नागपुर में दो एम्पोरियम हैं एक हथकरघा कपड़े के लिये और दूसरा दस्तकारी के लिये। तीसरा ऐम्पोरियम खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

औद्योगिक बस्ती

†**३३५४. श्री पांगरकर** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारी पंच वर्षीय योजना अवधि में कुल कितनी औद्योगिक वस्तियां स्थापित की गई हैं; और

(ख) क्या योजना अवधि के लिये निर्धारित लक्ष्य पूरा हो चुका है ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख) दूसरी योजना अवधि के लिए १२० औद्योगिक बस्तियां अनुमोदित की गई थीं। इन में से ७५ वस्तियां पूरी हो चुकी हैं और अवशिष्ट ४५ बस्तियां निर्माण के विभिन्न स्तरों पर हैं ।

प्रीमियर आटोमोबाइल्स, बम्बई

†**३३५५. श्री पांगरकर** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रीमियर आटोमोबाइल बंबई में १९६० में उत्पादन में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) १९५९ के आंकड़ों की तुलना में कम हैं या अधिक ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). वर्ष १९५९ और १९६० के उत्पादन आंकड़े नीचे दिये जाते हैं :

	१९५९ (संख्या)	१९६० (संख्या)
कारें	४४५९	६५१६
वाणिज्यिक गाड़ियां	५४०७	६३४७

प्रसाधन सामग्री का उत्पादन

†**३३५६. श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६० में प्रसाधन सामग्री का कुल कितना उत्पादन हुआ है; और

(ख) क्या उत्पादन बिल्कुल देशी था या किसी विदेशी सहयोग के साथ था ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) १९६० में प्रसाधन सामग्री का कुल उत्पादन संगठित क्षेत्र में २.५ करोड़ रुपये की लागत का था ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) उत्पादन अंशतः देशी और अंशतः विदेशी सहयोग के साथ था ।

मैसूर में रेशम उद्योग

†३३५७. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६०–६१ में मैसूर राज्य में रेशम उद्योग के विकास के लिये सरकार ने कोई खास कार्रवाई की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) विवरण संलग्न है **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३९]**

आन्ध्र प्रदेश में उद्योगों के लिये लाइसेंस

†३३५८. **श्री मं० वें० कृष्ण राव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी योजना अवधि में आंध्र प्रदेश में नये उद्योग आरंभ करने के लिये कितने लाइसेंस दिये गये हैं ;

(ख) क्या इन सब लाइसेंसों का उपयोग किया गया है; और

(ग) यदि नहीं तो कितनों का उपयोग नहीं किया ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) दूसरी योजना अवधि में आंध्र प्रदेश में नये उपक्रम स्थापित करने के लिये ५८ लाइसेंस दिये गये थे ।

(ख) और (ग). इन में से ५ लाइसेंस रद्द कर दिये गये हैं । अन्य सब मामलों में या तो उपक्रम स्थापित हो चुके हैं या स्थापित होने की प्रक्रिया में हैं ।

आन्ध्र प्रदेश में गन्दी बस्तियों का हटाया जाना

†३३५९. **श्री म० वें० कृष्ण राव** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना अवधि में गन्दी बस्तियों के हटाये जाने की योजना के लिये आंध्र प्रदेश को कितना धन दिये जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) प्रस्तावित योजना का क्या ब्यौरा है ?

†**निर्माण आवास और सम्भरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) तीसरी योजना अवधि में गन्दी बस्तियों के हटाये जाने की योजना की कार्यान्विति के लिये आंध्र प्रदेश को ८९ लाख रुपये का नियतन किये जाने की संभावना है, जिसमें से ६७ लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता होगी और शेष राशि राज्य का अपना अंशदान होगी ।

(ख) आंध्र प्रदेश सरकार ने अभी तीसरी योजना में आरंभ की जाने वाली उनकी गन्दी बस्तियों की सफाई की परियोजनाओं का ब्यौरा नहीं दिया है । संशोधित प्रक्रिया के अन्दर, योजना के अन्तर्गत उनकी तीसरी योजना के नियत तक, परियोजनाओं को मंजूर करने में सक्षम है, और उसके लिये उन को केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति लेनी नहीं पड़ती ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिमाचल प्रदेश में चमड़ा उद्योग

†३३६०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में चमड़ा उद्योग के विकास के लिये क्या खास कार्यवाइयां की गई हैं; और

(ख) अनुसूचित जातियों और अन्य संगटनों को निधि नियतन करने में क्या परिवर्तन किये गये हैं ताकि वे चमड़ा उद्योग आरंभ कर सकें ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएंगी ।

नई दिल्ली में औद्योगिक प्रदर्शनी

†३३६१. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १४ नवम्बर, १९६१ से आरंभ होने वाली आगामी औद्योगिक प्रदर्शनी में कौन से देश भाग लेंगे ;

(ख) प्रदर्शन के काम पर कुल कितना प्रत्याक्षित व्यय होगा; और

(ग) टिकट बेचने आदि के द्वारा कितनी आय की प्रत्याशा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमन्त्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) : विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग). प्रदर्शनी भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ द्वारा आयोजित की जा रही है । वह इस सम्बन्ध में आय और व्यय के लिये उत्तर दायी होगा ।

विवरण

क्रमांक	भाग लेने वाले देश का नाम
१.	आस्ट्रिया
२.	बुलगारिया
३.	चैकोस्लोवाकिया
४.	फ्रांस
५.	जर्मन प्रजातंत्रात्मक गणतंत्र
६.	हंगरी
७.	इटली
८.	जापान
९.	उत्तर वियतनाम
१०.	पोलैंड
११.	रूमानिया
१२.	स्विटजरलैंड (सीवा)
१३.	संयुक्त अरब गणराज्य

†मूल अंग्रेजी में

१४. इंगलैंड

१५ संयुक्त राज्य अमरीका

१६. रूस

१७. पश्चिम जर्मनी

१८. युगोस्लाविया

कोयला खानों के कर्मचारियों के लिये मकान

†३३६२. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १९ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न अंक ५१६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों के कर्मचारियों के लिये २५,००० मकान और ४१७ बैरकें बनाई जा रही हैं ;

(ख) उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या काम आरम्भ हो चुका है और अब किस हालत में है ?

†**श्रम और रोजगार उपमन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) और (ख). विभिन्न कोयला क्षेत्रों में अल्प-लागत आवास योजना के अन्तर्गत बनाये जाने के लिए प्रस्तावित मकानों / बैरकों की संख्या इस प्रकार होगी :

क्रमांक	कोयला क्षेत्र का नाम	मकानों की संख्या	बैरकों की संख्या
१.	झरिया	६१०४	५१
२.	मुगया	८५०	६
३.	बोकारो	२२६	३
४.	करनपुरा रायगढ़	११२५	१
५.	रानीगंज	९३८८	४०
६.	पेंच घाटी	६००	२
७.	कोरिया	६४०	—
८.	विन्ध्य प्रदेश	५६१	३
९.	चांदा	२५०	२
१०.	आसाम	१३९०	१
११.	आंध्र प्रदेश	१२२४	—
१२.	संवलपुर	२०२	१
१३.	तलचर	२०	१
	योग	२२५८०	१११
	विचारणीय नियतन	२४२०	३०६
	कुल जोड़	२५०००	४१७

(ग) अक्तूबर १९६१ तक निर्माण कार्य आरंभ होने की संभावना है ।

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर प्रदेश में गन्दी बस्तियों का हटाया जाना

†३३६३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में गन्दी बस्तियों की सफाई की कौन सी योजनाएं प्रगति पर हैं ;

(ख) उन में से प्रत्येक योजना के लिये अब तक कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है; और

(ग) अब तक कितनी प्रगति की गई है ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण उपमन्त्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। **[देखियं परिशिष्ट ४, अनुबन्ध अंक ४०]**

नंगल उर्वरक कारखाना

†३३६४. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नंगल में उर्वरक कारखाना के लिए जिनकी भूमि ली गई है क्या उन लोगों को कोई प्रतिकर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो व्यक्तियों को कुल कितनी धन राशि दी जायेगी,

(ग) अब तक कितना धन दिया जा चुका है;

(घ) बकाया का तत्काल भुगतान करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ङ) क्या प्राप्त भूमि का कोई भाग प्रभावित गांवों के निवासियों के लिए छोड़ा जायेगा और यदि हां तो कितना?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमन्त्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) हां।

(ख) ६०,४७,९३५.३९ रु०।

(ग) और (घ). उर्वरक निगम प्रतिकर की पूरी राशि जिले के कलक्टर के पास जमा कर दी है।

(ङ) लगभग १००० एकड़ भूमि राज्य सरकार को दी जा रही है।

सहायक अभ्रक श्रम कल्याण अधिकारी

†३३६५. **श्री प्र० गं० देव** :
श्री नरसिंहगम् :
पंडित कृष्ण चन्द्र शर्मा :
श्री मो० ब० ठाकुर :
श्री सुगन्धि :
श्री राम गरीब :
श्री बै० चं० कामले :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सहायक अभ्रक श्रम कल्याण अधिकारी का मुख्यालय गुदूर से आन्ध्र प्रदेश के जिला नेल्लौर में कालीचेदू गांव ले जाने का विचार है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या कुछ वर्ष पूर्व जबकि ऐसा ही प्रस्ताव किया गया था, इस मुख्यालय को शुदूर में ही रहने दिया गया था; और

(ग) नया प्रस्ताव रखने के क्या कारण हैं ?

†**श्रम उपमन्त्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख) हां।

(ग) कार्य कुशलता और मितव्ययता :

श्रम निरीक्षकों (केन्द्रीय) के स्थायी पद

†**३३६६. श्री जं० ब० सिं० बिष्ट** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के कार्यालय में श्रम निरीक्षकों (केन्द्रीय) और समझौता अधिकारियों (केन्द्रीय) के ८० प्रतिशत अस्थायी पदों को स्थायी बनाने के आदेश अभी कार्यान्वित नहीं किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और वे कब तक लागू होंगे; और

(ग) ३० जून, १९६१ को ऐसे कितने अस्थायी पद थे जिन्हें भारत सरकार के अनुदेशानुसार स्थायी बनाया जायेगा ?

†**श्रम उपमन्त्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). समझौता अधिकारियों के पदों के प्रस्ताव सहमति के लिए वित्तीय प्राधिकारियों को भेज दिये गये हैं। श्रम निरीक्षकों के बारे में अधीनस्थ संघों से जानकारी मांगी गई है और शीघ्र आदेश जारी किये जाने की आशा है।

(ग) २८—समझौता अधिकारी	६।
निरीक्षक	२२।

अन्नपूर्णा के लिये भारतीय अभियान दल

†**३३६७. श्री श्रीनारायण दास** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उस भारतीय दल का मूल शिविर जो अन्नपूर्ण चोटी की चढ़ाई में सफल रहा, लूट लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो ऐसा किन परिस्थितियों में हुआ;

(ग) क्या यह सच है कि उस क्षेत्र में कुलियों ने दाल का काम करने से मना कर दिया था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). मूल शिविर को मनांग गांव के निवासियों ने २१ अगस्त, १९६१ को लूटा था जबकि अभियान के सभी सदस्य ऊपर के शिविरों में थे।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) और (घ) अभियान द्वारा २००० रु० न दिये जाने तक गांव वालों ने कुली देने से मना कर दिया। हमारे राजदूत के हस्तक्षेप करने पर नेपाल सरकार ने कुछ शेरपा लोगों के साथ कुछ सैनिक उस क्षेत्र में भेजे। वे सामान अगले शिविर तक ले गये जहां कुली उपलब्ध थे।

दिल्ली में अनाधिकारवासी

†३३६८. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली/नई दिल्ली में सरकारी/गैर-सरकारी भूमि पर कितने कितने लोग अनाधिकारवास कर रहे हैं ;

(ख; क्या उन्हें पुनः बसाने की योजना बनाई गई है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(घ) उस पर कितना व्यय होगा;

(ङ) सारे अनाधिकारवासियों को कब तक वसा दिया जायेगा; और

(च) और अधिक अनाधिकारवास रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या की जायेगी?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण उपमन्त्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) दिल्ली प्रशासन की जनगणना के अनुसार ४३,८५७ परिवार दिल्ली/नई दिल्ली में अनाधिकार-वासी हैं। यह जनगणना जून--जलाई, १९६१ में झुग्गी तथा झोंपड़ी हटाओ योजना के अन्तर्गत की गई थी। गैर-सरकारी भूमि पर कितने परिवार अनाधिकारवास करते है, इस बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) झुग्गी तथा झोंपड़ी हटाओ योजना में सुपात्र अनाधिकारवासी परिवारों, अर्थात् जिनकी गणना का उपरोक्त भाग (क) में उल्लेख है, को पुनः बसाने की व्यवस्था है।

(ग) योजना में प्रत्येक सुपात्र परिवार के लिए ऐसे खुले भूमिखण्ड उपबन्ध है जिसका क्षेत्रफल लगभग ८० वर्ग गज हो और जिसके साथ पाखाना, स्नानस्थान और उठी कुर्सी हो और जिसकी औसत अधिकतम लागत १७५० रु० हो। प्रत्येक भूमिखन्ड की आधी लागत लाभग्राहियों से ली जायेगी और आधी लागत आर्थिक सहायता समझी जायेगी। यह बात उन परिवारों पर लागू नहीं होगी जिनकी आय २५० रु० या अधिक प्रतिमास है, उनसे पूरा मूल्य लिया जायेगा। योजना को दिल्ली नगरपालिका निगम लागू कर रहा है।

(घ) आरम्भ में लगभग २५,००० परिवारों को बसाने की योजना पर ३.८३ करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान लगाया गया था। संभव है कि (१) भूमि लेने और विकसित करने तथा इमारती सामान के मूल्य में, और (२) अनाधिकारवासी परिवारों की संख्या में वृद्धि होने के कारण इस प्राक्कलन में संशोधन हो।

(ङ) दिल्ली नगरपालिका निगम ने योजना को कार्यान्वित करना आरम्भ कर दिया है और यह काम ३१ मार्च, १९६२ तक पूरा हो जाना चाहिये। संभव है कि इस बार निर्धारित समय में कुछ संशोधन हो।

---

†मूल अंग्रेजी में

(च) और अनाधिकारवास के लिए दृढ़तापूर्ण निरुत्साहित किया जायेगा और प्रत्येक नये अनाधिकारवासी को पुलिस की सहायता से, यदि आवश्यकता हो, वैकल्पिक आवास की मांग माने बिना हटा दिया जायेगा । दिल्ली के चारों ओर छोटे-छोटे नगरों का प्रस्तावित विकास, जो कि मास्टर प्लान में सम्मिलित है, से भी दिल्ली की बढ़ती जनसंख्या को कम करने में और दिल्ली में सरकारी तथा गैर-सरकारी भूमियों पर अनाधिकारवास रोकने में सहायता मिलेगी ।

ओरियेण्ट पेपर मिल्स लि०, कलकत्ता

†३३६९. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनीलाल :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ८ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६७५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओरियेन्ट पेपर मिल्स लि०, कलकत्ता को अमरीका के निर्यात–आयात बैंक के ऋण की शर्तें इस बीच निर्धारित हो गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). हां, श्रीमान् । मिल्स को अनुमति दे दी गई है कि वह अमरीका के निर्यात: आयात बैंक के ऋण से अमरीका से १३५ लाख डालर के मूल्य का कागज व लुग्दी संयंत्र तथा मशीनें आयात कर ले । ऋण का भुगतान अन्यूनतम २० समान आर्धवार्षिक किस्तों में होगा जो कि १५ मई, १९६४ से आरम्भ होगा । ऋण का व्याज आर्ध वार्षिक दिया जायेगा और उसकी दर ५½% वार्षिक से अधिक न होगी ।

संयत्र तथा मशीनों की शेष आवश्यकता की पूर्ति मिल्स स्वदेशीय साधनों से करेंगे ।

लंका में भारतीयों पर कर

†३३७०. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनीलाल :
श्री अर्जुनसिंह भदौरिया :
श्री सूपकार :
श्री मो० ब० ठाकुर :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री तंगामणि :
श्री कुन्हन् :

क्या **प्रधान मन्त्री** २४ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १०८३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अपने उन सुझावों का कोई उत्तर मिल गया है जो उसने लंका की सरकार से भारतीयों को बढ़ी हुई फीस का भुगतान करने से छूट देने के बारे में किये थे; और

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर मिला है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा बैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) हां ।

(ख) लंका की सरकार ने उत्तर दिया है कि वह भारत के पंजीवद्ध नागरिकों को १० अक्टूबर, १९५४ के बाद अस्थायी आवास कर से छूट देने के लिए विधान बनायेंगे । व्यक्तियों की अन्य श्रेणियों को छूट देने की बात भी लंका-सरकार के विचाराधीन है ।

रानी एलिजाबेथ की भारत यात्रा की रंगीन फिल्म

†३३७१. **श्री रामकृष्ण गुप्त** :
श्री चुनीलाल :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री २४ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२३८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि रानी की यात्रा की रंगीन, फिल्म बनाने में क्या प्रगति हुई है ?

†**सूचना और प्रसारण मन्त्री (डा० केसकर)** : फिल्म तैयार हो गई और २४–३–१९६१ को जन-प्रदर्शन के लिये दे दी गई थी ।

दिल्ली का जनता होटल

†३३७२. **श्री रामकृष्ण गुप्त** :
श्री चुनीलाल :
श्री कोडियान :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री २३ फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंग कि दिल्ली में जनता होटल बनाने में इस बीच और क्या प्रगति हुई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : इस बीच दिल्ली में जनता होटल बनाने का प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया है क्योंकि तीसरी पंच वर्षीय योजना में सामान्य "पूल" में आवास के निर्माण के लिय थोड़ी धन-राशि रखी गई है ।

'ज्योफोन'

†३३७३. **श्री रामकृष्ण गुप्त)** :
श्री चुनीलाल :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २९ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ११९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को 'ज्योफोन' नामक उपाय के बारे में जिससे न्यूनतम छः घन्टे पहिले कोयला या गैस के विस्फोट के बारे में बताया जा सकता है और जो खानवालों की बहुत बड़ी सहायता है, रूसी प्राधिकारियों से पूरा ब्यौरा प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) और (ख). हां। रूसी दूतावास से प्राप्त विस्तृत जानकारी रूसी भाषा में है। उसका अनुवाद कराया जा रहा है ।

पश्चिम जर्मनी को निर्यात

†३३७४. { **पंडित द्वा० ना० तिवारी** :
श्री दामानी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी जर्मनी द्वारा 'जर्मन मार्क' का पुनः मल्यांकन किये जाने का भारतीय व्यापार पर और पश्चिमी जर्मनी को उसके निर्यात पर विशेष कर चाय, काफी और कपड़े के निर्यात पर कोई प्रभाव पड़ा है; और

(ख) क्या पुनः मल्यांकन के बाद ही इन वस्तुओं का निर्यात कम हुआ है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमन्त्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जर्मनमार्क का पुनः मूल्यांकन होने का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव भारत के व्यापार पर, कुल पर या उल्लिखित वस्तुओं के व्यापार पर, नहीं पड़ा है ।

(ख) चाय, काफी और सूती कपड़े का निर्यात कुछ बढ़ गया है और पटसन के बोरों का निर्यात कुछ कम हो गया है । परन्तु ये परिवर्तन अनेक कारणों से हुए हैं ।

केबिल फैक्टरी

†३३७५. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में केबिल कारखाना बनाने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है या की जायेगी ; और

(ख) यह कब स्थापित होगी ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). तीसरी और चौथी योजनाओं में दूर-संचार के तारों की देश की आवश्यकता के हाल में किये गये पुनरीक्षण से विदित होता है कि सरकार को बढ़ी हुई मांग की पूर्ति के लिय एक और कारखाना खोलना पड़ेगा। यह बात अभी विचाराधीन है और निश्चय करने में कुछ समय लगेगा ।

गोआनियों और पुर्तगाली सैनिकों के बीच झगड़ा

†३३७६. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोरलेम सेंक्वेलिम तथा क्वेरिम क्षेत्रों के पास हाल में पुर्तगाली सैनिकों और गोआनी राष्ट्रवादियों में कुछ सशस्त्र झगड़ा हो गये थे; और

(ख) यदि हां तो दोनों ओर के कितने व्यक्ति मरे ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य-मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) सूचना मिली है कि इन क्षत्रों में २२/२३ मार्च, २५ अप्रैल और ६ मई, १९६१ को झगड़े हुए थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) तीनों घटनाओं में पुर्तगाल के कुल दो व्यक्ति मरे और लगभग पांच व्यक्ति मरे और गोआनी राष्ट्रवादियों में एक व्यक्ति मरा ।

कांगो में भारतीय सैनिक

†३३७७. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांगों में कमीना में भारतीय सनिकों पर शाम्बे प्रशासन ने वैरपूर्ण नियन्त्रण लगाय हैं ।

(ख) यदि हां, तो वे नियन्त्रण क्या हैं और उनके लगाये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख) समाचार-पत्रों के अनुसार शोम्बे ने कटंगा में भारतीय सैनिकों के आने पर आपत्ति थी । प्रत्यक्ष है इसका कारण यह था कि संयुक्त राष्ट्र के शक्तिशाली सैनिकों के होने से शोम्बे की कुछ योजनायें विफल हो जायेंगी । उन्होंने घोषणा की कि भारयोय सैनिकों को कोई भी रसद आदि न दें और धमकी भी दी कि एलिजाबेथ और कमीना के बीच की रेलवे लाइन काट दी जायेगी । इन धमकियों को लागू नहीं किया गया और सैनिकों का संभरण या रसद की कोई कमी नहीं रही ।

(ग) कांगों में भारतीय सैनिक संयुक्त राष्ट्र कमान के अन्तर्गत हैं । विचार है कि संयुक्त राष्ट्र कमान ने शोम्बे की कार्यवाही रोकने के लिए आवश्यक कार्यवाही की थी ।

एरणाकुलम में इस्पात के तार के रस्से बनाने का कारखाना

†३३७८. **श्री कुन्हन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १६ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८१३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि एरणाकुलम में इस्पात के तार की रस्से बनाने का कारखाना स्थापित करने का लाइसेन्स क्यों अस्वीकार कर दिया गया ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैसर्स सेशसाई ब्रादर्स (त्रावनकोर) : प्राइवेट लि अलवा में केरल राज्य ने १४ नवम्बर, १९६० को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियमन, १९५१ के अन्तर्गत, इस्पात के तार के रस्से का कारखाना एरणाकुलम जिले में स्थापित करने के लिये लाइसेन्स देने की प्रार्थना की थी । लाइसेन्सिंग कमेटी ने २ फरवरी, १९६१ को अन्य मामलों के साथ प्रार्थनापत्र पर विचार किया । कमेटी की सिफारिश पर प्रार्थियों से एसे विस्तृत प्रस्ताव भेजने को कहा गया जिनमें तार के रस्से बनाने की शर्तों और योजना के लिये अर्थव्यवस्था का उल्लेख हो । १२ अप्रैल, १९६१ की बैठक में लाइसेन्सिंग कमेटी ने फर्म को निम्न शर्तों पर लाइसेन्स देने की सिफारिश की : (१) पूंजीगत सामान का आयात और विदेशी सहयोग की शर्तें सरकार के लिय सन्तोषजनक हों, और (२) लाइसेन्स ३००० टन तार की रस्सी प्रति वर्ष बनाने का है जो कि न्यूनतम लाभप्रद क्षमता है । इसके बाद ३ जून, १९६१ को फर्म को लाइसेन्स दे दिया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

लकड़ी काटने का आरा

†३३७९. **श्रीमती इला पालचौधरी : वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान दिनांक ८ मई, १९६१ के 'इंडियन एक्स्प्रेस' में इस समाचार की ओर गया है कि ब्रिटेन में मशीनी औजार बनाने वाली एक फर्म ने एक नये ऐसे गन्त्री प्रकार का लकड़ी काटने का आरा (ट्रिमिंग सॉ) बनाया है जो ९ फुट लम्बी और ४ फुट चौड़े लकड़ी के तख्ते को तीन इंच गहराई तक काट सकता है ;

(ख) क्या भारत में इसका प्रयोग करने की दृष्टि से इसके बारे में कोई पूछताछ की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** :(क) से (ग). प्रश्न में उचित उल्लिखित समाचार को सरकार ने देखा है कि ब्रिटेन में एक निर्माणकर्ता ने एक नये प्रकार का आरा बनाया है । फिर भी, इस मामले में उन्हें कोई जानकारी नहीं है ।

बिहार में अम्बर चर्खा

†३३८०. **श्री विभूति मिश्र : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंच वर्षीय योजना में अब तक बिहार राज्य को अम्बर चर्खा के प्रचार के लिये प्रति वष कितना धन दिया गया है ;

(ख) अब तक कितना उत्पादन हुआ है; और

(ग) अब तक कितने केन्द्र खुले ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४१]**

कृषि मजदूर

†३३८१. **श्री विभूति मिश्र : क्या श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामुदायिक विकास की योजना से कृषि मजदूरों को कितना लाभ हुआ है ;

(ख) क्या लाभ आशानुकल है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करेगी ?

†**श्रम उपमन्त्री (श्री आबिद अली)** : (क) कोई ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है । द्वितीय कृषि श्रमिक जांच का विशेष उद्देश्य यह निर्धारित करना न था कि सामुदायिक विकास की योजना से कृषि मजदूरों को कितना लाभ हुआ है । फिर भी, जांच के लिये चुने गये लगभग एक तिहाई गांव सामुदायिक विकास योजनाओं के क्षेत्रों में थे । अतः जांच रिपोर्ट में इन क्षेत्रों के मजदूरों की स्थितियों का सामुदायिक विकास के क्षेत्रों के मजदूरों की स्थितियों से कुछ तुलना की गई है । फिर भी, इस पर जोर देना चाहिये कि नमूने से यह नहीं कहा जा सकता कि उचित तुलना की गई है ।

मूल अंग्रेजी में

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

नागा विद्रोही

†३३८२. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सशस्त्र सेनाओं तथा नागा विद्रोहियों के बीच १ मई, १९६१ से ३१ जुलाई, १९६१ तक कितनी मुटभेड़ें हुई हैं ;

(ख) सुरक्षा सेनाओं तथा विद्रोहियों के अलग-अलग कितने आदमी मरे,; और

(ग) विद्रोहियों से कितने शस्त्र पकड़े गये ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

यह जानकारी प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है तथा नागा लैंड, मनीपुर और आसाम के मैदानी इलाकों के बारे में है ।

(क) मुठभेड़ों की संख्या		५१
(ख) मरने वालों की संख्या	सुरक्षा सैनिक	५
	विद्रोही नागा	४८
(ग) पकड़े गए हथियार		
राइफल्स		३९
टामीगन		१
स्टैनगन		२
ब्रीच एण्ड मृजल लोडिगं बन्दूकें		१३
पिस्तोल तथा रिवाल्वर		४

भूतपूर्व शासकों के पास विस्फोटक पदार्थों का स्टाक

†३३८३. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान के भूतपूर्व शासकों तथा जागीरदारों से विस्फोटक पदार्थ के स्टाक ले लिए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो यह कितनी मात्रा में मिला है तथा इस में कितनी मात्रा का प्रयोग किया जा सकता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) और (ख) राजस्थान के भूतपूर्व शासकों तथा जागीरदारों के पास पड़े विस्फोटक पदार्थों को लेने का काम केन्द्रीय सरकार का नहीं है। इसका कुछ भाग राजस्थान सरकार के कब्जे में आ गया है तथा कुछ भूतपूर्व शासकों तथा जागीरदारों के ही कब्जे में अभी तक है। राजस्थान के जिला अधिकारियों द्वारा समय-समय पर इस के संबंध में की गई सूचना के आधार पर चीफ इंस्पैक्टर आफ एक्सपलासिव से सभी भंडारों का निरीक्षण करने को कहा गया है और यह भी कहा गया है कि इन गोली बारूद के भंडार के लिए पूरी सावधानी बरतें तथा बेकार स्टाक को नष्ट कर दें। विस्फोटक पदार्थ विभाग को बताये गये राजस्थान के स्थानों की सूची तथा विस्फोटक पदार्थ विभाग के अधिकारियों द्वारा जिन स्थानों पर पुरानी बारूद नष्ट की गई है, उन स्थानों की सूची दिखाने वाले दो विवरण संबद्ध हैं। **[देखिए परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४२ और ४३]**

हरितनील मणि का निर्यात

†३३८४. **श्री दामानी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिना तराशी हुई हरित नील मणि तथा तराशे हुए पन्ने का १०० पौंड के डाक पार्सल के साथ में निर्यात करने की अनुमति देने का निर्णय कर लिया गया है ; और

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) आयात किए गए बिना तराशे हरितनील मणि तथा तराशे हुए पन्नों का निर्यात करने की ५०० तोले के डाक पार्सल के रूप में करने की अनुमति है ।

(ख) प्राक्कलन उपलब्ध नहीं है ।

प्रशुल्क आयोग

†३३८५. **श्री दामानी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रशुल्क आयोग के पास कितनी जांच करनी है तथा यह जांच किन तिथियों में उन को सौंपी गई थी ; और

(ख) क्या प्रशुल्क आयोग को कोई तिथि बताई गई है जिसको वह इन जांचों पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: एक विवरण संबद्ध है। **[देखिए परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या ४४]** ।

(ख) जी नहीं ।

वोल्टा बांध के लिये घाना को सहायता

†३३८६. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घाना सरकार ने बोल्टा बांध के आयोजन तथा बनाने के लिए एक भारतीय अधिकारी की सहायता मांगी है ; और

(ख) क्या अधिकारी की सेवायें दे दी गई हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

¹Aquamarine Stone.

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) घाना सरकार ने घाना में वोल्टा नदी की परियोजना को बनाने के लिए एक भारतीय अधिकारी की सेवायें मांगी हैं।

(ख) जी हां, पिछले कुछ वर्षों में श्री एस० रत्नम, विशेष कार्य पदाधिकारी वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की सेवायें थोड़ी-थोड़ी अवधि के लिए घाना सरकार को दी गई है ।

कपड़े का निर्यात

†३३८७. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में ब्रिटेन को कपड़े का निर्यात करने की स्थिति क्या है; और

(ख) स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) १९६०–६१ में भारत से ब्रिटेन को लगभग १८४४.१ लाख गज सूती कपड़े का निर्यात हुआ था जब कि पहले वर्ष १८६६.० लाख गज निर्यात था। इस से स्थिरता मालूम होती है।

(ख) ब्रिटेन को सूती कपड़े का निर्यात भारतीय सूती कपड़ा उद्योग तथा यू० के० काटन बोर्ड में हुए एक समझौते के अनुसार होता है जिस के अनुसार १७५० लाख गज सूती कपड़ा प्रतिवर्ष भारत से उस देश को जायेगा। यह समझौता १९६१ तक मान्य है। सूती कपड़े की निर्यात बढ़ोत्तरी के लिये कुछ उत्साहजनक योजनायें ब्रिटेन के निर्यात पर भी लागू होती है।

पुनर्वास मंत्रालय के गजेटेड अफसरों की छंटनी

†३३८८ **श्री बहादुर सिंह** :
श्री नेक राम नेगी :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्वास मंत्रालय के कितने गजेटेड अफसर केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में लगा लिये गये हैं ; और

(ख) जुलाई, १९६१ तक कितने अफसरों की छंटनी हुई थी ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) ५५ ; (उन सभी अफसरों समेत जो सेवा में ही अन्य विभागों में नियुक्त कर दिये गये)

(ख) ८२ (१ जनवरी १९६० से)।

हस्तशिल्पिकों तथा निरीक्षकों के लिए केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्था, बम्बई

†३३८९ **श्री बहादुर सिंह** :
श्री नेक राम नेगी :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार तथा अमरीका के बी च कोई समझौता हुआ है जिस के अधीन हस्ताशिल्पिकों तथा निरीक्षकों के लिये केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्था, बम्बई को अमरीकी सहायता बढ़ जायेगी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यह सहायता किस प्रकार से दी जायेगी ; और

(ग) तीसरी पंच वर्षीय योजना में उद्योगों के लिये इस बढ़ी हुई सहायता से कितने हस्त-शिल्पी तथा निरीक्षक बढ़ जायेंगे ।

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

आइसोटोप्स का निर्यात

†३३९०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशों को आइसोटोप्स का निर्यात कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो किन देशों को ; और

(ग) इस मद से १९६०-६१ में कितनी विदेशी मुद्रा की आय होगी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी हां ।

(ख) थाई लैंड (बंगकोक)

(ग) लगभग ९५० रुपये ।

मोनाजाइट निक्षेप

†३३९१ **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० गं० देव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में उपलब्ध मोनाजाइट निक्षेपों की मात्रा का निर्धारण करने के लिये कोई सर्वेक्षण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या परिणाम हुये ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) भारत के तटीय क्षेत्र के साथ साथ विभिन्न स्थानों पर तथा बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ आन्तरिक स्थानों पर सर्वेक्षण किये जा रहे हैं ।

(ख) वर्तमान प्राक्कलन के अनुसार भारत में मोनाजाइट के रिजर्व ५० लाख टन से अधिक हैं ।

जनता होटल, दिल्ली के लिये भूमि

३३९२. **श्री खुशवक्त राय** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रस्तावित नवीन जनता होटल के निर्माण के लिये आवश्यक भूमि का चयन कर लिया गया है ;

(ख) क्या यह भूमि खाली है या उस पर मकान बने हुए हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि उस पर मकान बने हुए हैं तो उन्हें तोड़ने से जो व्यक्ति बेघर हो जायेंगे उन्हें बसाने का क्या प्रबन्ध किया गया है ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) से (ग). प्रस्तावित जनता होटल के निर्माण के लिये स्थान चुन लिया गया था और उस जगह बने हुए क्वार्टरों को उनमें रहने वाले लोगों को दूसरे निवास स्थान देकर खाली करा लिया गया था। उनमें से अधिकांश क्वार्टर जो कि टूटी फूटी हालत में थे, गिराये जा चुके हैं।

अब जनता होटल के निर्माण के प्रस्ताव को आस्थगित (डैफर्ड) कर दिया गया है, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय आयोजना (प्लैन) में सामान्य समूह में स्थान के निर्माण के लिये उपलब्ध वित्तीय विनिधान (एलोकेशन) थोड़ा ही है।

तम्बाकू का आयात

†३३९३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक तम्बाकू का आयात एक दम बन्द कर देने का है; और

(ख) यदि हां, तो योजना के ब्यौरे क्या हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

हथकरघा उद्योग

†३३९४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा उद्योग के कार्यकारी दल ने केन्द्रीय सरकार से सिफारिश की है कि हथकरघा उद्योग की सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दिया जाता रहना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो इस योजना को प्रोत्साहित करने के लिये किस प्रकार की सहायता देने का विचार है; और

(ग) १९५८, १९५९ तथा १९६० में इस प्रकार की कितनी सहायता दी गई थी ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). एक विवरण सम्बद्ध है। **[देखिए परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४५]**

दिल्ली में पंजीबद्ध प्रवीण मजदूर

†३३९५. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के रोजगार तथा प्रशिक्षण निदेशालय में १९५९, १९६० १९६१ जून के अन्त तक कितने प्रवीण मजदूर पंजीबद्ध किये गये थे;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

‡Skilled Labour

(ख) प्रत्येक उपरलिखित अवधि में इनमें से कितने नियुक्त कर दिये गये तथा प्रत्येक अवधि के अन्त में कितने बाकी रह गये;

(ग) प्रत्येक अवधि में ऐसे मजदूरों के लिये कितने स्थान रिक्त हुए थे तथा प्रत्येक अवधि के अन्त में कितनों पर नियुक्तियां नहीं हुईं; और

(घ) क्या इन आंकड़ों से यह पता लगता है कि ठीक प्रकार के व्यक्तियों की कमी है और यदि हां, तो इस स्थिति को सुलझाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) से (ग

वर्ष	वर्ष में पंजीबद्ध प्रवीण तथा अर्द्ध प्रवीण व्यक्तियों की संख्या	वर्ष में नियुक्त अभ्यर्थियों की संख्या	वर्ष के अन्त में रजिस्टर में बचे हुए अभ्यर्थियों की संख्या	वर्ष में अधिसूचित रिक्त स्थानों की संख्या	वर्ष के अन्त में रिक्त स्थानों की संख्या
१९५९	९,१६५	९१६	५,९२७	२,६९७	५६९
१९६०	७,७०८	९४८	५,१६५	४,१०६	४४०
१९६१ जनवरी–जून	३,५१४	४५८	४,८३६	३,४७८	६७४

(घ) प्रशिक्षित व्यक्तियों की कुछ कमी है । इनकी व्यवस्था करते रहने के लिये अतिरिक्त प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है ।

औद्योगिक प्रबन्ध संबंधी उत्पादकता दल

†३३९६. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री ५ मई, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४६९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक प्रबन्ध सम्बन्धी उत्पादकता दल ने दौरे से लौट कर यह सिफारिश की है कि एक राष्ट्रीय प्रबन्ध संस्था स्थापित की जाये; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सिफारिश पर क्या कार्यवाही की है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) अखिल भारतीय प्रबन्ध संस्था की स्थापना के प्रश्न पर वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा सांस्कृतिक-कार्य मन्त्रालय में इस दल की सिफारिशों के अतिरिक्त विचार किया जा रहा है । कलकत्ता तथा अहमदाबाद में संस्थाओं की स्थापना के बारे में निर्णय कर लिया गया है । यह भी निर्णय किया गया है कि यह संस्थायें स्वायत्तशासी हों तथा समाज पंजीयन अधिनियम १८६० के अधीन पंजीबद्ध हों तथा संस्थाओं के कार्य तथा धन पर गवर्नरों के बोर्ड द्वारा प्रबन्ध किया जाये ।

†मूल अंग्रेजी में

डीज़ल दुर्गन्धनाशक पदार्थ

†३३९७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में एक ब्रिटिश फर्म जो तेल के मिश्रण और इंजन परीक्षण यंत्रों में विशेषता प्राप्त कर रही है, ने ऐसा डीजल दुर्गन्धनाशक पदार्थ बनाया है जो डीजल की दुर्गंध दूर करके 'आइस क्रीम सोडा' जैसी सुगन्ध देता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सड़क, रेल, तथा पानी के वाहनों के डीज़ल इंजन में इसके प्रयोग का प्रचार करने के लिये कोई कदम उठाये गये हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख): एक विवरण सम्बद्ध है ।

विवरण

(क) आसाम आयल कम्पनी की पत्रिका, बरोरी डिग्बोई में प्रकाशित ब्रिटिश सूचना सेवा के समाचार के अनुसार मालूम हुआ है कि तेल के मिश्रण तथा इंजन परीक्षण यंत्रों में विशेषता प्राप्त करने वाली एक ब्रिटिश फर्म के डीजल दुर्गन्ध को दूर करके आइस क्रीम सोडा की सुगन्ध देने वाला एक डीज़ल दुर्गन्धनाशक पदार्थ बनाया है । इस फर्म का विश्वास है कि सड़क रेल तथा पानी में चलने वाले वाहनों में डीजल का जो दुर्गन्ध वाला धुआं निकलता है वह इससे नहीं निकलेगा ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

बर्मा के साथ व्यापार

†३३९८. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों में बर्मा का भारत पर व्यापारिक बकाया बहुत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह बढ़ रहा है और क्या पिछले तीन वर्षों में इस बकाया के आंकड़े बढ़ रहे हैं; और

(ग) पिछले वर्ष में इसकी वृद्धि के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उप मंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख): बर्मा का भारत पर बकाया १९५८ में ३८ करोड़ रुपये थे, १९५९ में ३ करोड़ रुपये थे तथा १९६० में १२ करोड़ रुपये था ।

(ग) १९५९ की तुलना में १९६० में भारत पर बकाया इसलिये बढ़ गया था क्योंकि बर्मा से चावल और इमारती लकड़ी का बड़े पैमाने पर आयात हुआ था । इसके साथ-साथ हमारे कोयले तथा कोक, मूंगफली के तेल, सूती कपड़े, तथा जूट के निर्यात कम हो गये थे ।

ब्रिटेन से श्रमिकों के बारे में जानकारी

३३९९. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महत्वपूर्ण श्रम सम्बन्धी मामलों पर ब्रिटेन से जानकारी प्राप्त करने के लिये सरकार ने कोई विशेष प्रबन्ध किया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Diesel [2]Deodaram

(ख) यदि हां, तो पिछली छमाही में सरकार को किस प्रकार की जानकारी प्राप्त हुई ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) और (ख) लन्दन में जो भारतीय हाई कमिश्नर हैं वे ज़रूरत पड़ने पर श्रम सम्बन्धी मामलों पर सूचना प्राप्त कर सकते हैं। पिछले छः महीनों में ऐसी सूचना प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं पड़ी।

कल्याण प्रशिक्षण संस्था, भूली

३४००. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) कल्याण कार्यकर्त्ता प्रशिक्षण संस्था भूली प्रकार द्वारा चलाय गये तीसरे पाठ्यक्रम में कितने प्रशिक्षणार्थी पास हुए; और

(ख) प्रशिक्षित कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण का किस प्रकार उपयोग किया गया है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): (क) ३१।

(ख) पाठ्यक्रम का उद्देश्य बहु उद्देशीय कल्याण कार्यकर्त्ताओं को ट्रेनिंग देना था ताकि व कैंटीन और वाचनालय चलाने, स्वास्थ्य और शिक्षा की आरम्भिक देखभाल और ऐसे ही दूसरे मज़दूर कल्याण कार्य करने योग्य बन जाये। प्रशिक्षित कार्यकर्त्ताओं की ट्रेनिंग का किस प्रकार उपयोग किया गया इस बारे में सूचना प्राप्त नहीं।

अमरीका से रुई का आयात

३४०१. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका सरकार ने भारत सरकार की रुई की एक लाख बीस हजार गांठें भेजने की प्रार्थना पर क्या निर्णय किया है ;

(ख) क्या भारत को रुई मिलने की संभावना है ;

(ग) भारत में १९५१ से १९५९ तक प्रति वर्ष संयुक्त राज्य अमरीका तथा अन्य देशों से प्रतिवर्ष कितनी रुई आयात की गयी और भारत में उत्पादित रुई का वह कितने प्रतिशत है ;

(घ) किस किस्म की रुई का आयात किया जाता है और उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या इस प्रकार की रुई में भारत आत्म-निर्भर बन जायेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख): रुई का और अधिक आयात करने के बारे में अमरीकी अधिकारियों से बात-चीत चल रही है।

(ग) अपेक्षित जानकारी बताने वाला एक विवरण साथ में नत्थी है। **[देखिए परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४६]**

(घ) सामान्यत: अमरीका तथा दूसरे देशों से १ १ $^{1}/_{16}$ इंच या उससे अधिक लम्बे रेशे वाली रुई मंगाई जाती है। इसका कारण यह है कि इस किस्म की रुई का देश में इतना उत्पादन नहीं होता कि उससे भारतीय सूती वस्त्र उद्योग की सारी आवश्यकता पूरी हो सके। १९५९–६० और १९६०–६१ की फसल में १ इंच और उससे कम किन्तु $^{13}/_{16}$ इंच से अधिक लम्बे रेशे वाली रुई का भी आयात करने की अनुमति दी गयी थी। इसका कारण यह था कि १९५९–६० की फसल में केवल ३७.५ लाख गांठों का उत्पादन हुआ था जिसके फलस्वरूप भारतीय रुई की कमी पड़ गयी थी।

(ङ) १,¹/₁₆ १ इंच से अधिक किन्तु १ १ ¹/₈ इंच से कम लम्बे रेशे की रुई का उत्पादन देश में बढ़ रहा है। आशा है कि देश जल्दी ही इस तरह की रुई के बारे में स्वावलम्बी हो जायेगा। १ ¹/₈ इंच से अधिक लम्बे रेशे वाली रुई का आयात विदेशों से अभी जारी रखना पड़ेगा।

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड

३४०२. श्री मा० ला० द्विवेदी : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के अन्तर्गत कितने प्रादेशिक केन्द्र कार्य कर रहे हैं ;

(ख) इन केन्द्रों में से प्रत्येक में अध्यापक-प्रशासकों की अलग अलग संख्या और उनके काम क्या हैं ;

(ग) इन केन्द्रों में से प्रत्येक में अब तक प्रशिक्षित कर्मचारी-अध्यापकों की संख्या कितनी है; और

(घ) अध्यापक-प्रशासकों तथा कर्मचारी-अध्यापकों के वेतन-क्रम क्या हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : यदि माननीय सदस्य का मतलब केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित श्रमिक शिक्षा बोर्ड के प्रादेशिक श्रमिक शिक्षा केन्द्रों से है तो उत्तर १२ है।

(ख) और (ग) :

क्रमांक	केन्द्र का नाम	अध्यापक-प्रशासकों की संख्या	जुलाई १९६१ तक प्रशिक्षित हुए कर्मचारी-अध्यापकों की संख्या
१	अलवाई	६	१०६
२	बंगलौर	५	१२०
३	बम्बई	६	१३२
४	कलकत्ता	६	१२४
५	दिल्ली .	५	१३५
६	धनबाद	५	५४
७	हैदराबाद	६	१२६
८	इन्दौर .	४	२१५
९	कानपुर	७	९१
१०	नागपुर. .	६	८७
११	मद्रास .	५	४७
१२	यमुना नगर	३	१३

अध्यापक-प्रशासक प्रादेशिक केन्द्रों में कर्मचारी-अध्यापकों को पढ़ाते हैं और उन्हें कारखानों में कक्षायें चलाने में मदद भी देते हैं। इसके अलावा वे कारखानों में समय समय पर जाते हैं और कर्मचारी-अध्यापकों को सलाह मशविरा देते हैं।

वेतन क्रम

रुपये : ३२५–१५–४०५ योग्यता रोक –२०–५७५, उसके साथ केन्द्रीय सरकार की दरों से भत्ते भी दिये जाते हैं।

कर्मचारी-अध्यापक

कर्मचारी-अध्यापक कारखानों के कर्मचारी हैं। निश्चित काम के समय के बाद कर्मचारियों को पढ़ाने के लिये उन्हें २५ रुपये माहवार पारिश्रमिक दिया जाता है।

नागा विद्रोहियों द्वारा आक्रमण किये गये पदाधिकारियों को सहायता

३४०३. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछली छमाही में उन सरकारी पदाधिकारियों तथा उन के परिवारों को कोई आर्थिक सहायता दी है, जिन पर नागा विद्रोहियों द्वारा आक्रमण किया गया, और जिसके फलस्वरूप उनको नुकसान हुआ ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी रकम दी गयी ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख): नागा उपद्रवकारियों ने जिन सैंतीस सरकारी कर्मचारियों को मार डाला, उनके परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने, पिछले छः महीनों में, एकमुश्त रकमों के अनुदानों के रूप में, कुल २७,६०० रुपये की मंजूरी दी है।

इसके अतिरिक्त, असम राइफ़ल्स के इंसपेक्टर जनरल ने सेना के प्राइवेट फ़ंड से २,२०० रुपये की अग्रिम राशि (ऐडवांस) उन दो जूनियर कमीशन प्राप्त अफ़सरों के परिवारों को दी, जिन्हें पिछले अप्रैल महीने में नागा उपद्रवकारियों ने मार डाला था। यह अग्रिम राशि उस सेवादान (ग्रैचुइटी) से काट ली जाएगी, जो उन परिवारों को मिलना है।

हिन्दी में प्रकाशित पत्रिकायें

३४०४. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री बह बताने की कृपा क गे कि :

(क) गत दो वर्षों में मंत्रालय के दिल्ली मुख्यालय द्वारा प्रकाशित की गई पत्रिकाओं की सूची क्या है ; और

(ख) इनमें से कितनी पत्रिकाओं का हिन्दी संस्करण भी निकाला गया है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) और (ख): एक विवरण, जिसमें मांगी गई सूचना दी गई है, संलग्न है । **[देखिए परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या ४७]**

केन्द्रीय मूल्यांकन और कार्यान्विति प्रभाग

३४०५. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) जनवरी, १९६१ से अब तक अनुशासन संहिता के उल्लघन के बारे में केन्द्रीय मूल्यांकन और कार्यान्विति प्रभाग को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) अब तक इनमें से कितनी शिकायतों का निबटारा किया गया ; और

(ग) कितनी शिकायतों की जांच की जा रही है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जनवरी १९६१ से जुलाई १९६१ तक ४२२ जिन पर कार्यवाही करने की जरूरत थी ।

(ख) २४१ ।

(ग) १०४ की जांच केन्द्रीय मूलयांकन एवं कार्यान्विति प्रभाग कर रहा है, और ७७ की जांच राज्य सरकारों प्रशासनों द्वारा की जा रहीं है ।

कोयला खनन उद्योग सम्बन्धी उत्पादकता दल

†३४०६. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कोयला खनन उद्योग संबंधी उत्पादकता दल ने कई पश्चिमी देशों का दौरा किया ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस टीम ने विदेशों में अपनाये गये तरीके को देखते हुए देश में कोयला खनन उद्योग का विकास करने के लिये कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ;

(ग) उनकी क्या सिफारिशें हैं ; और

(घ) उन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) दल ने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है । वह प्रतिवेदन, जिसमें यह सिफारिशें की गई हैं, २५ अगस्त, १९६१ को सभा-पटल पर रखा गया था ।

(घ) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् ने ये सिफारिशें और तिवेदन बहुत सी सबंधित संस्थाओं में परिचालित किये ताकि जहां कहीं संभव और आवश्यक है उन्हें कार्यान्वित किया जाये ।

ट्रिनिडाड भेजे जाने वाले भारतीय विशेषज्ञ

†३४०७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रिनिडाड के प्रधान मत्री ने हाल ही में नई दिल्ली आने पर यह कहा था कि वहां के विकास कार्यक्रम का मूलयांकन करने के लिये भारतीय विशेषज्ञों की एक टीम भेजी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या निर्णय है ?

†योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : (क) और (ख). ट्रिनिडाड के प्रधान मंत्री की इच्छानुसार कार्यक्रम प्रशासन के मंत्रणावार श्री बी० पी० पटेल के नेतृत्व में योजना आयोग ने तीन सदस्यों का एक दल दो सप्ताह के लिये ट्रिनिडाड और टेबागो भेजा जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

विद्रोही नागाओं द्वारा अपहरण

३४०८ { **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागालैंड के किसी भाग से ३० जून, १९६१ को विद्रोही नागा दो व्यक्तिओं को उठा कर ले गये ; और

(ख) यदि हां, तो यह घटना कहां हुई थी; और

(ग) इस घटना का ब्योरा क्या है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) से (ग). विद्रोही ३० जून १९६१ को केवल एक व्यक्ति, पुगोवोटो गवर्नमेंट एम० ई० स्कूल के सहायक मुख्य अध्यापक, श्री आई० टोशी आओ को उठा ले गये थे।

यह घटना तब हुई जब श्री आई० टोशी आओ चार अन्य व्यक्तियों के साथ पुगोवोटो लौट रहे थे। यह हमारे पास जो सूचना सुलभ है, उसके अनुसार, यह दल कोहिमा के लगभग २० मील उत्तर-पूर्व में नाटसिमी के निकट विद्रोहियों के एक गिरोह द्वारा रोक लिया गया था और वे श्री आओ को उठा ले गए। इस दल के चार सदस्यों को पुगोवोटो जाने दिया गया था। बाद में विद्रोहियों ने २१ जुलाई १९६१ को श्री आओ को छोड़ दिया।

श्रीलंका में भारतीय फिल्मों पर प्रतिबन्ध

†३४०९ { **श्री राधा रमण :**
श्री श्री नारायण दास :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका सरकार ने अपने देश के सिनेमा हालों में भारतीय फिल्में दिखाने अथवा उनका आयात करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है ;

(ख) सरकार ने किस कारण यह कार्यवाही की है ; और

(ग) इस निर्णय के कारण भारतीय फिल्म उद्योग को कितनी हानि हुई है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

'लेवल जम्पिंग'

†३४१०. श्री दी० चं० शर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय में कार्य का शीघ्र निबटारा करने के लिये 'जम्पिंग लैवल' नामक एक नई योजना चलाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितने मंत्रालयों ने इसे लागू किया है और क्या परिणाम रहे हैं ;

(ग) क्या इस योजना से अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस योजना को और लोकप्रिय बनाना और इसे सभी विभागों में लागू करना वांछनीय समझा गया है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) से (घ) "लैवल जम्पिंग" के बारे में कुछ गलतफहमी हो गई है । यह कोई नई योजना नहीं है । जहां प्रशासन विभिन्न श्रेणियों में विभाजित होता है वहां कोई निर्णय करने से पूर्व सारे कागजात सभी स्तरों में से गुजरते हैं । 'लैवल जम्पिंग' का यह अर्थ है कि उन प्राधिकारियों के पास कागज न भजे जायें जो निर्णय करने में कोई सहयोग नहीं देते । प्रत्येक संस्था में देख भाल करने के बाद ऐसा किया जा सकता है । इस बारे में कोई सामान्य आदेश नहीं जारी किये जा सकते । विशेष पुनर्गठन एकक और संगठन तथा रीति विभाग द्वारा कार्य अध्ययन के दौरान इस बात का भी ध्यान रखा जाता है ।

खादी उद्योग

३४११. **श्री जांगड़े** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) प्रमाणित खादी उद्योग को नकली माल से बचाने के लिये गत पांच वर्षों में क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ख) खादी के नाम और अभिधान की रक्षा करने के लिये जो एक्ट १९५१–५२ में पास किया गया था उसे किस रीति से लागू किया गया ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) नकली खादी बेचने को निरुत्साहित करने के प्रश्न पर पिछले कुछ वर्षों से बड़ी सावधानी से विचार किया जा रहा है । एक समय ऐसा कानून बनाना भी वांछनीय समझा गया था कि खादी बेचने वाले व्यापारियों को लाइसेंस दिये जायें और केवल वही व्यापारी खादी बेच सकें । पर यह एक छोटी समस्या होने के कारण यह विचार छोड़ दिया गया था ।'

(ख) माननीय सदस्य ने जिस अधिनियम का उल्लेख किया है वह १९५० में पास हुआ था । उसमें केवल यह कहा गया है कि जब "खद्दर" और "खादी" शब्दों का प्रयोग किसी बुनी हुई वस्तु के लिये किया जाय तो उसे भारतीय व्यापार चिह्न अधिनियम के अर्थ के अन्तर्गत व्यापारिक विवरण की वस्तु समझा जायेगा । इससे यह भी प्रकट होगा कि यह वस्तु ऐसा कपड़ा है जो भारत में हाथ से कते सूत से हथकरघे पर तैयार किया गया है ।

खलासियों की भर्ती

†३४१२. **श्री तंगामणि** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रैज़ीडेंट एस्टेट विभाग के लिये काम दिलाऊ दफ्तरों के जरिये कुछ खलासी भर्ती किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि काम दिलाऊ दफ्तरों को केवल मैट्रिक पास व्यक्ति भेजने के लिये कहा गया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या खलासियों के लिये यह न्यूनतम अर्हता निश्चित की गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो खलासी की नौकरी के लिये काम दिलाऊ दफ्तर को कम से कम मैट्रिक पास व्यक्ति भेजन के लिये क्यों कहा गया ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) इस नौकरी के लिये कोई न्यूनतम अर्हता निश्चित नहीं की गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) डिवीज़नल अफ़सर ने मैट्रिक पास व्यक्ति इस लिये मांगे थे कि वहां विशेष प्रकार के बिजली के गेजटों से काम पड़ता था जिसे बिजली का थोड़ा बहुत ज्ञान रखने वाला व्यक्ति ही संभाल सकता था। इस बीच चीफ इंजीनियर ने यह हिदायतें दे दी हैं कि इस पद के लिये अपेक्षित साधारण अर्हता से उच्च अर्हता निश्चित न की जाये।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य भारित कर्मचारी

†३४१३. **श्री तंगामणि :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल, १९५८ और १ अप्रैल, १९६० के बीच केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कितने स्थायी कार्यभारित कर्मचारी मर गये ;

(ख) क्या इन स्थायी पदों पर पुनः नियुक्तियां कर ली गई हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या मंत्रालय की किसी तदर्थ समिति को यह काम सौंपा गया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) ११९।

(ख) और (ग) १ अप्रैल, १९५८ से ३८३९ स्थायी पदों की रचना की गई थी। कार्यभारित कर्मचारियों को उन पर स्थायी किया जा रहा है। यह कार्य पूरा हो जाने के पश्चात् मृत्यु अथवा सेवानिवृत्ति से होने वाले खाली स्थान साधारण रीति से भरे जाया करेंगे।

जम्मू में बम विस्फोट

†३४१४. **श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग १५ जुलाई, १९६१ को रणवीरसिंहपुर के निकट एक सरकारी इमारत के निकट एक टाइम-बम फटा और लगभग छै बम मिले जो फटे नहीं थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में जांच की गई है ;

(ग) क्या पाकिस्तानी विध्वंसकारियों ने ही यह किया था ; और

(घ) क्या कोई विशेषज्ञों ने मौके पर जाकर बमों के उद्भव का पता लगाया था ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) से (घ) १७ जुलाई १९६१ को जम्मू प्रान्त में बासपुर इंस्पैक्शन बंगले के निकट एक विस्फोट हुआ जिससे एक किवाड़ और एक खिड़की टूट गई। यह शक किया जाता है कि यह विस्फोट पदार्थ पाकिस्तानियों द्वारा रख गये थे।

इस मामले की तफ़तीश जम्मू तथा काश्मीर की पुलिस को करनी है। सरकार को आगे जानकारी प्राप्त नहीं है।

उड़ीसा में भारत सेवक समाज

†३४१५. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ और १९६१–६२ में अब तक उड़ीसा के लिये भारत सेवक समाज को कितना अनुदान दिया गया ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) उस अवधि में किये गये कार्य का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उड़ीसा में भारत सेवक समाज की कितनी शाखायें हैं ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** :(क) १९६०–६१ और १९६१–६२ में अब तक विशेषतया उड़ीसा के लिये भारत सेवक समाज को योजना आयोग ने कोई अनुदान नहीं दिया है। आयोग लोक कार्य क्षेत्र कार्य क्रम के लिये केन्द्रीय भारत सेवक समाज को अनुदान दे रहा है । इसमें से उड़ीसा में यह राशि खर्च की गई :—

१९६०–६१	.	११,९०४ रुपये
१९६१–६२	. . .	९,३०५ रुपये

(ख) उड़ीसा में चार लोक कार्य क्षेत्रों (एक) खेड़ा (जिला बालासोर) (दो) साखी-गोपाल (ज़िला पुरी), (तीन) संकेटकी (जिला मयूरभंज), (चार) चन्द्रगिरी (जिला गंजम) के लिये दी गई उक्त राशि लोक कार्य क्षेत्रों के इलाके में विभिन्न विकास कार्यों में जन सहयोग बढ़ाने के लिये खर्च की गई ।

(ग) योजना आयोग के पास इस बारे में ठीक-ठीक जानकारी नहीं है ।

विदेशी सरकारों को मान्यता देना

३४१६. **श्री राम सेवक यादव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् अब तक भारत सरकार ने संसार के कौन-कौन से देशों को मान्यता दी है ;

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्हें मान्यता दी गई थी, किन्तु उनके साथ राजनयिक सम्बन्ध नहीं स्थापित किये गये; और

(ग) किन-किन देशों को मान्यता नहीं दी गई ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जर्मन संघीय गणराज्य, सान मारीनो, साइप्रैस, चीन लोक गणराज्य, जापान, मंगोलिया लोक गणराज्य, घाना गिनी, कैमरून्स, तोगोदेश, माली गणराज्य, सेनेगल गणराज्य, मदगास्कर, कांगो (लियोपोल्डविल), कांगो (ब्राज़ाविल), सोमालीया, दाहोमा, नाइजर, अपर वोल्टा, आइवरी कोस्ट, छाड, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, गाबोन, नाइजीरिया, सियरल्योन, मोरक्को, ट्यूनीसिया, द० लिबिया, सूडान, इसराईल, कुवैत, मैक्सिको, अर्जन्तीना, बोलिविया, चिली, ब्राज़ील, कोलम्बिया, पेराग्वे, उरुग्वे, वेनीज़ुला, क्यूबा, निकारागुआ, पनामा, कोस्टारिका, ग्वातेमाला, हंडरास, एल साल्वादोर, एक्वादोर, पेरू, डोमिनिकन गणराज्य, हेती, बर्मा, कम्बोडिया, लाओस, मलय संघ, सिंगापुर और पाकिस्तान ।

(ख) साइप्रस, सान मारीनो, कैमरून्स, तोगोदेश, माली, कांगो (ब्राज़ाविल), दाहोमा, नाइजर, अपरवोल्टा, आइवरी कोस्ट, छाड, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, इसराईल निकारागुआ, पनामा, कोस्टारिका, ग्वातेमाला, हंडूरास, एल साल्वादोर, एक्वादोर, पेरू, डोमिनिकन, गणराज्य, हेती और पुर्तगाल ।

(ग) उत्तर और दक्षिण कोरिया, मौरीतानिया और वियतनाम ।

---

†मूल अंग्रेजी में

छोटे पैमाने के उद्योग

†३४१७. **श्री बाल कृष्णन्** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे पमाने के उद्योगों को ऋण मंजूर करने के बारे में सरकार की क्या नीति है ;

(ख) इमारत और मशीनरी के मूल्य का कितने प्रतिशत ऋण दे दिया जाता है ;

(ग) क्या मूल्यांकन करते समय संचालन आस्तियों को उसमें सम्मिलित नहीं किया जाता ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

सरकार की नीति यह है कि छोटे पैमाने के उद्योगों को ऋण देने के लिये संस्था अभिकरणों को प्रोत्साहन दिया जाये । राज्य सरकारें भी अपने-अपनें उद्योगों से राज्य सहायता अधिनियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत लघु उद्योगपतियों को उदारता से ऋण देती रही हैं । इस प्रयोजन के लिये केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को पर्याप्त निधि उपलब्ध कर रखी है ।

ऋण देने की अधिक उदार बनाई गई शर्तों के अन्तर्गत लघु उद्योगपति जमानत के तौर पर रखी गई सम्पत्ति के मूल्य का ७५ प्रतिशत ऋण प्राप्त कर सकते हैं । यह निर्णय राज्य सरकार को करना होता है कि वह किस प्रकार की ज़मानत लेगी ।

नागालैण्ड अन्तरिम निकाय

†३४१८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नागालैंड अन्तरिम निकाय ने एक संकल्प में यह मांग की है कि सरकारी प्रधान कार्यालय कोहीमा में रखे जायें ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : नागालैंड की अन्तरिम निकाय ने अपने प्रथम अधिवेशन में जो १७ से २५ मई, १९६१ तक हुआ था कई संकल्प स्वीकृत किये थे ।

इन में से दो संकल्पों में अन्तरिम निकाय ने सिफारिश की थी कि कमिश्नर के कार्यालय का पुनर्गठन करके उसे सचिवालय बना दिया जाये और अन्तर्कालीन अवधि में ही राज्यपाल का प्रधान कार्यालय कोहीमा में स्थापित कर दिया जाये । कार्यपालिका परिषद् ने ७ जुलाई, १९६१ को असम में राज्यपाल के साथ इस बारे में चर्चा की थी । भारत सरकार ने कोहीमा में राज भवन और सचिवालय की इमारत के निर्माण को सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है और स्वीकृति भेज दी गई है ।

सड़कों की मरम्त आदि का काम सिक्किम सरकार को सौंपना

†३४१९. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने रंगली-जलेपला और परियोंग-कोराढंग सड़कों की मरम्मत आदि का काम सिक्किम सरकार को सौंपने का निर्णय किया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुशासन संहिता

†३४२०. **श्री तंगामणि : क्या श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी सहायता पाने वाले उद्योगों में अनुशासन संहिता का उल्लंघन किया जाता है;

(ख) क्या यह सच है कि मद्रास सीमेंट, तुलुकपति मद्रास राज्य में पांच मजदूरों को इसलिये काम से निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने मजदूर संघ को रजिस्टर कराने के आवेदन-पत्र पर हस्ताक्षर किये थे; और

(ग) यदि हां, तो मजदूरों की रक्षा करने के लिये तुरन्त क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के नियोजकों तथा मजदूरों ने संहिता के उल्लंघन के बारे में शिकायतें भेजी हैं। जहां कहीं आवश्यक होता है उपयुक्त कार्यवाही की जाती है ।

(ख) जी नहीं, काम से हटाये गये कथित पांच मजदूरों में से एक छोटा ठेकेदार था और वह मजदूर नहीं था और शेष चार मजदूर बिना मंजूरी लिये अनुपस्थित रहे थे ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नई दिल्ली के किदवई नगर में समाज सदन

†३४२१. **श्री वाजपेयी** : क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किदवई नगर रेज़ीडेंटस एसोसियेशन, नई दिल्ली उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की प्रतिनिधि संस्था है और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है;

(ख) क्या एसोसियेशन ने केवल उसी क्षेत्र के निवासियों के हित के लिये समाज सदन (कम्यूनिटी हॉल) (सेन्टर) की अलाटमेंट की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ११ अक्तूबर, १९६० को प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन के बारे में सरकार का क्या मत है; और

(घ) क्या यह सच है कि वह केन्द्र अब ऐसे व्यक्तियों के प्रबन्ध में है जो उस क्षेत्र के वास्तविक प्रतिनिधि नहीं हैं और जो उस हाल में अन्य लोगों द्वारा सांस्कृतिक तथा सामाजिक उत्सव करने के लिये उस क्षेत्र के निवासियों से बहुत अधिक किराया वसूल करते हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) उस क्षेत्र के निवासियों की ऐसोसियेशनों में से यह एक ऐसोसियेशन है जिसे सरकार से सहायक अनुदान मिलते हैं।

(ख) एसोसियेशन प्रार्थना करती रही है कि उसे समाज सदन अलाट कर दिया जाये। इस भवन का नियंत्रण गृह-कार्य मंत्रालय को सौंपने का विचार है जो कि इसे किसी ऐसी एसोसियेशन को अलाट कर देगा जो उस क्षेत्र के निवासियों की वास्तविक प्रतिनिधि होगी । भारत सेवक समाज जिसे इस समय यह भवन अलाट किया गया है इस क्षेत्र की अन्य संस्थाओं को पांच रु० प्रति दिन लेकर इस भवन का प्रयोग करने की अनुमति दे देती है। यह दर सरकार द्वारा निश्चित की गई है। यह राशि अधिक नहीं समझी जाती क्योंकि इस में बिजली, पानी, सफाई आदि के सब खर्च सम्मिलित हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राजनैतिक दलों के सम्मेलन संबंधी फिल्म

†३४२२. **श्री धर्मलिंगम :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राजनैतिक दलों के सम्मेलन का समाचार चित्र तैयार किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्ष में, राजनैतिक दल अनुसार, कितने समाचार चित्र तैयार किये गये;

(ग) क्या मद्रास की द्राविड़ मुनेत्र काजगम पार्टी से यह प्रार्थना प्राप्त हुई थी कि मदुरै में १३ से १६ जुलाई, १९६१ तक हुए उन के सम्मेलन का समाचार चित्र तैयार किया जाये; और

(घ) उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) जी हां, अखिल भारतीय अथवा अन्तर्राज्यिक दलों के समाचार चित्र तैयार किये जाते हैं ।

(ख)

इंडियन नैशनल कांग्रेस . .	१३ कहानियां
प्रजा सोशलिस्ट पार्टी . .	४ कहानियां
कम्यूनिस्ट पार्टी आफ इंडिया .	३ कहानियां
भारतीय जन संघ	५ कहानियां
स्वतन्त्र पार्टी .	२ कहानियां

(ग) जी हां ।

(घ) प्रार्थना स्वीकार नहीं की गई ।

भूटान में डाक व्यवस्था

†३४२३. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूटान सरकार ने अपनी डाक व्यवस्था आरम्भ करने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत द्वारा किये गये सारे प्रबन्ध वापस ले लिये जायेंगे;

(ग) यदि हां, तो कितने कर्मचारी फालतू हो जायेंगे; और

(घ) भारतीय राजस्व पर इस का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) भारत सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) भारत ने भूटान में डाक का कोई प्रबन्ध नहीं किया है।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पहाड़गंज में सम्पत्ति की नीलामी

†३४२४. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९ दिसम्बर, १९५८ को पहाड़गंज के मुहल्ला मंटोला में सम्पत्ति संख्या २७३ से २७९ की ४२,००० रु में नीलामी की गई;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह भी सच है कि उस सम्पत्ति में रहने वाले शरणार्थी वहां १४ वर्ष से रह रहे हैं;

(ग) क्या मंत्रालय ने वहां रहने वाले लोगों से यह पता लगाया था कि क्या वह उस का मूल्य चुकाने के लिये तैयार हैं; और

(घ) क्या वहां रहने वालों के लिये किसी दूसरे स्थान की व्यवस्था की गई है ?

पूनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना): (क) सम्पत्ति संख्या १५/२७३—८० (न्यू) पहाड़गंज दिल्ली (न कि संख्या २७३ से २७९) की नीलामी १९ दिसम्बर, १९५८ को ४१,००० रु० में की गई थी।

(ख) जी हां।

(ग) से (घ). यह सम्पत्ति नियमों के अनुसार न तो अलाट की जा सकती थी और न ही बांटी जा सकती थी इसलिये उस में रहने वाले व्यक्तियों को देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता था। उस में रहने वाले व्यक्ति अब भी खरीदार के किरायेदार हैं और उन्हें विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है ताकि २ वर्ष तक उन्हें वहां से निकाला न जा सके और उस के पश्चात उन पर साधारण स्थानीय किराया कानून लागू होगा।

मनीपुर में खादी तथा ग्रामोद्योग कार्यक्रम

†३४२५. **श्री ले० अचौ० सिंह** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के चीफ कमिश्नर ने यह निदेश दिया है कि मनीपुर खादी तथा ग्रामोद्योग संघ मनीपुर में खादी तथा ग्रामोद्योग कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने का काम करेगा;

(ख) क्या यह सच है कि मनीपुर के उद्योग निदेशक को संघ का सदस्य सचिव नियुक्त कर दिया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि संघ में केवल सात सदस्य हैं जिनसे कार्यपालिका की रचना की जाती है;

(घ) क्या उक्त समिति का कोई नियमित निर्वाचन नहीं किया गया है;

(ङ) क्या यह सच है कि १० जुलाई, १९६१ के एक आदेश द्वारा मनीपुर प्रशासन ने संघ को प्रत्यायोजित शक्तियों और कृत्यों को अपने हाथ में ले लिया है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(घ) संघ की गत सामान्य बैठक में कार्यपालिका समिति के सभी सदस्य विधिवत निर्वाचित किये गये थे।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

नेताजी की जीवनी

†३४२६. **श्री आसर :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रेट ब्रिटेन के अधिकारियों ने नेताजी की जीवनी लिखने वाले लेखक को जानकारी देने से इन्कार कर दिया और उनके पास नेताजी के जो पत्र थे वह भी उसे देखने नहीं दिये;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो ग्रेट ब्रिटेन के अधिकारियों ने अपने कार्य के समर्थन में क्या कारण बताये हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । ग्रेट ब्रिटेन की सरकार को लन्दन स्थित भारतीय उच्च आयुक्त के जरिये सुविधायें देने के लिये कहा गया है ।

(ग) ग्रेट ब्रिटेन की सरकार ने जानकारी देने में अपनी असमर्थता पर खेद प्रकट किया है क्योंकि वह अधिकृत रिकार्ड गैर-सरकारी व्यक्तियों को दिखाने के बारे में ५० साल से अपनाये गये नियम को शिथिल करने के लिये तैयार नहीं है ।

भूटान में सड़कें

†३४२७. **श्री ले० अचौ० सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूटान सरकार द्वारा चालू की गई पंच वर्षीय योजना में भूटान में ८०० मील लम्बी मोटर चलने योग्य सड़कों का निर्माण शामिल है;

(ख) क्या भारत को भूटान से मिलाने वाली सड़क भी प्रस्तावित ८०० मील लम्बी लड़क में शामिल है; और

(ग) भारत को भूटान से मिलाने वाली सड़क के निर्माण में क्या प्रगति हुई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) भूटान की सरकार ने १९६१--६६ की अवधि में भूटान में मोटर चलने योग्य लगभग २७० मील लम्बी और जीप चलने योग्य १०० मील लम्बी सड़क बनाने की योजना बनाई है ।

(ख) भारत को भूटान से मिलाने वाली दो सड़कें उक्त निर्माण-कार्य में शामिल हैं ।

(ग) उक्त दो सड़कों में से पहली अर्थात् फुंटसोलिंग-पारो सड़क १९६२ के प्रारम्भ में बन जाने की आशा है । दूसरी सड़क का सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

मनीपुर का सर्वेक्षण

†३४२८. **श्री लै० अचौ० सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण दल ने मनीपुर में अपना कार्य आरम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) जी हां।

(ख) सर्वेक्षण का उद्देश्य राष्ट्रीय आयोजना, प्रशासन और नीति निर्धारण के लिये विभिन्न सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करना है।

सरकार द्वारा उड़ीसा में चलाई गई अग्रिम परियोजना कम्पनियों के लिये लेखा-परीक्षक

†३४२९. **श्री अ० त्रि० शर्मा**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी विधि प्रशासन, जो उड़ीसा राज्य में सरकार द्वारा चलाई गई अग्रिम परियोजना कम्पनियों के लिये लेखा-परीक्षकों के नामों की सिफारिश करता है, उड़ीसा राज्य में काम कर रहे लेखा-परीक्षकों की कोई अद्यतन सूची बना कर रखता है;

(ख) उड़ीसा राज्य में कितने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की फर्में काम कर रही हैं और उनमें से कितने सरकार द्वारा चलाई गयी अग्रिम परियोजना कम्पनियों की लेखा-परीक्षा से सम्बद्ध हैं; और

(ग) इन कम्पनियों के लिये लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति के बारे में सरकार द्वारा किस सिद्धान्त का पालन किया जाता है?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) कम्पनी विधि प्रशासन द्वारा उड़ीसा राज्य काम कर रहे चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों की कोई सूची नहीं बनाई जाती।

माननीय सदस्य की यह धारणा सही नहीं है कि उड़ीसा की अग्रिम परियोजना कम्पनियों के लिये लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में योग्यता-प्राप्त व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करता है। ये कम्पनियां स्वयं ऐसे व्यक्तियों के नाम बताती हैं और केन्द्रीय सरकार समवाय अधिनियम की धारा ६१९ के अनुसार नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक के परामर्श से लेखा-परीक्षक नियुक्त करती है।

(ख) भारत के चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों की १९६० की वार्षिक पुस्तिका में दी गई जानकारी के अनुसार उड़ीसा में काम कर रहे चार्टर्ड एकाउटेन्टों की संख्या १ अप्रैल, १९६० को २६ थी। इन में से ४ लोग उड़ीसा की ३५ सरकारी कम्पनियों के लिय १९६०–६१ के लिये लेखा-परीक्षक नियुक्त किये गये हैं। अग्रिम परियोजना कम्पनियों के बारे में अलग से जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) जैसा कि ऊपर बताया गया है, सरकार इस विषय में भारत के नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक के परामर्श से कार्यवाही करती ह जिन्हें सम्बन्धित कम्पनियों से प्राप्त लेखा-परीक्षकों के नाम विचारार्थ भेज दिये जाते हैं।

भारतीय सहायता मिशन, नेपाल के कर्मचारी

३४३०. **श्री रामशरण**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल में भारतीय सहायता मिशन के कर्मचारियों को अभी तक संशोधित वतन-क्रम के अनुसार वेतन नहीं दिये गये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि भारत में पिछले दस महीने से संशोधित वेतन-क्रम के अनुसार वेतन दिये जा चुके हैं; और

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं?

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) वेतन आयोग, १९६० की सिफ़ारिशों को भारतीय सहायता मिशन, नेपाल पर लागू करने का प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) देरी का कारण यह है कि कुछ मसले अभी तय होने को हैं, जैसे : वेतन के साथ महंगाई भत्ता मिला दिए जाने के कारण नेपाल-भत्ते में कमी करना जिन पदो के समानान्तर वेतन-क्रम विद्यमान नहीं हैं, उनके लिए वेतन-क्रम निर्धारित करना, आदि ।

मद्रास के बुनकर

†३४३१. **श्री तंगामणि** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य के बुनकरों से कृत्रिम रेशम के सूत के सम्भरण के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है;

(ग) क्या यह सच है कि चिनलपट्टी, अरूघुकोट्टी और कुमारपलायम केन्द्रों के बुनकर मुख्यतः इस सूत पर निर्भर करते हैं; और

(घ) इस क्षेत्र के बुनकरों को अपेक्षित कृत्रिम रेशम के सूत दिलाने के लिये क्या विशेष कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, हां ।

(ख) जुलाई-सितम्बर, १९६१ तक की अवधि में मद्रास राज्य के बुनकरों को देने के लिये देशी कृत्रिम रेशम के सूत की उचित मात्रा की व्यवस्था की गई है ।

ग) जी, हां ।

(घ) इस क्षेत्र के बुनकरों को कृत्रिम रेशम का सूत देने के लिये कोई विशष कदम नहीं उठाये जा रहे हैं ।

तीसरी योजना में गन्दी बस्तियों का हटाया जाना

†३४३२. **श्री तंगामणि** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजनावधि में गन्दी बस्तियों की सफाई के लिये कितना धन रखा गया है;

(ख) मद्रास राज्य के लिये कितना धन रखा गया है; और

(ग) सेन समिति के प्रतिवदन में जिन छः शहरों का उल्लेख हैं उनमें से प्रत्यक के लिये १९६१–६२ के लिए कितना धन मंजूर किया गया है ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)**: (क) तीसरी योजना में गन्दी बस्तियों की सफाई और सुधार तथा रैन-बसेरों के निर्माण के लिये २८.६० करोड़ रु० का उपबन्ध किया गया है ।

(ख) तीसरी योजना में मद्रास को २.९२ करोड़ रु० दिये जाने की संभावना है जिसमें से केन्द्र २.१९ करोड़ रु० की सहायता देगा और शेष धन राज्य सरकार देगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) १९६१-६२ के लिये उन राज्य सरकारों/संघ प्रशासनों को, जिनमें छः बड़े शहर स्थित हैं, निम्नलिखित राशि दिये जाने की संभावना है :—

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	१९६१–६२ में आवन्टित राशि (जिसमें केन्द्र और राज्य के अंश शामिल हैं)	बड़ा शहर
१	गुजरात	२५.६० लाख रु०	अहमदाबाद
२	मद्रास	४८.६० लाख रु०	मद्रास
३	महाराष्ट्र	८१.०० लाख रु०	बम्बई
४	उत्तर प्रदेश	४४.५३ लाख रु०	कानपुर
५	पश्चिम बंगाल	४५.३३ लाख रु०	कलकत्ता
६	दिल्ली	१०५.००* लाख रु०	दिल्ली

(*इसमें झुग्गियों और झोंपड़ियों की सफाई के लिये किया गया उपबन्ध शामिल नहीं है ।)

राज्य सरकारों से आशा की जाती है कि वे अपने-अपने आवण्टन का ९० प्रतिशत बड़े शहरों में खर्च करेंगी ।

चाय का निर्यात

*३४३३. **श्री कै० प० सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, १९६१ में निर्यात के लिये कुल कितनी चाय उपलब्ध हुई और १९६० में इसी महीने में कितनी चाय उपलब्ध हुई थी; और

(ख) क्या यह सच है कि चाय की अच्छी किस्म के अच्छे दाम मिले और चाय की घटिया किस्म के लिये कोई बाजार नहीं था ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) किसी विशिष्ट महीने में निर्यात के लिये उपलब्ध चाय की मात्रा का सही अनुमान लगाना तो कठिन है किन्तु अनुमान है कि जुलाई, १९६१ में ३२२.२ लाख पौंड चाय का निर्यात किया गया जबकि जुलाई, १९६० में २६५० लाख पौंड चाय का निर्यात किया गया था ।

(ख) दार्जिलिंग और असम चाय की अधिक अच्छी किस्मों की मांग काफी रही और उनके अच्छे दाम मिले हैं । साधारण चाय की किस्में भी जल्दी बिक गईं ।

कपड़ा मिलें

†३४३४. **श्री कै० प० सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की कपड़ा मिलों को विभिन्न प्रकार के कपास की कितनी आवश्यकता होती है और क्या देश इस मामले में आत्म निर्भर है; और

(ख) सरकार ने कपास की विभिन्न किस्में उगा कर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये हैं और हम इस दिशा में कहां तक सफल रहे हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) कुल आवश्यकता लगभग ५२ लाख गठान है जिसमें ३ लाख गठान छोटे रेश वाले २४ लाख गठान मध्यम रेशे वाले और शेष लम्बे रेशे वाले कपास की हैं। ४० से अधिक काउण्ट का सूत बनाने के लिये १–१/१६" से अधिक रेशे वाले कपास की कोई ६ लाख गठान की आवश्यकता होती है जिन्हें विदेशों से आयात करना पड़ता है।

(ख) देश की मिलों को आवश्यक कपास की विभिन्न किस्में उगाने के लिये सरकार द्वारा उठाये गये मुख्य कदम इस प्रकार हैं:—

(१) भारतीय केन्द्रीय कपास समिति द्वारा कपास पैदा करने वाले क्षेत्रों में कार्यान्वित की गई योजनाओं के जरिये, जिनमें १-१/१६" और इससे अधिक लम्बे रेशे वाले कपास की किस्म खोज निकालने की योजनायें शामिल हैं, कपास की उन्नत पैदा करना।

(२) कपास की उन्नत किस्म के शुद्ध बीज के उत्पादन और वितरण के लिये राज्यों को भारतीय केन्द्रीय कपास समिति के ज़रिये आर्थिक सहायता देकर उन्नत किस्मों को बढ़ावा देना।

(३) पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में कपास विस्तार की जो योजनायें चालू थीं उन्हें तीसरी योजनावधि में भी जारी रखना।

(४) कपास की सी आइलैण्ड और मिश्र किस्मों के विकास के लिये, जिनके रेशे की लम्बाई १-१/४" और १-३/१६" के बीच होती है, भारतीय केन्द्रीय कपास समिति द्वारा विशेष योजनायें आरम्भ की जाना।

(५) जिस कपास के रेशे की लम्बाई १-१/८" या इससे अधिक हो उसे मल्य नियन्त्रण से छट देना।

मिल उद्योग को आवश्यक कपास की विभिन्न किस्मों के मामले में देश को आत्मनिर्भरता की दिशा में ले जाने में उपरोक्त उपाय एक बड़ी हद तक सफल रहे हैं। यह इस बात से स्पष्ट है किसी सामान्य वर्ष में देश का उत्पादन उद्योग की अच्छे रेशे की आवश्यकता को छोड़ शेष सभी आवश्यकताओं को पूरा कर देता है।

दिल्ली और नई दिल्ली में भूमिगत पानी

†३४३५. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और नई दिल्ली में भूमिगत पानी की सतह बहुत बढ़ गयी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ सार्वजनिक संस्थाओं के अतिरिक्त कई सरकारी इमारतों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)**: (क) जी हां, नई दिल्ली में भूमिगत पानी की सतह बढ़ गयी है। जहां तक पुरानी दिल्ली का सम्बन्ध है, भारत सरकार ने भूमिगत पानी के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इमारतों को कोई विशेष क्षति नहीं पहुंची है, किन्तु भूमिगत पानी की सतह बढ़ जाने के कारण शीलन आदि परिणाम अवश्यम्भावी हैं।

आन्ध्र प्रदेश में औद्योगिक यूनिट

†३४३६. **श्री मं०वें० कृष्ण राव** :क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में बड़े पैमाने के क्षेत्र में १९६० में स्थापित किये गये औद्योगिक यूनिटों के नाम क्या हैं और ये कहां कहां स्थापित किये गये हैं; और

(ख) आन्ध्र प्रदेश में बड़े पैमाने के क्षेत्र में १९६१ में स्थापित किय गये अथवा किये जाने वाले नये औद्योगिक यूनिटों के नाम क्या हैं और वे कहां कहां हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). आन्ध्र प्रदेश में नय उपक्रमों की स्थापना के लिय १९६० और १९६१ (जुलाई, १९६१) में ३५ लाइसेंस दिये जा चुके हैं। यहां तक १९६०–६१ (जुलाई, १९६१ तक) स्थापित नये औद्योगिक उपक्रमों के नाम और स्थान का सम्बन्ध है, व व्यापार तथा उद्योग पत्रिका में दिय गये हैं।

भविष्य में स्थापित किये जाने वाले औद्योगिक यूनिटों के नाम बताना सम्भव नहीं है।

यूरोपीय साझा व्यापार

†३४३७. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूरोपीय साझा बाजार में ग्रेट ब्रिटेन के शामिल होने की सम्भावना है इस बात को देखते हुए हमारे निर्यात की ओर ध्यान देने के लिये क्या विशेष उपाय किये जा रहे हैं ; और

(ख) क्या विदेशों में स्थित हमारे वाणिज्यिक प्रतिनिधियों को कोई कार्यवाही करने का परामर्श दिया गया है अथवा यह मामला किसी विशेष प्रतिनिधि को सौंप दिया गया है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). इस प्रश्न पर सम्बन्धित अधिकारियों के साथ चर्चा की जा रही है और जो भी विशेष उपाय करने का नर्णय किया जायेगा उनकी जानकारी सभा को उचित समय पर दे दी जायेगी। विदेशों में हमारे जो वाणिज्यिक प्रतिनिधि हैं उन्हें उन देशों की सरकारों से सम्पर्क बनाये रखने और समय-समय पर घटनाक्रम के बारे में हमें जानकारी देने की हिदायत दे दी गयी है ?

२४ परगने के हेरोभंगा बस्ती में माध्यमिक स्कूल

†३४३८. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मन्त्री १६ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १९४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि २४ परगने की हेरोभंगा शरणार्थी बस्ती में कोई माध्यमिक स्कूल न होने के फलस्वरूप कितने बच्चे स्कूलों में नहीं जा पाते;

(ख) क्या यह सच है कि यह बस्ती किसी भी माध्यमिक स्कूल से दूर स्थित है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या यह सच है कि माननीय मन्त्री ने कई वर्ष पूर्व इस बस्ती का भ्रमण करते समय शरणार्थियों को वहां एक स्कूल खोलने का आश्वासन दिया था; और

(घ) यदि हां, किन परिस्थितियों के कारण इस कार्य में विलम्ब हो रहा है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)**: (क). से (ग) हेरोभंगा बस्ती में तीन प्राथमिक स्कूल और एक जूनियर हाई स्कूल चलाया जा रहा है और इनमें लगभग ५४४ छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दिसम्बर, १९६० में पूछताछ करने पर पता चला है कि अभी वहां हाई स्कूल खोलने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु जूनियर हाई स्कूल के अधिकारियों को राज्य सरकार ने हिदायत दे दी है कि जब कभी आवश्यक हो तो स्कूल में ९वां दर्जा शुरू किया जाये। इस बस्ती से ५ मील दूर एक उच्च माध्यमिक स्कूल है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

स्टालों में व्यापार-धन्धा करने वाले विस्थापित व्यक्ति

३४३९. श्री बलराज मधोक : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की उन विस्थापितों के प्रति, जो पाकिस्तान बनने के समय से खोखों में अपना व्यापार धंधा कर रहे हैं क्या नीति है;

(ख) क्या उन्हें वैकल्पिक स्थान दिये बिना उनके खोखे नष्ट कर दिये जायेंगे और उन्हें पुनः विस्थापित बना दिया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो गुजरात में पाटन और अन्य कई स्थानों पर ऐसे खोखे वालों को वैकल्पिक स्थान दिये बिना क्यों खोखों को नष्ट किया जा रहा है ?

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना): (क) और (ख) पश्चिमी महाखण्ड में यह मन्त्रालय कोई भी नया निर्माण कार्य नहीं कर रहा है। प्रायः सभी पुनर्वास योजनाएं कार्यान्वित हो चुकी हैं। खोखों के विषय में उचित कार्यवाही सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा उनकी सामान्य नीति के अनुसार की जायगी।

(ग) पाटन (गुजरात राज्य) में स्थित खोखों के विषय में यदि कुछ विस्तृत जानकारी दी जाय तो आवश्यक जांच पड़ताल की जायगी।

दिल्ली की गीता कालोनी में नागरिक सुविधाओं पर व्यय

३४४०. श्री बलराज मधोक : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की गीता कालोनी में सड़कों, नालियों तथा अन्य विकास कार्यों पर अभी तक कुल कितना धन खर्च किया जा चुका है;

(ख) यह कालोनी कब तक दिल्ली निगम को हस्तान्तरित की जायगी ?

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) १०,०४,१०९ रुपयें।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कालोनी के एक भाग में सड़कों को छोड़ कर शेष सभी सेवायें दिल्ली निगम को हस्तान्तरित की जा चुकी हैं। शेष सड़कों का कार्य प्रगति पर है और आशा है कि यह जून, १९६२ तक पूर्ण हो जायेगा, सड़कों का कार्य समाप्त हो जाने पर यह काम निगम को हस्तान्तरित कर दिया जायेगा।

जम्मू और काश्मीर राज्य के विस्थापित परिवारों के लिये दिल्ली में बस्ती

३४४१. श्री बलराज मधोक : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में रहने वाले जम्मू और काश्मीर राज्य के उन विस्थापित परिवारों को, जिन्हें अभी तक कोई मकान या प्लाट नहीं दिया गया, बसाने के लिये एक बस्ती बसाने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी नहीं। पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापितों तथा पाकिस्तान द्वारा नाजायज कब्जा किये हुए जम्मू और काश्मीर क्षेत्र से आने वालों के लिये कोई भी नये निर्माण कार्य-क्रम को करने का विचार नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय चाय की किस्म में गिरावट

†**३४४२. श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय चाय की नई फसल के नमूने लन्दन में हुई बिक्री में घटिया पाये गये हैं और खरीदारों ने चाय की थोक खरीद करने की और कोई ध्यान नहीं दिया; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस बात की जांच करेगी कि चाय की किस्म मे गिरावट किन कारणों से हुई है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) इस मौसम में उत्तर भारत की चाय की पैदावार पिछले वर्षों की तुलना में अधिक हुई है जिसका मुख्य कारण चाय पैदा करने वाले क्षेत्रों में हुई अत्यधिक वर्षा है। पैदावार अधिक होने के साथ-साथ चाय की किस्मों में कुछ गिरावट आ गई है। किन्तु उत्तर भारत की चाय का औसत मूल्य १९६० की अपेक्षा कम रहा है क्योंकि खरीददार आम तौर पर अधिक खोज बीन करके खरीद करते रहे हैं और ग्रेट ब्रिटेन में गत वर्ष की अपेक्षा चाय का अधिक बड़ा स्टाक रहा है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष संसार भर में चाय का उत्पादन गत वर्ष की अपेक्षा अधिक रहा है और लन्दन के नीलामों में खरीददार साधारण चाय के लिये इतने ऊंचे दाम देना नहीं चाहते थे जितना कि उन्होंने १९६० में दिये थे। किन्तु दार्जिलिंग और असम चाय की कुछ बेहतरीन किस्मों को अच्छे दाम मिले हैं और विदेशों के बाजारों में चाय की इन किस्मों की काफी मांग है।

इस वर्ष दक्षिण भारत में पैदा हुई चाय की स्थिति संतोषजनक रही है।

(ख) उत्तर भारत की चाय की इस वर्ष की पैदावार की किस्म में गिरावट आ जाने का मुख्य कारण मौसम है और इस सम्बन्ध में विशिष्ट जांच करने के फलस्वरूप गिरावट का आ जाना कोई अनोखी बात नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

जेनेवा में वस्त्रोद्योग सम्बन्धी सम्मेलन

†३४४३. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १० अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जेनेवा में जुलाई, १९६१ में सामान्य व्यापार तथा प्रशुल्क करार के तत्वावधान में जो वस्त्रोद्योग सम्बन्धी सम्मेलन हुआ उसमें किन प्रश्नों पर चर्चा की गयी और सम्मेलन द्वारा की गयी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ख) उक्त सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) सम्मेलन ने सूती वस्त्र के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के व्यवस्थित विकास की व्यवस्था पर चर्चा की। इस सम्मेलन में जिस व्यवस्था के बारे में निर्णय किया गया उसकी एक प्रति संलग्न है **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० ३१९६/६१]**

(ख) सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित व्यक्तियों ने किया :—

(१) श्री टी० स्वामीनाथन्, यूरोप में आर्थिक कार्य के महा-आयुक्त, लन्दन ।

(२) श्री एम० जी० माथुर, प्रथम सचिव (वाणिज्यिक) भारतीय उच्चायुक्त का कार्यालय, लन्दन ।

(३) श्री के० एच० उदेसी, वस्त्र विशेषज्ञ, भारत के महा-वाणिज्य-दूत, फ्रैंकफर्ट (पश्चिम जर्मनी) ।

हेवी इलेक्ट्रिकल्ज़ लिमिटेड, भोपाल

†३४४४. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैवी इलेक्ट्रिकल्ज़, भोपाल की वर्तमान वार्षिक उत्पादन-क्षमता कितनी है ;

(ख) १९५८, १९५९ और १९६० इन वर्षों में हुए उत्पादन के आंकड़े क्या हैं ;

(ग) तीसरी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत इस फैक्टरी के उत्पादन का क्या लक्ष्य है ; और

(घ) विस्तार योजना पर अनुमानतः कितना धन खर्च किया जायेगा और इसमें से कितने धन का आवण्टन तीसरी योजना में किया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनूभाई शाह) :** (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है **[देखिये परिशिष्ट ४ अनुबन्ध संख्या ४८]**

मैसूर से कच्चे लोहे का निर्यात

†३४४५. **श्री आचार :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर से कच्चे लोहे के निर्यात के बारे में मैसूर राज्य खनिज विकास बोर्ड और राज्य व्यापार निगम के बीच कुछ मतभेद उत्पन्न हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो वह क्या है और उसे किस प्रकार दूर किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) और (ख). राज्य व्यापार निगम और मैसूर राज्य खनिज विकास बोर्ड के बीच जिस करार पर चर्चा की जा रही थी उसे अन्तिम रूप दिया जा चुका है ।

पंजाबी आदि भाषाओं में पढ़ाने वाले स्कूलों के अनुदान बन्द करने की मलाया सरकार की अधिसूचना

†३४४६. **श्री आचार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने मलाया सरकार की उस अधिसूचना पर विचार किया है जिसके द्वारा उस देश में पंजाबी, तेलगु और मलयालम भाषाओं में पढ़ाने वाले स्कूलो के सब अनुदान बन्द कर दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार ने इस प्रश्न पर मलाया की सरकार से कोई पत्र-व्यवहार किया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). भारत सरकार ने इस विषय में समाचार देख हैं । हमने अपने उच्चायुक्त को लिखा है और उसके उत्तर की प्रतीक्षा है ।

बंगलौर में गन्दी बस्तियां हटाना

†३४४७. **श्री केशव** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर नगर में मल्लेश्वरम् पिट कालोनी और जयनगर की दसरा कालोनी नामक दो गन्दी बस्तियों को हटाने के लिय मैसूर राज्य सरकार को कितनी राशि अभी तक नहीं दी गई है ; और

(ख) जो जन व्यय किया जा चुका है उसे न देने के क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)**: (क) और (ख). जनवरी/फरवरी, १९६१ में मैसूर सरकार ने (१) 'पिट' कालोनी बंगलौर की गन्दी बस्ती के दूधिया परिवारों के लिये बनाये गये १५० घरों (पशुशालाओं सहित) के लिये, जो ९ लाख रुपये की अनुमित लागत से बनाये गये थे और (२) 'दासरा' कालोनी की गन्दी बस्ती में रहने वाले व्यक्तियों के लिये ४५,००० रुपये की अनुमित लागत से बनाये गये १८ मकानों के लिये गन्दे बस्तियों को हटाने की योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता मांगी थी । परन्तु इन परियोजनाओं की जांच करने पर ये गन्दी बस्ती हटाने की योजना में निर्धारित न्यूनतम स्थान व सेवाओं की तुलना में निम्न स्तर की पायी गईं । इसके अतिरिक्त यह भी ज्ञात हुआ कि राज्य सरकार मकानों का स्वामित्व गन्दी बस्तियों में रहने वालों को देना चाहती है, जिसकी इस योजना के अन्तर्गत अनुमति नहीं है । तदनुसार अप्रैल, १९६१ में राज्य सरकार को यह सलाह दी गई थी कि ये परियोजनायें जिस रूप में बनाई गई हैं उस रूप में उन्हें इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय अनुदान नहीं मिल सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीनी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू करना

†३४४८. **श्री काशीनाथ पांडे :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के श्रम मंत्री द्वारा पंजाब के मुख्य मंत्री को पत्र लिखे जाने पर भी पंजाब की सहकारी चीनी मिलों ने अभी तक चीनी मजूरी बोर्ड की सिफारिशें लागू नहीं की हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बात का ध्यान रखने के लिये क्या कार्यवाही की है कि पंजाब की सहकारी चीनी मिलों में भी तत्काल चीनी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू किया जाये ;

(ग) क्या यह सच है कि सफिारिशों को लागू करने से उत्पन्न होने वाली बहुत सी बातों के स्पष्टीकरण के लिए कोई केन्द्रीय व्यवस्था नहीं है और जिन राज्यों में इन्हें लागू करना आरम्भ किया गया है वहां भी इसकी गति बहुत धीमी है ; और

(घ) यदि हां, तो विवाद ग्रस्त बातों के स्पष्टीकरण के लिये इस प्रकार की व्यवस्था करने के हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) और (ख). पंजाब की ३ सहकारी चीनी मिलों से छूट देने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे । परन्तु उन्हें सिफारिशों को लागू करने की सलाह दी गई है ।

(ग) और (घ). राज्य सरकारों ने अभी तक कोई ऐसी कठिनाई नहीं बतायी है । परन्तु सन्देहास्पद बातों को स्पष्ट करने के लिए कोई केन्द्रीय व्यवस्था कायम करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

विस्थापित परिवारों को हटाना

†३४४९. **श्री बलराज मधोक :**
श्री जगदीश अवस्थी :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में स्थित ७ जन्तर मन्तर रोड नामक सम्पत्ति निष्क्रान्त सम्पत्ति है ;

(ख) क्या यह नीलाम कर दी गई है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इसके लिये बोली बोली गई थी और सबसे ऊंची बोली कितनी थी ;

(घ) क्या इस सम्पत्ति के नौकरों के मकानों में कुछ विस्थापित परिवार रह रहे हैं ;

(ङ) क्या यह सच है कि पुनर्वास मंत्रालय द्वारा इन परिवारों को वहां से निकल जाने के आदेश दिये जा रहे हैं, यद्यपि उसने इस सम्पत्ति को बेच दिया है ; और

(च) यदि हां, तो क्यों ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) जी हां ।

(ख) और (ग) यह रक्षित मूल्य पर पुराने किरायेदार को बेची गई थी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) जी हां, विस्थापित और गैर-विस्थापित दोनों ।

(ङ) और (च). जी हां । हमेशा किराया न देने के कारण । यद्यपि उस सम्पत्ति को बेचने के लिए समझौता हो गया है परन्तु यह अभी वस्तुतः खरीददार को दी नहीं गई है ।

मुल्तानी ढांढा, पहाड़गंज, नई दिल्ली में सम्पत्ति की नीलामी

†३४५०. **श्री बलराज मधोक :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुलतानी ढांडा, पहाड़गंज, नई दिल्ली में स्थित निष्क्रांत व्यक्तियों के मकानों की जुलाई, और अगस्त, १९६१ के शुरू में नीलामी की गई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन मकानों को खरीदने के लिये कोई बोली देने वाला नहीं आया ;

(ग) क्या इसका कारण यह था कि प्रत्येक मकान में दस से पन्द्रह तक विस्थापित परिवार रहते हैं और उन्होंने प्रत्येक मकान को गन्दी बस्ती बनाया हुआ है ;

(घ) क्या इन विस्थापित परिवारों ने और कोई रहने का स्थान दिये जाने के लिए अभ्यावेदन किया था ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने उनकी उचित मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) जी हां । कुछ अलाट न किये जाने वाले" मकानों की नीलामी की गई थी ।

(ख) केवल चार सम्पत्तियों की नीलामी में बोलो बोली गई थी जब कि शेष सम्पत्तियों की बोली नहीं बोली गई ।

(ग) कई एक मकानों में एक से ज्यादा व्यक्ति रहते हैं ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

आकाशवाणी

†३४५१. **श्री बाल्मीकी : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी द्वारा गांधी जी के सिद्धांतों और उनकी शिक्षाओं का जनता में विशेष रूप से नवयुवकों में प्रचार करने के लिये क्या कदम उठाय गये हैं ;

(ख) सप्ताह में कितनी बार गांधी जी का कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है ;

(ग) क्या यह सच है कि आकाशवाणी में गांधी जी के कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिये डा० टैगोर के समान कोई गांधी एकक अलग से नहीं है ;

(घ) गांधी जी के भाषणों के कितने रिकार्ड सुरक्षित रखे गये हैं और इस बात का ध्यान रखने के लिये क्या किया गया है कि राष्ट्रीय महत्व के इन रिकार्डों को क्षति न पहुंचे ; और

(ङ) विश्व के सब देशों से वहां की भाषाओं में गांधी जी के विचारों का संग्रह करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) से (ङ). उक्त जानकारी देने वाला एक टिप्पण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४९]**

उर्वरक के कारखाने

†**३४५२. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उर्वरक के तीन और कारखाने खोलने के लिये लाइसेंस देने को विचार कर रही है ;

(ख) इन परियोजनाओं के अन्तर्गत जो लाइसेंस दिये जायेंगे उनकी कुल उत्पादन क्षमता कितनी है ; और

(ग) ये कारखाने कहां खोले जायेंगे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) से (ग). भारत सरकार गुजरात, दुर्गापुर, मंगलौर और टूटिकोरिन में उर्वरक के कारखाने खोलने के प्रस्तावों पर विचार कर रही है। इन परियोजनाओं की कुल उत्पादन क्षमता लगभग २,५०,००० टन नाइट्रोजन होगी।

सिलाई की मशीनें और पंखे

†**३४५३. श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९–६०, १९६०–६१ और १९६१–६२ में जून, १९६१ तक प्रतिवर्ष भारत के सब संघ राज्यों क्षेत्रों में से प्रत्येक में विभिन्न कम्पनियों की भारतीय और विदेशी सिलाई की मशीनों और पंखों की लगभग कुल कितनी वार्षिक मांग रही, कितना संभरन हुआ और उसका कितना मूल्य था ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : संघ राज्य-क्षेत्रों के संबंध में अलग से यह जानकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

मीटर फैक्टरी

†**३४५४. श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य में मीटर का कारखाना लगाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या किसी राज्य में एक से अधिक कारखाने हैं ; और

(ग) यदि हां, तो किन विशेष परिस्थितियों में ऐसा करने की अनुमति दी गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) पानी, गैस और गृह सेवा के लिये मीटरों की योजनाओं पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है और कारखानों का स्थान लगाने वाले की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

नई दिल्ली में फिरोजशाह रोड के बंगलों में की गई मरम्मत

†३४५५. **श्री तंगामणि :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने ने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फिरोज़शाह रोड के कुछ बंगलों में कुछ मरम्मत (छतों के फर्श बदलना) की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की मरम्मत की गई थी ;

(ग) ये मरम्मत कितने बंगलों में की गई थी ;

(घ) क्या यह सच है कि अगस्त की वर्षा में इन बंगलों की छतें चू रही थीं ;

(ङ) यदि हां, तो क्या दोष पूर्ण मरम्मत करने का उत्तरदायित्व किस पर था यह निश्चय किया गया था ; और

(च) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है।

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क), (ग), (घ), (ङ) और (च). फिरोज़शाह रोड के बंगलों की छतें बदली जाने वाली हैं। इस काम की स्वीकृति मिल चुकी है और लोक निर्माण विभाग इसे यथाशीघ्र पूरा करेगा। इस बीच इन बंगलों की छतों की मरम्मत करना आवश्यक समझा गया। यह काम जून, १९६१ में, फिरोज़शाह रोड के १९ बंगलों में आरम्भ किया गया था। अगस्त, १९६१ में जब भारी वर्षा हुई तो मरम्मत का काम अभी चल ही रहा था जिसके फलस्वरूप वे चूने लगीं। चूने से पहले मरम्मत पूरी न होने के कारण उत्तरदायित्व किस का था यह निश्चय करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) निम्न चीजों की मरम्मत होती है :—

(१) टूटी हुई छत का पलस्टर करना
(२) कोनों की मरम्मत।
(३) छत पर मिट्टी के टाइलों की मरम्मत।
(४) छत के अन्दर और बाहर तारकोल बिछाना।
(५) टाइल की छतों पर तारकोल बिछाना जिस से उसमें पानी न जाये।

नागा विद्रोही

†३४५६. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **प्रधान मंत्री** हय बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में बहुत से नागा विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण किया है; और

(ख) यदि हां, तो कितनों ने ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) और (ख) नागालैंड में पिछले तीन महीनों में इक्यावन विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण किया है। माहवार आंकड़े निम्न प्रकार हैं :

जून	११
जुलाई	२४
अगस्त (२८ तारीख तक) . . .	१६

†मूल अंग्रेजी में

संयुक्त राज्य अमेरिका को चाय का निर्यात

†३४५७. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका को इस वर्ष के पहले छै महीनों में चाय के निर्यात में पिछले वर्ष की उस अवधि की तुलना में बहुत कमी आई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) इस कमी के क्या कारन हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) और (ख). वास्तव में २० लाख पौंड के लगभग वृद्धि हुई है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दस्तकारी उद्योग

†३४५८. **श्री वी० चं० शर्मा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब सरकार से राज्य के दस्तकारी उद्योग को वर्ष १९६१–६२ में सहायता देने के लिये कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उसपर क्या कार्यवाही की गई है।

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) हां, श्रीमान्।

(ख) पंजाब सरकार ने दस्तकारियों के विकास के लिए वर्ष १९६१–६२ के लिए ११.४१ लाख रुपये की कुल लागत की ३३ योजनाएं प्रस्तावित की हैं। ये योचनायें, प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना, एम्पोरियमों के पुनगठन, सहकारी समितियों के विकास, औद्योगिक स्कूलों के पुनर्गठन आदि की हैं।

(ग) इन योजनाओं के लिए वर्ष १९६१–६२ के लिए केन्द्रीय सहायता की मात्रा के संबंध में अभी अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है। परन्तु इस बीच में उन योजनाओं का राज्य सरकारों द्वारा अपने संसाधनों और केन्द्र से प्राप्त मार्गोपाय पेशगियों से क्रियान्वन किया जा सकता है।

दादरा और नगरहवेली का विकास

†३४५९. **श्री वी० चं० शर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार दादरा और नगर हवेली प्रशासन को विकास कार्यों के लिए कोई वित्तीय सहायता देने का विचार कर रही है ;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए कोई योजना तैयार की गई है ;

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) आगामी वर्ष में कितनी सहायता देने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) से (घ) दादरा और नगरहवेली के भारत में विलय के पूर्व वहां के प्रशासन द्वारा एक पंचवर्षीय विकास योजना तैयार की गई थी। उसमें विशेष बहुप्रयोजन परियोजनाओं के प्रारंभ, सड़कों तथा संचार साधनों के विकास और उच्च शिक्षा, चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य सुविधाओं के उपबन्ध की कल्पना की गई थी। अब वे भाग भारत की तीसरी पंच वर्षीय योजना के विस्तार क्षेत्र में आगए हैं और उनको स्थानीय संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए उचित वित्तीय सहायता दी जायेगी परन्तु वास्तविक ब्यौरा अभी तक तैयार नहीं किया गया है ?

सिलाई की मशीनें

†३४६०. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने सिलाई की मशीनों के उत्पादन के लिए वर्ष १९६१–६२ का लक्ष्य निर्धरित कर दिया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**•: तीसरी पंचवर्षीय योजना में सिलाई की मशीनों का उत्पादन लक्ष्य तीसरी योजना अवधि के अन्त में, अर्थात् मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में बड़े पैमाने के उद्योग क्षेत्र में ४५०,००० मशीनें और छोटे पैमाने के उद्योग क्षेत्र में १५०,००० मशीनें निर्धारित किया गया है। वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करना संभव नहीं है परन्तु वार्षिक प्रगति का निरन्तर पुनर्विलोकन किया जाता है।

काशीपुर (उत्तर प्रदेश) में कागज मिल

†३४६१. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक व्यक्ति को तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में उत्तर प्रदेश में काशीपुर में एक कागज मील खोलने के लिए लाइसेंस जारी किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी लागत, वार्षिक उत्पादन और उत्पादन प्रारंभ होने के समय आदि संबंधी ब्यौरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

औद्योगिक विवाद अधिनियम

†३४६२. **श्री अमजद अली :**
डा० क० ब० मेनन :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विवाद अधिनियम को जम्मू तथा काश्मीर राज्य में लागू किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब से और यदि नहीं तो जम्मू तथा काश्मीर राज्य में श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा करने के लिए कौन से अन्य अधिनियम लागू है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या ये अधिनियम भारतीय व्यापार संस्थाओं के उन कर्मचारियों पर लागू किए जाते हैं जो जम्मू तथा काश्मीर राज्य को स्थानान्तरित कर दिए गए हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो उनका प्रशासन किन अधिनियमों के अन्तर्गत किया जाता है और उनके हितों की रक्षा किस प्रकार की जाती है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ जम्मू तथा काश्मीर राज्य में केवल भारत सरकार के अन्तर्गत नियोजित श्रमिकों से संबंधित विवादों के संबंध में लागू होता है ।

(ख) से (घ) उस राज्य में जम्मू तथा काश्मीर (औद्योगिक विवाद) अधिनियम लागू है तथा शेष श्रमिकों पर लागू होता है ।

आकाशवाणी के समाचार वाचक (न्यूज़ रीडर्स)

†३४६३. **श्री गोरे** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के समाचार वाचकों (न्यूज़ टीडर्स) के वेतनक्रम भाषानुसार भिन्न भिन्न हैं ;

(ख) यदि हां, तो हिन्दी और अंग्रेज़ी के समाचार वाचकों के वेतनक्रम क्या हैं ; और

(ग) हिन्दी और अंग्रेज़ी के समाचार वाचकों को अधिक वेतन देने के क्या कारण हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) नहीं, श्रीमान् । वर्ग विभाजन और वेतनक्रम भाषा के आधार पर नहीं किए जाते हैं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

स्थगन प्रस्ताव

मोसाबाड़ी में तांबे की खानों को बन्द किया जाना

†**अध्यक्ष महोदय** : श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने मोसाबरी की तांबे की खानों के बन्द होने के कारण तीन हजार खनिकों के काम से बैठने के बारे में एक स्थगन-प्रस्ताव की पूर्व सूचना दी है । मैं जानना चाहता हूं कि उसकी क्या स्थिति है ।

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: पिछले महीने की १४ तारीख को यूनियन ने सूचित किया था कि खानों के ३,००० और कारखाने के १,३०० इस प्रकार कुल मिलाकर ४,३०० मज़दूरों के काम से बैठाये जाने की आशा है । जांच पड़ताल से पता चला है कि कुछ कारणों से वहां अब केवल ९६ मजदूरों को काम से बैठना पड़ेगा ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : इसका मुख्य कारण यह है कि विदेशी मुद्रा की कमी के कारण जस्ता और विस्फोटक पदार्थों की कमी पड़ गई है । देश भर में तांबे निकालने की यह एक ही फर्म है । इसलिये इसका महत्व स्पष्ट है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आबिद अली** : माननीय सेदस्या ने काम से बठाये जाने वाले मजदूरों की संख्या ४,३०० बताकर इसे काफी गम्भीर समस्या का रूप दे दिया है। मैंने बताया कि काम की कुछ कठिनाइयों के कारण केवल ९६ मजदूरों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। राज्य सरकार प्रयत्न करके इतने मजदूरों को भी काम न बैठाने देने का प्रयास करेगी।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : लेकिन भारतीय तांबा निगम कर्मचारी संघ की सूचना के अनुसार तो १४ अगस्त से अब तक ३,००० खनिकों को बैठाया जा चुका है। मैं उसका कारण जानना चाहती हूं।

†**श्री आबिद अली** : माननीय सदस्या को ग़लत सूचना दी गई है।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** (खम्मम) : माननीय उपमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार प्रयत्न करेगी, लेकिन तांबे का खनन तो केन्द्र का विषय है। फिर इसका कारण क्या है? देश में तांबे की बड़ी कमी है। यदि जस्ता न भी मिले तो भी काम चलाया जा सकता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : कठिनाई तब होती है जब संख्या इतनी बढ़ा चढ़ा कर बताई जाती है; ९६ से बढ़कर ३,००० हो जाती है। पक्की-तौर पर सही सूचना लिये बिना स्थगन प्रस्ताव नहीं रखें जाने चाहियें। मैं इस स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं देता।

तीस्ता नदी पर रस्सी के पुल का टूटना

†**अध्यक्ष महोदय** : ५ सितम्बर, १९६१ के **टाइम्स ऑफ इण्डिया** के एक समाचार के आधार पर, तीन माननीय सेदस्यों ने तीस्ता नदी पर रस्सी का पुल टूट जाने की गम्भीर दुर्घटना के बारे में स्थगन-प्रस्तावों की पूर्व-सूचना दी है। समाचार के अनुसार दुर्घटना के फलस्वरूप ६२ व्यक्ति मारे गये हैं जिनमें ४ सेना अधिकारी भी थे। इस सम्बन्ध में स्थिति क्या है?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : मुझे बड़े दुःख के साथ बताना पड़ रहा है कि प्राप्त सूचना के अनुसार २ सितम्बर को शाम को लगभग साढ़े पांच बजे गंगटोक के करीब ४० मील उत्तर में एक दुर्घटना हो गई। सीमा सड़क संगठन के सैनिक और असैनिक कर्मचारी उस समय ट्रूंग में एक झूला पुल के निर्माण में लगे हुए थे। दुर्घटना का कारण यह बताया गया है कि पुल जिस आधार पर साधा गया था शायद वही धसक गया था। प्राप्त सूचना के अनुसार दो अधिकारी दो जे० सी० ओ० आठ सैनिक और २५ असैनिक कर्मचारी लापता हैं। शायद वे डूब गये हैं। प्रभारी मुख्य इंजीनियर तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गया था। अधिक विवरण अभी आने को है। हम उसकी जांच का आदेश दे रहे हैं। मृत व्यक्तियों के परिवारों को प्रतिकर देने का प्रश्न भी विचाराधीन है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : क्या उनकी लाशें मिल गई हैं?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री सभी प्रश्नों का उत्तर एक साथ देंगे।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद) : वह तिब्बत के साथ लगी हुई हमारी सीमा का क्षेत्र है। इसलिये यह निश्चित किया जाना चाहिये कि उसमें कहीं तोड़ फोड़ तो नहीं हुई।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता-पूर्व) : यह रस्सी-पुल विभाग द्वारा निर्मित कराया गया था या ठेकेदार के द्वारा?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती इलापाल चौधरी** (नवद्वीप) : मैंने इसके सम्बन्ध में एक अल्प-सूचना प्रश्न की पूर्व सूचना दी है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह 'ध्यान दिलाने' की पूर्व-सूचना है ।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : माननीय मंत्री ने कहा है कि जांच की जा रही है, जांच किस प्रकार की है विभागीय या न्यायिक ?

†**श्री रघुरामैया** : सरकार इस दुर्घटना से बड़ी चिन्तित है, क्योंकि वहां काफी अविलम्बनीय प्रकार का काम चल रहा है । सेना के उच्चाधिकारी ही उसकी जांच करेंगे ।

लाशें अभी तक लापता हैं । मैंने जिनका उल्लेख किया है उनके अतिरिक्त अभी कोई और लाश नहीं मिली है ।

२७ अगस्त को बाढ़ के साथ वहां का झूला-पुल बह गया है । वह अस्थायी पुल अभी बन ही रहा था ।

प्राप्त सूचना के अनुसार पुल जिस पर सधा हुआ था उस आधार के धसक जाने के कारण ही शायद वह दुर्घटना हुई थी परन्तु ठीक-ठीक कारण का पता लगाने के लिये हम जांच का आदेश देने जा रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा स्थगित होने से पहले यदि माननीय मंत्री को कोई अन्य सूचना मिलेगी तो वह उसे सभा-पटल पर रख देंगे ।

मैं समझता हूं कि इस स्थगन-प्रस्ताव की अब कोई आवश्यकता नहीं रह जाती । वह सब का कारण एक दुर्घटना ही है । मैं इसकी अनुमति नहीं देता ।

श्री व्रजराज सिंह ने अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने की जो पूर्व-सूचना दी है उस पर ८ को चर्चा होगी ।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

पुनर्वास प्रतिकर दावों के आवेदन-पत्रों का अस्वीकार किया जाना

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** (जम्मू तथा काश्मीर) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्न विषय की ओर पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

> "जम्मू तथा काश्मीर राज्य में बसे हुए विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास प्रतिकर के दावों को एक बड़ी संख्या में ठुकराने के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थिति ।"

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : १९ जनवरी १९५० को जारी किये गये अध्यादेश संख्या ५ के अन्तर्गत पाकिस्तान में छूटी अचल सम्पत्ति सम्बन्धी दावे मांगे गये थे । बाद में अध्यादेश के स्थान पर विस्थापित व्यक्ति (दावे) अधिनियम १९५० पारित किया गया था । उस अधिनियम की धारा ५ के अन्तर्गत जम्मू तथा कश्मीर में बसे पश्चिमी

---

†मूल अंग्रेजी में

पाकिस्तान से आये सभी विस्थापित व्यक्तियों को १ जुलाई १९५० से अपने दावों को पंजीयित करा लेना था। प्रार्थना-पत्रों की अन्तिम तिथि ३० नवम्बर १९५० रखी गई थी। जनवरी १९५२ तक भी आये प्रार्थना-पत्रों को स्वीकार कर लिया गया था। यहां तक कि कुछ कठिनाई पड़ने पर ३१ अगस्त, १९५२ तक भी प्रार्थना-पत्र ले लिये गये थे।

जम्मू तथा काश्मीर के विस्थापितों की ओर से १,३३० प्रार्थना-पत्र आये थे जिनमें से १,३१० को पंजीयित कर लिया गया था। २७·५१ लाख रुपयों की राशि १,३०७ दावेदारों को अभी तक अदा की जा चुकी है। दावा अधिनियम की अवधि १९५२ में पूरी हो चुकी है और अब उसके अन्तर्गत कोई प्रार्थना-पत्र नहीं लिया जा सकता।

विस्थापित व्यक्ति (पुनर्वास तथा प्रतिकर) नियम १९५५ के नियम ९५ के अन्तर्गत उनको एक और अवसर दिया गया था, इस शर्त पर कि वे अपने दावों के समर्थन में प्रमाण पत्र पेश करें। उसकी अन्तिम तिथि ३१ दिसम्बर १९५५ रखी गई थी। उसके लिये जम्मू तथा काश्मीर के विस्थापितों ने ५८५ और प्रार्थना-पत्र भेजे थे जिनमें से प्रमाण-पत्र होने पर केवल ३५ स्वीकार किये गये थे।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री इसे सभा-पटल पर रख दें।

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : मैं इसे सभा-पटल पर रखता हूं। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या ५०]**:

सभा पटल पर रखे गये पत्र

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) नियम

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम १९५६ की धारा २६ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २६ अगस्त, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर०१०५३ में प्रकाशित खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३१९३/६१]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम का वार्षिक प्रतिवेदन और कोयला खान (संशोधन) विनियम

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : म निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम, १९४८ की धारा ३६ के अन्तर्गत कमचारी राज्य बीमा निगम की वर्ष १९६०–६१ का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) खान अधिनियम, १९५२ की धारा ५९ की उप-धारा (७) के अन्तर्गत दिनांक ५ अगस्त, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०१४ में प्रकाशित कोयला खान (संशोधन) विनियम, १९६१।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये क्रमशः संख्या एल० टी० ३१९२।६१ और ३१९५/६१]

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : कर्मचारी राज्य बीमा निगम का १९६०–६१ का लेखा-परीक्षित लेखा कब रखा जायेगा ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : मैं अभी ठीक-ठीक नहीं बता सकता ।

राज्य सभा से संदेश

†**सचिव** : मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य-सभा के सचिव से यह संदेश मिला है कि लोक-सभा द्वारा ३१ अगस्त, १९६१ को पारित समाचार पत्र (मूल्य और पृष्ठ) जारी रखना विधेयक, १९६१ को राज्य-सभा ने अपनी ४ सितम्बर, १९६१ की बैठक में बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।

अनुपस्थिति की अनुमति

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को सूचित करना है कि सभा की बैठकों से अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने इन बारह सदस्यों को प्रतिवेदन में उल्लिखित काल के लिये, सभा से अनुपस्थित रहने की अनुमति देने की सिफारिश की है :—

१. श्रीमती इलापाल चौधरी
२. श्री में० वें० कृष्णराव
३. श्री नरेन्द्र कुमार
४. श्री हाल्दर
५. श्री इलयापेरूपाल
६. श्री सु० चं० चौधरी
७. श्रीमती विजयराजे सिन्धिया
८. श्री बालासाहेब सालुंके
९. श्री फतहसिंह घोड़ासर
१०. श्री अशण्णा
११. श्री दुरायस्वामी गौंडर
१२. श्री क० ना० सिंह

आशा है सभा इस सिफारिश से सहमत है ।

†**माननीय सदस्यगण** : जी हां ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सदस्यों को इसकी सूचना दे दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

धार्मिक न्यास विधेयक

संयुक्त समिति में सदस्यों की नियुक्ति

†**श्री राधेलाल व्यास** (उज्जैन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्री चन्द्रमणि लाल चौधरी को, धार्मिक न्यास विधेयक, १९६० सम्बन्धी संयुक्त समिति में श्री भोली सरदार की मृत्यु से होने वाली रिक्ति में नियुक्त किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि श्री चन्द्रमणि लाल चौधरी को, धार्मिक न्यास विधेयक, १९६० सम्बन्धी संयुक्त समिति में श्री भोली सरदार की मृत्यु से होने वाली रिक्ति में नियुक्त किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री राधेलाल व्यास** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा धार्मिक न्यास विधेयक, १९६० सम्बन्धी संयुक्त समिति में श्री हरिहर पटेल के राज्य सभा से त्याग-पत्र देने के कारण हुई रिक्ति में राज्य सभा के एक सदस्य को नियुक्त करे और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में इस प्रकार नियुक्त किये गये सदस्य का नाम इस सभा को बताये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम) : इसमें इतनी जल्दी क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : स्थान रिक्त हुआ है, तो उसकी पूर्ति हो ही जानी चाहिये ।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा धार्मिक न्यास विधेयक, १९६० सम्बन्धी संयुक्त समिति में श्री हरिहर पटेल के राज्य सभा से त्याग-पत्र देने के कारण हुई रिक्ति में राज्य सभा के एक सदस्य को नियुक्त करे और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में इस प्रकार नियुक्त किये गये सदस्य का नाम इस सभा को बताये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा का कार्य

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने कल सरकारी विधान सम्बन्धी तथा अन्य के लिये समय के बंटवारे के सम्बन्ध में बताया था। क्या किसी माननीय सदस्य को उसके बारे में कुछ कहना है ?

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : इस सत्र के प्रथम सप्ताह में हमें बताया गया था कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय विधेयक को इसमें लिया जायेगा और प्रवर समिति इस सत्र की समाप्ति के पहले-पहले उस पर अपना प्रतिवेदन दे देगी। कार्य मंत्रणा समिति को समय का बंटवारा करते समय इस का भी ध्यान रखना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन और आगामी सप्ताह के कार्य के विवरण में भेद करना चाहिये। समिति केवल मंत्रणा देती है, निर्णय तो सरकार करती है। संसद्-कार्य मंत्री इस सुझाव को ध्यान में रखेंगे।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता—मध्य) : उस विधेयक को न लेने का अभी तक कोई कारण नहीं बताया गया है। यह अनुचित है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को यह सुझाव पहले देना चाहिये था।

तब तो न माननीय सदस्य और न उनके दल के किसी सदस्य ने ही यह प्रश्न उठाया था।

मैं इस पर चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा।

समय का बंटवारा करना एक चीज है और कब क्या लिया जाये यह सुझाव देना बिलकुल दूसरी चीज है।

†**डा० कृष्ण स्वामी** (चिंगलपेट): मैं चाहता हूं कि निक्षेप बीमा निगम विधेयक के लिये एक घंटा और अधिक दिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है। मैं उसके लिये एक घंटा और अधिक दे दूंगा।

यूरोपीय सामान्य मंडी के सम्बन्ध में ८ तारीख को चर्चा होगी। इसे कार्यावलि में सम्मिलित कर लिया जायेगा।

सभा इस बंटवारे से सहमत हो गई है, उसमें केवल यही रूपभेद किया गया है।

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री सें० वें० रामस्वामी द्वारा ४ सितम्बर, १९६१ को प्रस्तुत इस प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी :—

"कि भारतीय रेलवे अधिनियम, १८९० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

हम सामान्य चर्चा के लिये ४ घंटे और अन्य अवस्थाओं के लिये एक घंटा देंगे।

श्री ब्रज राज सिंह !

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री अजराज सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं कल निवेदन कर रहा था कि रेलवे को माल ढोने के सम्बन्ध में अपनी सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेनी चाहियें। जहां मैं ने कहा कि यह बिल जो लाया जा रहा है वह स्वागत करने योग्य है, वहां उसी के साथ साथ मैं कुछ ऐसी बातों की तरफ रेलवे मंत्रालय का ध्यान दिलाना चाहूंगा जो आज भी रेलवे की तरफ से हो रही हैं, और जनता को, जो कि रेलवे को अपना माल ढोने के लिये सुपुर्द करती है, उसे दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं।

अक्सर देखा जाता है कि रेलवे के विभिन्न स्टेशनों पर कुछ एजेन्ट रहते हैं जो जनता और रेलवे के अधिकारियों के बीच में सम्पर्क कायम करते हैं, और इस के लिये वे कुछ पैसा चार्ज किया करते हैं। रेलवे जो एक सरकारी विभाग है, सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, इस लिये उस में कोई इस तरह की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिये कि बीच में कुछ लोग जनता और रेलवे में सम्पर्क कायम करने के लिये आयें और इस के लिये कुछ पैसा चार्ज करें। मैं आशा करूंगा कि रेलवे मंत्री इधर ध्यान देंगे तथा यह प्रयत्न करेंगे कि इस तरह के लोग जहां जहां हों और जहां जनता को उन की वजह से मुसीबतें उठानी पड़ती हों वे सब दूर हों।

इसी सन्दर्भ में मैं एक और बात निवेदन करना चाहता हूं जब माल ढोने की बात चल रही है और रेलवे अपने ऊपर उस की जिम्मेदारी ले रही है तो यह भी ध्यान रखा जाना चाहिये कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विकास कार्यों की वजह से जो माल ढोने का वाल्यूम पैदा हो रहा है, उस माल को ढोने की क्षमता भी रेलवे में होनी चाहिये, यद्यपि रेलवे मंत्री महोदय की तरफ से बार बार यह बात कही गई है कि रेलवे की क्षमता को बढ़ाने के लिये सम्भवतः उन को पूरा धन नहीं दिया जा रहा है। जो भी हो सरकार की यह अपनी बात है। जनता के एक प्रतिनिधि की हैसियत से हमें उस से कोई विशेष मतलब नहीं है। लेकिन मैं चाहूंगा कि जो आवश्यकता की चीजें हैं उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ढोने के लिये रेलवे में पूरी क्षमता होनी चाहिये। कभी कभी कोयला ढोने की दिक्कत आती है। एक जगह पर कोयला जमा पड़ा रहता है और दूसरी जगह रेलवे उसे पहुंचा नहीं पाती है। इंडस्ट्रीज बन्द हो जाती हैं, मजदूर बेकार हो जाते हैं और इस तरह से बहुत विकट परिस्थिति पैदा होती है, जिस की रेलवे को जिम्मेदारी ओढ़नी चाहिये। मैं समझता हूं कि भारतवर्ष की रेलवेज इस तरह के कदम उठायेंगी जिस से कहीं पर कोयले का स्टाक जमा होने न पाये और उस स्टाक के एक जगह पर जमा होने की वजह से तथा जहां आवश्यकता है वहां न पहुंचने की वजह से लोगों को दिक्कत न हो।

इसी तरह सीमेंट का सवाल है, दूसरे माल हैं जिन के ढोने की जिम्मेदारी रेलवे पर है परन्तु वह उसे ढो नहीं पाती है। मैं आशा करूंगा कि रेलवे मंत्री महोदय इस तरफ ध्यान देंगे और उन दिक्कतों को दूर करने के लिये जो यह बिल पेश किया जा रहा है, उस के अनुसार ऐसे कदम उठायेंगे जिस से इन दिक्कतों के कारण जनता के मार्ग में कोई कठिनाई न रह जाये।

†**श्री अरविन्द घोषाल (उलूबेरिया)** : यह विधेयक रेलवे भाड़ा ढांचा समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये है। उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में कहा गया है कि पशुओं और माल के यातायात में रेलवे के जमानतदार के दायित्व को अधिक व्यापक बनाया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे चोरी के फलस्वरूप पशुओं और माल को पहुंचने वाली क्षति का दायित्व रेलवे अपने ऊपर शायद नहीं लेना चाहती । इसमें कहा गया है कि "जनता के शत्रुओं" द्वारा किये गये नुकसान के लिये वह जिम्मेदार नहीं होगी । इस तरह तो रेलवे सभी दावों को अस्वीकृत कर सकेगी ।

खण्ड १३(२) व्यक्तिगत रूप से दावों का नोटिस देने की व्यवस्था है । इससे छोटे-मोटे व्यापारियों को बड़ी कठिनाई हो जायेगी । वे अभिकर्ताओं द्वारा अपने दावे नहीं भेज सकेंगे ।

[श्री मूल चन्द्र दुबे पीठासीन हुए]

सभी रेलवेज को इसके लिये एकरूप प्रणाली अपनानी चाहिये । अभिकर्त्ताओं द्वारा भेजे गये दावों को भी वैध माना जाना चाहिये ।

दूसरी कठिनाई पड़ेगी माल लेने वाले को माल पहुंचने पर सूचना देने की । यदि समय पर माल नहीं आता तो उसे रोज-रोज स्टेशन जाना पड़ेगा । यदि वह नहीं जायेगा तो माल लापता पार्सलों के कार्यालय में पहुंचा दिया जायेगा । इसके लिये कोई व्यवस्था की जानी चाहिये ।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती पीठासीन हुईं]

खण्ड १४ में व्यवस्था है कि दावों इत्यादि सम्बन्धी मुकदमे उसी नगर में चलेंगे जहां माल पहुंचना था । इससे अभी भी बड़ी कठिनाई हो रही है हावड़ा न्यायालय में । वकील उनकी ओर ठीक से ध्यान भी नहीं दे पाते । होना यह चाहिये कि प्रधान कार्यालय जिस नगर में हो, वहीं ऐसे मुकदमे चलें ।

होता यह है कि ऐसे मुकदमों में ५-६ वर्ष लग जाते हैं और तब तक बहुत सा रिकार्ड लापता हो जाता है । न्यायालय में रेलवे अधिकारी द्वारा प्रविष्ठियों के विवरण की प्रमाणित प्रति को साक्ष्य नहीं माना जाना चाहिये । वह व्यवसायियों के साथ अन्याय होगा । केवल प्रमाणित प्रतियों को साक्ष्य नहीं माना जाना चाहिये ।

दावे दायर करने वाले एजण्टों के सभी कार्यालय सेवा-निवृत्त कर्मचारियों द्वारा चलाये जा जा रहे हैं । कलकत्ता में ९० प्रतिशत कार्यालय इसी प्रकार के अधिकारियों द्वारा खोले गये हैं । इन व्यक्तियों का रेलवे अधिकारियों पर कुछ प्रभाव होता है । इस प्रकार जो कार्य न्यायालयों द्वारा नहीं हो सकता है वह इनके प्रभाव से हो सकता है । मेरे विचार से इस प्रकार की प्रथा को समाप्त करने के लिये आवश्यक कदम उठाये जाने चाहियें ।

†**डा० को० ब० मेनन**(बड़ागरा) : प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक उस उद्देश्य को पूरा नहीं करता जिसके लिये वह प्रस्तुत किया गया है । विधेयक का वास्तविक उद्देश्य यह है कि रेलवे पर जामिन का दायित्व न रख कर उस पर सामान्य वाहक का दायित्व रखा जाय । इसका कारण यह है कि अब प्रशासन बदल गया है और सरकार अपने ऊपर कुछ दायित्व लेना चाहती है ।

दुख की बात है कि रेल भाड़ा ढांचा जांच समिति ने जो स्पष्ट और पुरजोर सिफारिशें की थीं उन्हें भी क्रियान्वित नहीं किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

यद्यपि उक्त समिति यह जानती थी कि रेलवे के दायित्व में परिवर्तन करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना होगा। तथापि फिर भी उसने यह तारीख विहित की थी कि भाड़े की वृद्धि के एक वर्ष के भीतर यह बात लागू कर दी जाय लेकिन एसा अभी तक नहीं किया गया है।

समिति ने इसी कारण भाड़े में वृद्धि की है क्योंकि समिति का विचार है कि जनता अपने माल को सुरक्षा और शीघ्रता से अपने स्थान में पहुंचाने या प्राप्त करने में दिलचस्पी रखती है भले ही भाड़ा कुछ बढ़ा दिया जाय।

प्रवर समिति में कई साक्षियों ने अपनी गवाही मे कहा है कि माल के संबंध में अधिकारियों द्वारा जान बूझ कर असावधानी बरती जाती है तथा दावों पर अनुचित विलम्ब किया जाता है और कभी कभी तो माल पहुंचने पर भी ४० से ४७ दिनों तक प्राप्त कर्त्ता को सूचना नहीं दी गयी है।

इसका एक कारण यह है कि समिति सड़क परिवहन की प्रबल प्रतिद्वंदिता से अवगत थी और उनकी यह प्रार्थना सही भी है कि यह प्रतिद्वंदिता दिनों दिन बढ़ती जायगी। अतः रेलवे को जनता की मांग अधिक शीघ्रता, सुरक्षा और कुशलता से पूरी करनी चाहिये। आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि दक्षिण भारत के कई राज्यों में अन्तर्राज्यीय बस सेवायें हैं और वह दूर दूर तक बस से माल पूरी शीघ्रता और कुशलता से पहुंचाती हैं।

यद्यपि विधेयक में परिवर्तन का सिद्धान्त स्वीकार किया गया है। किन्तु उसे लागू करने की पूरी चेष्टा नहीं की गयी है। उसमें सात अपवादों को रखा गया है जो अन्य किसी देश में नहीं रखे गये हैं। मेरे विचार से सरकार को इस विधेयक में तदनुसार परिवर्तन करना चाहिये। तथा एक सामान्य वाहक का पूरा दायित्व अपने कंधों पर लेना चाहिय।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : मुझे प्रसन्नता है कि रेलवे की जिम्मेदारी में एक बुनियादी परिवर्तन आ गया है। अभी तक रेलवे केवल एक जामिन का दायित्व निभा रही थी। जो आज के समय को देखते हुए बहुत कम था। तथापि अभी भी जो व्यवस्था की गयी है वह काफी नहीं है क्योंकि सामान्य वाहक का दायित्व भी पर्याप्त नहीं है। अपितु रेलवे का दायित्व एक बीमाकर्ता का होना चाहिय जो कि, किसी भी प्रकार की क्षति होने के बावजूद भी प्राप्त कर्त्ता को माल पहुंचा सके। तथापि संक्राति काल में जो कुछ भी किया गया है मैं उससे सहमत हूं। हमें आशा है कि इस सम्बन्ध में रेलवे अग्रेतर कोई विधान प्रस्तुत करेगी।

धारा में विधेयक को लेता हूं। धारा ७३ से माल भेजने वाले को निश्चय लाभ हुआ है।

किन्तु कुछ एक अपवाद हैं जिस का समर्थन नहीं किया जा सकता अपवाद (च) जो 'रेलवे' को वाहक के दायित्व से मुक्त करता है उसकी सावधानी से जांच करना आवश्यक है ऐसे माल सम्बन्धी उपबन्ध को भी कड़ा बनाया जाये जो स्वाभाविक कारणों आदि से तोल में कम हो जाता है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

नष्ट होने वाले सामान के बारे में रेलवे का जो दायित्व है उससे रेलवे को रेलों की टक्कर मामले में मुक्त न किया जाय क्योंकि ऐसी दुर्घटनायें आम तौर पर रेलवे प्रशासन की असावधानी के कारण होती हैं।

रेलवे को चाहिये कि वह छोटे मोटे दावों के सम्बन्ध में कुछ निदेशात्मक सिद्धान्त स्थिर करें। छोट मोट दावों को अधिकारी भी निपटाना नहीं चाहते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि इस प्रकार उनके

---

†मूल अंग्रेजी में

ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप आ सकता है तथापि उन्हें तेजी से निपटाने का प्रयत्न होना चाहिये जिससे गरीब लोगों का नुकसान नहीं हो। इस सम्बन्ध में अधिकारियों को स्वविवेक से निर्णय करने की शक्ति प्रदान की जानी चाहिये।

यदि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि दावा या विधि विभागों में काम कर चुके हैं और पद निवृत्ति के बाद दावा एजेंट बन जाते हैं तो यह एक गम्भीर मामला है इस ओर सरकार को तत्काल ध्यान देना चाहिये। यदि सरकार आवश्यकता समझे तो उसे इस सम्बन्ध में विधान बनाना चाहिये। सरकार को चाहिये कि इन लोगों को लायसेंस देने की नीति अपनायी जाये। इससे अधिकारियों को प्रभावित करने की सम्भावना कम से कम हो जायेगी।

श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय जो विधेयक सभा भवन के सामने है, मैं उस का समर्थन कर रहा हूं। यह ठीक है कि माल भेजने वालों और मंगाने वालों को जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने के लिये इस बिल में काफी सुधार किया गया है। लेकिन सवाल हमारे सामने जो है वह यह है कि रेलवे प्रशासन को ऐसे कदम उठाने चाहियें जिनसे नुकसान होने की कम से कम सम्भावना हो। कुछ ऐसे कारण हैं जिन की वजह से काफी नुकसान हो जाता है। यह सही है कि इस विधेयक के द्वारा कुछ दिक्कतों को दूर कर दिया जाय जो लोगों को नुकसान होता था और उसके कारण जो क्षति पहुंचती थी शायद उसकी पूर्ति कर दी जाय, लेकिन यह काफी नहीं है। अगर माल का नुकसान अधिक होता है तो वह उस माल से सम्बन्धित व्यक्तियों का ही नुकसान नहीं है, बल्कि सारे राष्ट्र का नुकसान है और राष्ट्र की सम्पत्ति का नुकसान है। इसलिये जो भी माल रेलवे के द्वारा लाया जाय या ले जाया जाय। उस को बहुत सुरक्षित रखना चाहिये और उस को नुकसान से बचा कर ले जाने की ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था की जानी चाहिये।

हम किरोसिन आयल के बारे में देखत हैं। पहले रेलवे उस के नुकसान की जिम्मेदार नहीं लेती थी, और उस में काफी नुकसान हो जाता था। उस के कारण किरोसिन आयल कम्पनियों को काफी नुकसान उठाना पड़ता था क्योंकि जिन व्यापारियों को यह माल भेजती थीं, उन को उनकी क्षतिपूर्ति करनी पड़ती थी। परन्तु अब मुझे ऐसा मालूम होता है कि रेलवे ने जब से यह नुकसान अपने ऊपर लिया है तब से जो आमदनी उस को उन टिन्स के ले जाने से होती है उस को देखते हुए नुकसान काफी उठाना पड़ता है। टिन्स में जरा भी धक्का लगने से काफी टूट फूट हो जाती है और किरोसिन आयल बह जाता है। इसलिये माल ले जाते वक्त ऐसे वैगन्स में ले जाना चाहिये जिनमें डब्बे टक्कर खा कर बहुत टूट फूट न जायें और रेलवे का नुकसान कम हो। नहीं तो यह नुकसान तो होगा ही, उससे सारे देश की हानि है। केवल यही नहीं है कि वह सम्बन्धित व्यक्तियों या रेलवे को ही है।

इसी तरह से जब माल वैगन्स से उतारा जाता है तो उसके लिये जो मजदूर होते हैं वे ठीक तरह से उस को नहीं उतारते हैं और सुरक्षित रूप में नहीं रखते हैं। अक्सर वे उस को फेंक दिया करते हैं, बंडल के बंडल और पारसल के पारसल। जिससे टूट फूट बहुत हो जाती है और काफी नुकसान उठाना पड़ता है। उस में अक्सर ऐसी चीजें होती हैं जो कि कांच की या दूसरी टूटने वाली चीजों की होती हैं। बहुतों में छोटे छोटे पुर्जे होते हैं और वे टूट जाते हैं। यह नुकसान इसलिये होता है कि माल ठीक से नीचे उतारने की व्यवस्थानहीं होती है। कहीं कहीं तो बीच में लाकर मालगाड़ी को खड़ी कर दिया जाता है। न इधर साइडिंग पड़ती है और न उधर साइडिंग पड़ती है, जहां पर गुड्स प्लेटफार्म भी नहीं हैं और बीच में ही माल उतारना पड़ता है। उस में अक्सर मैंने देखा है कि कुली बुरी तरह से माल को फेंकते हैं। यदि जनता की शिकायतें दूर कर दी जायेंगी तो यह आमदनी भी कम नहीं होगी। मैं आशा करता हूं कि रेलवे प्रशासन इस ओर ध्यान देगा।

†**श्री रमेश प्रसाद सिंह** (औरंगाबाद) : मैं इस विधयक का स्वागत करता हूं। वस्तुतः इस विधेयक से जनता की बहुत पुरानी मांग पूरी हुई है।

इससे रेलवे का दायित्व एक जामिन से बढ़ कर एक सामान्य वाहक का हो गया है इसके लिये रेलवे बधाई की पात्र है।

इसमें जो नौ अपवाद रखे गये हैं मैं उनसे सहमत हूं और मेरे विचार से वस्तुतः विधेयक को उन सभी आकस्मिकताओं का भी उपबन्ध कर लेना चाहिये अतः मेरे विचार से इसमें आपत्तिजनक कुछ भी नहीं है।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और सभा से सिफारिश करता हूं कि इसको पारित करें।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (वल्लौर) : इस विधेयक से लोगों की बहुत पुरानी मांग पूरी हुई है और रेलवे दायित्व में जो वृद्धि इस विधेयक के द्वारा की गयी है उसके लिये रेलवे बधाई की पात्र है।

[डा० सुशीला नायर पीठासीन हुई]

तथापि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि कहीं इन विभिन्न खण्डों के द्वारा जो विधेयक में रखे गये हैं रेलवे का दायित्व कम तो नहीं हो जाता है।

जहां तक धारा ७३ का सम्बन्ध है उसमें जो अपवाद उल्लिखित किये गये हैं उनमें से केवल दो अपवादों की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उनमें से एक इस प्रकार है कि यदि सामान भेजने वाले या उसे प्राप्त करने वाले की गलती अथवा असावधानी से कोई क्षति होगी तो रेलवे पर इसका को दायित्व नहीं होगा। मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि जब रेलवे अधिकारी सामान स्वीकार करता है तो वस्तुतः उसी समय उसे यह देख लेना चाहिये कि सामान का पैकिंग इत्यादि ठीक प्रकार से हुआ है कि नहीं। यदि नहीं है तो उसे पूरा अधिकार है कि वह उसे वापस कर देवें। परन्तु जब एक बार उन्हें यह पैकेट स्वीकार कर लिया है तो उनका यह दायित्व है कि वह अपने स्थान तक सुरक्षा से पहुंचें। अगर कोई गलती रह भी गयी है तो यह रेलवे अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि उसे वह सही स्थान तक पहुंचाये।

उपखंड (छ) में यह लिखा गया है कि वस्तु के स्वाभाविक गुण अथवा खराबी इत्यांदि के कारण होने वाली क्षति के लिये रेलवे उत्तरदायी नहीं होगी। तथापि अधिकांश यह देखा जाता है कि खाद्यान्नों के बोरों में से वह एक धातू से साधन से बहुत सा अनाज बाहर निकाल लिया जाता है, सरकार को चाहिये कि वह इस प्रकार की कायवाहियों पर रोक लगायें। होता यह है कि रेलवे का कर्मचारी माल की जांच करने के बहाने बहुत सा माल नमुने के तौर पर निकाल लेते हैं। यह प्रथा समाप्त की जानी चाहिये।

एक जैसे नामों के कारण माल के अन्यत्र चले जाने और फलस्वरूप उसके विलम्ब से दिये जाने की जो ईमानदारी से गलतियां हो जाती हैं उनकी जांच की जांये और माल छड़ाने वालों को उसका मुआवजा दिया जाये। निर्धारित कालावधि के अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे मामले दायर करने पर प्रतिवन्ध नहीं होना चाहिये। कालावधि इस प्रकार निश्चित की जाये कि उससे माल भेजने या छुड़ाने वाले व्यक्ति को लाभ हो।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे को चाहिये कि वह अपने दावे स्वयं निपटाये। इसे सुनिश्चित करने के लिये एक विभाग होना चाहिये। रेलवे अपने मध्यस्थ निर्णय के छोटे कार्यलय और मध्यस्थ अधिकारी रख सकती है।

†श्री त० ब० विट्ठलराव (खम्मम): मैंइस संशोधन विधेयक का स्वागत करता हूं। यह विधेयक रेलवे भाड़ा समिति की सिफारिशों के अनुरूप है। आजकल रेलों का मोटर परिवहन के साथ बड़ी प्रतिस्पर्द्धा चल रही है। रेलों पर मुआवजों के दावे की संख्या बढ़ती जा रही है। भविष्य में क्षति कम होनी चाहिये इस लिये क्लर्क, पारसल क्लर्क आदि को प्रशिक्षण दिया जाये हम विधेयक के बाद कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना आवश्यक है। मैं, आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस बारे में ध्यान देंगे ताकि इन दावों की संख्या कम हो जाय।

इस विधेयक में यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसी साईडिंग में जो कि सरकार के सहयोग से बनाई गई है, और वहां जानवरों आदि को जो क्षति पहुंचती है उसका दायित्व किस पर है सरकार इस दयित्व के बारे में स्पष्ट करे। धारा ७९ क, ७९ ख और ७९ ग का वाकयविन्यास ठीक नहीं हैं। उनमें इस प्रकार का संशोधन किया जाये कि रेलवे का दायित्व सीमित रहे। क्यों कि वर्तमान विधेयक में जो वाक्य विन्यास है वह माल भेजने वाले के हित मे नहीं है। माल ढोने के दौरान में माल की जो क्षति हो जाती है उसकी पूर्ति की व्यवस्था उचित नहीं है। माल भेजने वाले को इस बात की छूट होनी चाहिये कि वह माल भेजने वाले स्टेशन पर अथवा माल छुड़ाने वाले स्टेशन पर दावा दायर कर सके। अत: धारा ७८ ख की व्यवस्था ठीक नहीं है।

गाड़ी के पटरी से उतर जाने अथवा दुर्घटना होने के कारण उसका दात्वि रेलवे प्रशासन पर होना चाहिये। जहां तक बिगड़ने वाली वस्तु ओं का सम्बन्ध है उन्हें उसी स्थान पर नीलाम कर दिया जायेगा। किन्तु रेलवे उनके पूरे मल्य को वसूल न कर सकेगी अत: वस्तुओं के भेजने वाले तथा मुड़ाने वाले को हानि उठानी पड़ेगी। वस्तुओं के यातायात को ठीक ढंग से नहीं सम्भाला जा रहा है। ले जाई जाने वाली वस्तुओं के प्रकार को विचार में रखते हुए ढके हुए या खुले वैगर दिये जायें।

†श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। कानपुर के बहुत से फल विक्रताओं के दावे अभी तक अनिर्णीत स्थिति में पड़े है। उनके बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है। शीघ्र ही यह निर्णय किया जाने चाहिये। बिगड़ने गाली चीजों का जहां तक सम्बन्ध है, यह तो ठीक है कि सरकार ने उनका दायत्व ले लिया है लेकिन नई धारा ७३ में "ईश्वर की माया" शब्दों का जो प्रयोग किया गया है वह ठीक है नहीं हैं। हम इनके स्थान पर "गम्भीर प्राकृतिक आपात" या ऐसे किन्हीं और शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार "जनविरोंधी लोगों के कार्य" शब्द भी क्रान्ति कारी से है। इनकी उचित परिभाषा की जानी चाहिये। वरन बहुत से व्यक्तियों को हानि पहूंचगी।

कोयले के बारे में मुझे सख्त णिकायत है। कानपुर के आम कोयला विक्रेताओं की शिकायत है कि उन्हें पर्याप्ति मात्रा में कोयला नहीं मिलता। घरेलु एंव औद्योगिक प्रयोजन के लिये कोयले की वहां बहुत कमी हो वहां ८५,००० से ९०,००० मन कोयले की आवश्यकता है जबकि मिलता है केवल २०,००० से २५,००० मन ही। यातायात की रुकावट एवं उस पर अधिक भार ही इसका कारण है। वैगनों में कम कोयला आने की शिकायत ठीक ही है। कहा जाता है कि प्रत्येक वैगन में उन्हें १५ से २० मन कोयला कम मिलता है। उच्चाधिकारियों से शिकायत करने

†मूल अंग्रेजी में

पर ज्ञात हुआ कि कुछ लोग कोयला चोरी करने का काम करते हैं और शिकायत करने पर मारने तक की धमकी देते हैं अतः इसके बारे में कुछ नही किया जा सकता। मेरा निवेदन है कि इस चोरी को रोकने का प्रयत्न किया जाना चाहिये और १५-२० मन कोयला की जो हानि होती है उसे रोकना चाहिये। यह ठीक ही है कि वैगन बनाने का काम गैर सरकारी उपक्रमों पर नहीं छोड़ना चाहिये। वे घटिया किस्म के वैगन बनाते है जल्दी ही खराब हो जाते हैं और फिर इस प्रकार उनको और काम मिलता है दावों को निपटाने में न्यनतम समय लिया जाना चाहिये। मैं यह मालूम करना चाहता हूं कि क्या इसके लिये न्यूनतम समय की व्यवस्था करना विधेयक में सभंव नहीं है।

यह दुख की बात है कि रेलवे संरक्षण बल के कार्य करते हुए भी चोरियां और नुकसान बढ़ते जा रहे हैं। आशा है कि माननीय मंत्री महोदय इस बारे में विचार प्रकट करेंगे। कानपुर के लिये पर्याप्त संख्या में वैगन दिये जाएं वहां से देश के विभिन्न भागों को विशेषरूप से दक्षिण को एक बड़ी संख्या में चीज़े भेजी जाती हैं।

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : यह प्रसन्नता की बात है कि अधिकाशत माननीय सदस्यों ने इस विधेयक का स्वागत किया है इस विधेयक ने भारतीय रेलों के दायित्व में मूलभूत पारिर्वतन किया है। इस विधेयक के अनुसार भारतीय रेलवे की जिम्मेदारी अब एक जामिन की न रह कर एक "वाहक" की हो गई है। विधेयक में उपबंधित बहुत सी सुविधाएं ब्रिटिश अवस्थाओं के अनुसार है तथा ब्रिटिश रेलवे के अनुभवों के आधार पर है। डा० मेनन ने आपत्ति की है कि हमने यह विधेयक देर मे प्रस्तुत किया है। यह आपत्ति ठीक नहीं है क्यों कि नये भाड़े की दरों से जारी करने के बाद एक साल के भीतर ही हमने यह विधेयक प्रस्तुत कर दिया है। कुछ आंकड़े भी हमें इकट्ठा करने थे इस कारण भी कुछ देर हुई है।

वर्तमान विधि के अनुसार भी हमें बिगड़ने वाली वस्तुओं के बेचने का अधिकार प्राप्त था। अब तो हम इसे केवल नियम बद्धकर रहे हैं क्यों कि यदि हम आम वाहकों के उत्तरदायित्व को अपने पर हर लेते हैं तो संभव है कि भारतीय संविधान अधिनियम के अन्तर्गत अधिकार उपलब्ध न हो।

धारा ७३ के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है। 'ईश्वर की माया' शब्द कई संविधियों में भी पाये जाते हैं। यह तो कहने की एक कला है। अतः इन शब्दों का कोई नया प्रयोग नहीं है। अतः ये शब्द तो ब्रिटिश स्तरीय शर्त और निबंधन की दशा (३) के अनुकूल है। और यह दशा (३) १ जनवरी १९२८ से लागू है और इसका प्रभाव अच्छा रहा है। इसी आधार पर एक परन्तुक जोड़ दिया गया है। यह परन्तुक माल भेजने वाले एवं: जनता दोनों के ही हित में है। मेरा विचार है कि इससे बढ़िया और कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती थी। ऐसा करने से रेलवे ने जनता का बहुत भला किया है और अपने ऊपर एक बहुत बड़ा उत्तर दायत्व ले लिया है।

इसी प्रकार धारा ७८ ख में प्रवर समिति द्वारा जोड़ा गया परन्तुक सामान्य रेलवे उपभोक्ता के हितों की ओर सरंक्षण करता है। जनता के हित में इससे अच्छी व्यवस्था और कोई दूसरी नहीं हो सकती थी।

कुछ माननीय सदस्यों का यह कहना है कि रेलों की भिड़न्त एवं गाड़ियों का पटरियों पर से उत्तर जाना आदि की बात को धारा ५९ के क्षेत्राधिकार से निकाल देना चाहिये। मेरा निवेदन है कि रेलवे के उत्तरदायित्व को धारा ५६ (क) (१) के पुरःस्थापित करने से समाप्त नहीं किया जा सकता। यह नागरिकों को दिया गया संरक्षण का साधन है और इसमें इस बात का विचार नहीं किया गया है कि यह हानि टक्कर से या रेल के पटरी से उत्तर जाने से अथवा रेलवे की

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सें० वें० रामस्वामी]

लापरवाही से हुई। रेलवे की हानि तथा मालिक की हानि में भी कोई भेद नहीं रखा गया है। इस लिये मालिक अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिये प्रस्तावित धारा ५६ क (१) का सहारा ले सकता है।

गाड़ी के पटरी से उतर जाने अथवा टक्कर के कारण जो क्षति हुई हो उसके लिये कटौती करना ठीक ही है। क्यों कि उस स्थान तक तो रेलवे माल ले ही जाती है। लेकिन फिर भी नयी धारा ५६ क (३) के अनुसार मालिक रेलवे के विरुद्ध अपने अधिकारों का दावा कर सकता है। धारा ७६ क, ७६ ख तथा ७६ ग ठीक प्रकार से सोच समझ कर रखी गई हैं। मेरा विचार है कि इनमें कोई भुल नहीं है।

दावों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। माननीय सदस्यों ने मुझे आगाह किया है कि यह नया दायित्व ग्रहण करने के बाद आपको अधिक सावधानी से काम करना चाहिये, अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना चाहिये, जिससे कि चोरियां न हों और प्रतिकर के दावे कम से कम हों। हम सावधान रहते हैं।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् ने कहा है कि दावों की संख्या बढ़ने का कारण यह है कि यातायात बढ़ गया है।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** (कोयम्बटूर) : मैंने यह नहीं कहा। मैंने तो यह कहा था कि माननीय मंत्री शायद यही कारण बतायें।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : मैंने समझा था कि शायद माननीय सदस्या ने वह कारण स्वीकार कर लिया था। खैर, मेरी ग़लती है। उसके दो और भी कारण हैं। मूल्यों का स्तर चढ़ जाने के कारण माल का मूल्य बढ़ गया है। और साथ ही, भाड़े के पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप कुछ वस्तुओं को मालिकों के जोखिम की सूची से निकाल दिया गया है। फिर भी दावों में कोई बहुत अधिक वृद्धि नहीं हुई। १९५९–६० में दावे ३.७ करोड़ रुपये के थे, और १९६०–६१ में थोड़े अधिक ३.९ करोड़ रुपये के हो गये हैं। हम रोकथाम करते रहते हैं। इन तीनों कारणों को देखते हुए, दावों की वृद्धि कोई बहुत ज्यादा नहीं कही जा सकती।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : क्या मालिकों के जोखिम और रेलवे के जोखिम के साथ बुक किये गये माल के अलग-अलग आंकड़े हमें बताये गये हैं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : मैं इस तरह आंकड़े देखे बगैर नहीं बता सकता। फिर भी मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम प्रतिकर के दावों की संख्या कम से कम करने के लिये प्रयत्नशील हैं।

दावों के निबटारे में विलम्ब के बारे में कहा गया है। १९५४–५५ में उसमें औसत रूप से ६१ दिन लगते थे। फिर १९५७–५८ में ४९ दिन ही लगे। पिछले वर्ष उनके निबटारे में ५२ दिन लगने का मुख्य कारण यह था कि बाढ़ों, इत्यादि के फलस्वरूप दावों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। परन्तु मैं सभा को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम विलम्ब को न्यूनतम करने के लिये प्रयत्नशील हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

एक माननीय सदस्या ने अधिक शीघ्रता से परिवहन करने, माल डिब्बों की सुविधायें जुटाने और माल-डिब्बों के निर्माण के बारे में पूछा है। स्थिति यह है कि माल-डिब्बों के निर्माण की क्षमता देश में पर्याप्त है। परन्तु इस्पात की कमी के कारण निर्माण का काम आगे नहीं बढ़ सका। इसीलिय हमें आयात करना पड़ा था और उसमें कुछ समय तो लगता ही है। लेकिन अब उसमें से अधिकांश देश में आ चुका है। हम अपने यहां के कारखानों में लगभग १५,००० माल-डिब्बों का निर्माण करेंगे। बक्स की तरह के चौकोर, २,००० माल-डिब्बों के निर्माण के लिये चार कारखाने चुने गये हैं। हम इस्पात की कमी की पूर्ति के लिये भी यथाशक्ति प्रयास कर रहे हैं। यदि परिस्थितियां अनुकूल रहीं और हमें इस्पात मिल गया तो हम प्रति वर्ष २६,००० माल-डिब्बे देश में ही तैयार कर सकेंगे।

कोयले के सम्बन्ध में, मुझे यह बताते खुशी हो रही है कि बंगाल-बिहार क्षेत्र में जुलाई के बाद से प्रति दिन ५,०३० माल-डिब्बों से माल उतारा जा रहा है। उस तिथि के बाद से मुगलसराय के आगे के स्टेशनों को २,१०० माल-डिब्बे भेजे जा रहे हैं। इस प्रकार हम यथाशक्य प्रयास कर रहे हैं।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : लेकिन क्या कोयला क्षेत्रों में जमा स्टॉक की ढुलाई हो चुकी है और क्या उद्योगों को कोयला दिया गया है ?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : जी, हां।

सच तो यह है कि कोयला खानों को ढुलाई के लिये मैं जितने माल-डिब्बे दे रहा हूं, उनका भी पूरा उपयोग वे नहीं कर पा रहे हैं। हम से जितने माल-डिब्बे मांगे जाते हैं, हम दे रहे हैं।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : हम जानना चाहते हैं कि इसमें दोष किसका है ?

†**श्री जगजीवन राम** : मैं क्या बताऊं। मैंने तो बताया कि उद्योगों की आवश्यकतायें पूरी की जा रही हैं। इससे अधिक मैं क्या कह सकता हूं ?

†**श्री ब्रजराज सिंह** : पूरा उपयोग कौन नहीं कर पा रहा है ?

†**श्री जगजीवन राम** : कुछ कोयला खानें।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : दक्षिण रेलवे के ओलवकोट डिवीजन में कोयले की कमी के कारण कुछ ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है।

†**श्री जगजीवन राम** : दक्षिण रेलवे को ट्रेनों द्वारा नहीं, तटीय परिवहन द्वारा कोयला भेजा जाता है।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : श्री दामानी ने कहा है कि दावों के निबटारों की एक अवधि निश्चित की जानी चाहिये। यह एक वैधानिक मामला है। हमें दावों को भली प्रकार सत्यापित करना ही पड़ेगा कि राशि की अदायगी करना उचित भी है या नहीं। एक सुझाव यह भी था कि यदि दावों के निबटारे में अधिक विलम्ब हो, तो रेलवे उस राशि पर ब्याज दे। विचित्र सा सुझाव है। छोटे-मोटे दावों के बारे में हमने स्टेशन मास्टरों को प्राधिकृत कर दिया है कि वे ५० रुपये तक के दावों का निबटारा तुरंत, वहीं कर सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सें० वें० रामस्वामी]

एक सुझाव यह भी था कि स्टेशन मास्टर को पैकिंग की जांच करनी चाहिये और यदि माल ठीक से पैक न हो, तो उसे बुक न किया जाये। लाखों पार्सलों की इस तरह जांच करने का समय स्टेशन मास्टरों को नहीं रहता। माल भेजने वाले का दायित्व है कि माल को ठीक तरह से पैक करे।

दावा अभिकर्त्ताओं का प्रश्न बड़ा उलझा सा है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि भूतपूर्व रेलवे कर्मचारियों को दावा-अभिकर्त्ता नहीं बनने देना चाहिये। यदि ऐसा कर दिया जाये, तो वे न्यायालय में मामला ले जायेंगे कि उनको अपनी जीविका कमाने से रोका न जाये। इस बुराई और दुरुपयोग को रोकने का एक ही तरीका है कि जनता इसमें सहयोग दे।

श्री मुनिस्वामी ने पतों के ग़लत होने की बात कही थी। हम ने अनुदेश जारी कर दिये हैं कि सभी पते पूरे-पूरे और स्पष्ट लिखे जायें। माल भेजने वालों को भी हिदायत दे दी गई है कि वे उसके साथ पूरे पते की तीन-चार स्लिपें लगा दिया करें।

चोरियों के बारे में हम पूरी सावधानी बरत रहे हैं। अब और भी ज्यादा सावधानी रखेंगे। मैं विभिन्न सुझावों के लिये माननीय सदस्यों का आभारी हूं।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय रेलवे अधिनियम, १८९० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**सभापति महोदय** : अब हम इस पर खण्डवार विचार करेंगे। खण्ड २ से ५ तक के बारे में कोई संशोधन नहीं हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ से ५ तक विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ से ५ तक विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड ६

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : मैं अपने संशोधन संख्या ५ और ६ प्रस्तुत करती हूं।

यह खण्ड रेलवेज़ को जल्द बिगड़ जाने वाली वस्तुओं को नीलाम करने की शक्ति देता है। दुर्घटनाओं और बाढ़ों के फलस्वरूप जल्द बिगड़ने वाले माल का यातायात रुकने पर उनको नीलाम करके भेजने वाले को दण्डित क्यों किया जाये? मैं चाहती हूं कि ऐसी परिस्थिति में रेलवेज़ को दायित्व लेना चाहिये। आशा है माननीय मंत्री मेरे संशोधनों को स्वीकार करेंगे।

†**श्री जगजीवन राम** : सारी चीज़ गड़बड़ा दी गई है। इस खण्ड में हम ने प्रतिकर की बात तो सोची ही नहीं है। यह शक्ति तो हम केवल इसीलिये चाहते हैं कि यदि किसी

---

†मूल अंग्रेजी में

कारणवश जल्द बिगड़ने वाले माल का परिवहन संभव न हो, तो हम उसकी नीलामी कर सकें। कम से कम उसका कुछ मूल्य तो वसूल किया जा सके। खण्ड ६ द्वारा रेलवेज़ को यही शक्ति प्रदान की जा रही है। परन्तुक में स्पष्ट कर दिया गया है कि माल भेजने वाले द्वारा किये जाने वाले प्रतिकर-दावे पर नीलामी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस संशोधन को स्वीकार करने से तो यही होगा कि यदि किसी कारणवश माल का परिवहन न हो सके, तो उस माल को बिगड़ जाने दिया जाये। हमें उसे नीलाम तक नहीं कर पायेंगे।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : मेरा संशोधन यह नहीं है। वह मेरा पहले का संशोधन था, जो मैंने प्रस्तुत नहीं किया है। मेरा यह संशोधन नीलाम के प्रबन्ध पर खर्च की गई राशि को घटाने के सम्बन्ध में है।

†**श्री जगजीवन राम** : तब माननीय सदस्या नीलाम की शर्तों को सीमित करने का प्रयास कर रही हैं। मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि यदि किसी कारणवश माल का परिवहन न हो सके तो उसे नीलाम करने की शक्ति दी जानी चाहिये। रेलवे प्रतिकर अदा करने के दायित्व से तो अपने को नहीं बचा रही है। नीलाम करने के बाद भी, प्रतिकर का दायित्व तो रहेगा ही। माल भेजने वाला उसका दावा कर सकेगा। इसलिये यह संशोधन अनावश्यक है।

†**श्री नरसिंहन्** (कृष्णगिरि) : अर्थात् रेलवेज़ उसकी बिक्री से कुछ वसूली कर सकेगी।

†**श्री जगजीवन राम** : यदि प्रतिकर अदा करना पड़ेगा, तो यह राशि उसमें समायोजित कर दी जायेगी।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : मेरे इस संशोधन का प्रयोजन यह है कि रेलवे दुर्घटनाओं के फलस्वरूप परिवहन रुकने की स्थिति में यह राशि बिक्री की राशि से नहीं काटी जानी चाहिये।

†**श्री जगजीवन राम** : मैं इसका भी उत्तर दे चुका हूं। माल भेजने वाले को प्रतिकर का दावा करने का अधिकार रहेगा।

†**सभापति महोदय** : क्या माननीय सदस्या इन शोधनों पर आग्रह करती हैं?

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : जी, हां।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ५ और ६ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ६ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ६ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ७ से १२ तक विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड १३—(धाराओं ७२ से ७८ तक के स्थान पर नयी धारायें रखना)

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : मैं अपना संशोधन संख्या ७ प्रस्तुत करती हूं ।

इस खण्ड की यह व्यवस्था तो ठीक है कि आकस्मिक आपत्तियों के कारण माल को पहुंचने वाली हानि का दायित्व रेलवे पर नहीं रहेगा । परन्तु मैं इससे सहमत नहीं कि अग्नि, विस्फोट या अन्य अयाचित खतरे के कारण हुई हानि का दायित्व भी रेलवे पर नहीं रहे । इनसे रक्षा की जिम्मेदारी रेलवे रक्षण बल पर है । इनका दायित्व रेलवे पर रहना चाहिये । इसीलिये मेरा संशोधन है कि इन शब्दों को हटा दिया जाये । मैं पंक्ति २९ और ३० दोनों को हटाने के पक्ष में हूं । पंक्ति ३० को हटाने का उल्लेख संशोधन में से असावधानी से छूट गया था ।

अन्दरूनी, छिपी हुई त्रुटियों की बात समझ में नहीं आई ।

†**श्री जगजीवन राम** : माननीय सदस्या ने परन्तुक नहीं देखा ।

यदि उन्होंने परन्तुक भी देख लिया होता तो उनको उसका अर्थ समझने में कठिनाई नहीं पड़ती । हमने स्पष्ट कहा है कि पूरी सावधानी रखी गई थी, यह सिद्ध करने का दायित्व रेलवे पर रहेगा । मैं फिर कहता हूं, कि उन सब के बाद भी रेलव प्रतिकर की अदायगी के दायित्व से मुक्त नहीं होगी । पूरी सावधानी रखने का दायित्व रेलवे पर ही है । इसलिये माल भेजने वाले को प्रतिकर का दावा करने में इसके कारण कोई कठिनाई नहीं पड़ेगी ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ७ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है ।

"कि खण्ड १३ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १४ से २० तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**सभापति महोदय** : अब हम खण्ड २०-क लेते हैं । इस पर एक सरकारी शोधन है ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ १४ में,—

पंक्ति २८ के पश्चात्, यह जोड़ दिया जाये, अर्थात् :—

"20A. In section 137 of the principal Act, in clause (a) of sub-section (3), after the word and figures "section 56" the words, figures and letter "or section 56A" shall be inserted."

["२०क. मूल अधिनियम की धारा १३७ में, उप-धारा (३) के खण्ड (क) में, "धारा ५६" शब्द और अंकों के पश्चात्, "या धारा ५६क" शब्द, अंक तथा वर्ण जोड़ दिये जायेंगे ।"] (१)

यह एक आनुषंगिक शोधन ही है । मूल अधिनियम की धारा १३७ की उपधारा (३) में व्यवस्था है कि रेलवे कर्मचारी रेलवे द्वारा किये गये किसी भी नीलाम में बोली नहीं बोल सकेंगे । अब चूंकि हम जल्द बिगड़ने वाले माल के नीलाम की व्यवस्था कर रहे हैं, इसलिये उसमें यह व्यवस्था करना भी जरूरी है कि रेलवे कर्म चारी उस माल को भी नहीं खरीद सकेंगे इसका अर्थ स्पष्ट है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

पृष्ठ १४ में,

क्लि २८ के पश्चात्, यह जोड़ दिया जाये, अर्थात् :—

"20A. In section 137 of the principal Act, in clause (a) of sub-section (3), after the word and figures "section 56" the words, figures and letter "or section 56A" shall be inserted."

["२० क. मूल अधिनियम की धारा १३७ में, उप-धारा (३) के खंड (क) में, "धारा ५६" शब्द और अंकों के पश्चात्, "या धारा ५६ क" शब्द, अंक तथा वर्ण जोड़ दिये जायेंगे ।"] (१)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि नया खण्ड २०-क विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नया खण्ड २०क विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड २१ से २६ तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक को, शोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

गन्ना उपकर (वैधकरण) विधेयक

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कुछ राज्यों के अधिनियमों के अन्तर्गत गन्ने पर उप-कर लगाने और इकट्ठा करने को वैध करने और उत्तर प्रदेश गन्ना उप-कर (वैधकरण) अधिनियम, १९६१ में शोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

हमने इस सभा में ६ मार्च, १९६१ को उत्तर प्रदेश गन्ना उप-कर (वैधकरण) विधेयक, १९६१ पर विचार किया था । उस समय यह बताया गया था कि उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर अधिनियम, १९५६, जो फैक्टरी के अहाते में जाने वाले गन्ने पर उपकर लगाने के बारे में था, राज्य की शक्ति से परे घोषित किया जा चुका है । उच्चतम न्यायालय ने १३ दिसम्बर, १९६० को ऐसा निर्णय दिया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब० रा० भगत]

उस निर्णय के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश सरकार को जनवरी १९५० से इकट्ठे किये गये उपकर की एक विशाल राशि लौटानी पड़ती। उसी को देखते हुए, संसद ने उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (वैधकरण) अधिनियम, १९६१ (१९६१ का संख्या ४) अधिनियमित करके, उत्तर प्रदेश द्वारा उस दौरान की गई उपकर की वसूली को वैध कर दिया था।

उस की चर्चा के दौरान यह भी बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय का भाव अन्य राज्यों द्वारा वसूल किये गये उपकर पर भी पड़ेगा। उनकी वसूलियों को भी वैध बनाने के लिये एक विधान बनाना पड़ेगा। आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र और मैसूर राज्यों ने इस मामले में केन्द्र से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने २६ जनवरी, १९५० से पहले की वसूलियों को भी वैध बनाने का अनुरोध किया है।

उस समय यह भी बताया गया था कि उपकर के रूप में वसूल की गई राशि बहुत बड़ी है। (उत्तर प्रदेश की वसूली को छोड़कर, अन्य राज्यों की वसूली ४९.४७ करोड़ रुपये तक पहुंचती है। उत्तर प्रदेश की वसूली ४५ करोड़ रुपये की थी, जिसे वैध किया जा चुका है, यदि इतनी बड़ी राशि की वापसी का आदेश दे भी दिया जाये तो उससे उपभोक्ताओं को नहीं, चीनी मिल-मालिकों को ही लाभ होगा। इसीलिये केन्द्रीय सरकार ने उससे पहले की वसूलियों को भी वैध करने का निर्णय किया है। राज्य सरकारों को सलाह दी गयी है कि आगे से वे अपने अपने उपकरों को राज्य शक्तियों की सीमा तक सीमित रखें।

उत्तर प्रदेश की वसूली को वैध करने के विधान का सभी माननीय सदस्यों ने समर्थन किया था। इस विधेयक का प्रयोजन भी बिल्कुल वही है। यह विधेयक उस लाभ से अन्य राज्यों को भी लाभान्वित करना चाहता है। आशा है कि सभा इस बार भी इसे सर्व सम्मति से स्वीकार करेगी।

†**सभापति महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : पहली मर्तबा जब यू० पी० केन सेस वैलीडेशन बिल पर सदन में बहस चल रही थी तो मैं ने सदन का ध्यान आकर्षित किया था कि उत्तर प्रदेश में कितना केन सेस बाकी था। उस वक्त मैं ने एक सवाल का जवाब जो सदन में दिया गया था वह भी रखने की कोशिश की थी। यह सवाल २१ फरवरी को किया गया था। वह इस प्रकार था :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर अधिनियम के अवैधानिक घोषित किये जाने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश में वसूल किये गये गन्ना उपकर की राशि को प्राप्त करने के लिए कोई कदम उठाया है ;

(ख) उत्तर प्रदेश के कारखानेदारों से कितनी रकम वसूल करनी बाकी है ; और

(ग) क्या कोई विधान पेश किये जाने की संभावना है ?

(क) केन्द्रीय सरकार ने ३० जनवरी, १९६१ को इक अध्यादेश प्रख्यापित किया था, जिसके जरिये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा २६ जनवरी, १९५० से ३ फरवरी, १९६१ तक गन्ना उपकर के आरोपण और वसूली को विधि मान्य ठहराया था। जहां तक भविष्य का सम्बन्ध है, राज्य सरकार ने उन शक्तियों के अनुसार, जो उसे प्राप्त हैं, आवश्यक कार्यवाही की है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उत्तर प्रदेश की सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार ३१ दिसम्बर, १९६० को गन्ना उपकर की बकाया राशि ३६७.८६ लाख रु० थी। अभी माननीय उपमंत्री ने इस चीज को कहा भी है। मैं जानना चाहता हूं कि उस वक्त जब कि सुप्रीम कोर्ट ने यू० पी० के इस कानून को रद्द किया था और जब मंत्री महोदय को इस सदन के सामने आना पड़ा था यह कहने के लिए कि इसमें काफी रुपया करीब ४५ करोड़ रुपया डूब जायेगा और इसलिए इसके बैलिडेशन के लिए इस विधेयक की जरूरत थी तो क्या उन्होंने सोचा नहीं था कि आखिर दूसरे प्रान्तों में भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार वह लोग भी देने से इंकार करेंगे और अन्य राज्य सरकारों के सामने भी वही परिस्थिति उत्पन्न होगीं जो कि उत्तर प्रदेश की सरकार के सामने उत्पन्न हुई थी? आखिर यह फैसला किसी हाईकोर्ट का तो था नहीं। यह कोई इलाहाबाद हाईकोर्ट या लखनऊ की डिवीजन बैंच का तो फैसला था नहीं। वह फैसला तो हमारे यहां के हाइएस्ट जुडिशिएल कोर्ट हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी कचहरी अर्थात् सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। मैजारिटी जजेज का फैसला था। मैं समझता हूं कि अगर उस वक्त यह चीज आ जाती तो हम लोगों के सामने यह चीज आ जाती कि हर दूसरे प्रान्तों में कितना पैसा बाकी रहता है। आज यू० पी० में ४५ करोड़ रुपया था और हमें दूसरे प्रान्तों के बारे में भी मालूम हो जाता कि कितना पैसा बाकी है। अभी मालूम हुआ कि वह लगभग ५० करोड़ रुपये या ५९ करोड़ रुपये के करीब है।

[श्री हेडा पीठासीन हुए]

मैं इस बिल के बारे में दो, तीन चीजें कहना चाहता हूं। मैंने और मेरे मित्र श्री ब्रजराज सिंह ने उस वक्त यह बारबार कहा था कि केन सैस की छूट के बारे में अगर सूबे की सरकार के हाथों में या राज्य सरकारों के हाथ में कुछ शक्ति मिल जायेगी तो वह केन सैस का पूरा पैसा वसूल नहीं करेंगे बल्कि रैव्यू करने के नाते या असेसमेंट करने के नाते जो यह डिस्क्रिशन मिला है उसमें उत्तर प्रदेश की तरह वह उसमें छट दे देंगे और ऐसा हुआ है। मैं माननीय उपमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में केन सैस का पैसा क्या यह छै मार्च को यहां पर बहस हुई और शायद अप्रैल के महीने में यह ऐक्ट की शक्ल में आया इस बिल के पास होते ही पिछला बिल जब पास हुआ और एक्ट बना तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने वह तमाम पैसा जो ४५ करोड़ रुपया ड्यू था वह वसूल कर लिया? यदि वसूल किया तो कितना वसूल किया और यदि वह वसूल नहीं कर सकी तो वह कितना रुपया रहता है? क्या यह बात सच नहीं है कि कुछ उन्होंने रिआयतें दी हैं और कुछ चीजों की छूट दे दी है? मुझे ठीक मालूम नहीं है और हो सकता है कि मैं गलती कर रहा हूं लेकिन जहां तक मेरीं जानकारी है उसके अनुसार तकरीबन २, ४ करोड़ या ३–४ करोड़ रुपये की छूट उत्तर प्रदेश के मिल मालिकों को दे दी गई है और मैंने उस वक्त भी इशारा किया था और इस सदन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की थी कि इस केन सैस के पैसे के बारे में उत्तर प्रदेश की सरकार या दूसरी राज्य सरकारें छूट देंगी तो उसमें कोई राजनैतिक चीजें भी आ सकती हैं और ऐसा ही हुआ। हमें यह खतरा था और वह इस प्रकार कि राज्य सरकारों को यह हक होगा कि वह असैसमेंट करते हुए फर्ज कीजिये जिसको देना है वह कहता है कि एक्ट के अनुसार असैसमेंट किया जाय तो वह कुछ छूट दे सकता है। यह छट देने की ताकत अगर आज उत्तर प्रदेश की सरकार और अन्य राज्य सरकारों को दे दी गई तो मैं समझता हूं कि यह ४५ करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश का और जैसे कि हमारे उप मंत्री महोदय ने बतलाया कि वह रुपया तकरीबन ५० करोड़ से ज्यादा है वह रुपया वसूल नहीं होगा और उसके वसूल होने में देरी लगेगी। उसमें से कुछ पैसे हो सकता है कि चुनावों के चंदे में लोग दे दें और वह बाद में लिया जाये। इसमें मैं कोई आरोप नहीं लगाता हूं और न ही मैं कोई कटाक्ष की बात करता हूं लेकिन यह चीज होती है। उत्तर प्रदेश में हो चुकी है अब दूसरे प्रान्तों में हो या न हो। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि अब कितना

[श्री ज० मो० वनर्जी]

पैसा सैस का बाकी रहता है और कितने पैसे की छूट दे दी गई है। मंत्री महोदय द्वारा यह सब आंकड़े अलग अलग दिये जाने से यह साफ हो जायेगा कि वह रुपया वसूल होने वाला है, वसूल हो रहा है या नहीं वसूल हो रहा है।

मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से जो परिस्थिति उत्पन्न हो गई है उसमें राज्य सरकार क्या करे? अगर कोई एक ऐसा कम्प्रीहैंसिव बिल लाया जाता जिसमें कि वह तमाम चीजें आ जातीं तो मेरे खयाल में वह अच्छा होता। वैसे मालूम नहीं कि कानूनी तौर पर वह चीज सही होती या न होती लेकिन तो भी वह चीज हो सकती थी। इस वास्ते मैं दुबारा मंत्री महोदय से दरख्वास्त करूंगा कि जो पिछले बिल में खामियां रह गई थीं और जिनके कि फलस्वरूप लोगों को रैमिशन मिल सकता है कम से कम उन खामियों को दूर करने की कोशिश करें और यह रुपया जो मिलना चाहिए वह आये।

अब रहा यह कि उस रुपये का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाय और चीनी का भाव क्या वाकई में कम हो सकता है? पिछली दफा यह भी सवाल उठा था कि यह जो केन सैस का रुपया वसूल करते हैं उससे होता क्या है और उससे फायदा क्या हो रहा है और क्या उसका फायदा उपभोक्ता को भी जाता है? शक्कर के दाम कम करने कौस्ट आफ प्राइस रैड्यूस करने का सवाल भी हमारे सामने है। यह कुछ सवाल थे जिनके कि लिये जब यहां पर काम रोको प्रस्ताव आया तो अध्यक्ष ने यह कहा था कि आखिर इसमें काम रोको प्रस्ताव लाने की जरूरत क्या है तो मेरे मित्र श्री ब्रजराज सिंह ने यह कहा था कि यह मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है। टैरिफ कमिशन इसके लिए रिपोर्ट देता है और शुगर की जो हम प्राइस रखते हैं यह केन सैस को देख कर चीनी की कीमत निर्धारित की जाती है। मैं कहूंगा कि यह मामला एक पेचीदा मामला है। मैंने इस सम्बन्ध में जो उत्तर प्रदेश का बार-बार नाम लिया है वह इसलिए नहीं लिया है कि उत्तर प्रदेश में पैसा वसूल नहीं हुआ है लेकिन मैं डरता यह हूं कि कहीं हर एक प्रान्त में यह चीज न हो जाय कि इस तरीके से चुनावों के दरमियान में केन सैस का पैसा आधा माफ हो जाय और आधे में से चौथाई रूलिंग पार्टी को मिल जाय। इससे वैलिडेशन करने का कोई फायदा नहीं होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का दुबारा स्वागत करता हूं और उपमंत्री महोदय से कहूंगा कि वह हर एक प्रान्त के लिये अलग अलग फीगर्स दें कि कहां कितना रुपया केन सैस का बाकी है, कितना रुपया वसूल हुआ है और कितना रैमिट हुआ है और इससे मालूम हो जायेगा कि यह जो बिल पास किया गया है उसका कुछ असर हुआ है या नहीं हुआ है। मैं अन्त में एक बार फिर इस बिल का स्वागत करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

†**श्री महन्ती (ढेंकानाल)** : एक बात तो बिल्कुल ही स्पष्ट है कि जब तक राज्य सूची की विशिष्ट ५२ में संशोधन नहीं किया जाता, "स्थानीय क्षेत्र" शब्दों की परिभाषा का किया जाना बड़ा ही कठिन है। यह भी निश्चित रूप से निर्धारित कर देना सम्भव नहीं कि इसके बाद न्यायालयों द्वारा इसका किस ढंग से प्रयोग किया जाये। मेरा मत यह है कि जब तक संविधान में समुचित रूप से संशोधन नहीं किया जाता तब तक इस दिशा में कोई निश्चित परिणाम नहीं निकल सकता। राज्य सरकारों द्वारा जो प्रयत्न किये जायेंगे वह ऐसी अड़चनों से हमेशा निष्फल होते रहेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं तो इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि सरकार करों के वितरण के सम्बन्ध में एक आयोग की नियुक्ति करे जिससे यह निर्णय हो सके कि राज्य तथा केन्द्र के पृथक पृथक क्षेत्रों में किस किस कर की व्यवस्था की जाये । इस समय स्थिति यह है कि जब कभी किसी राज्य सरकार द्वारा अधिक धन एकत्रित करने की दिशा में प्रयत्न आरम्भ होते हैं तो या तो कानून द्वारा अड़चन आ खड़ी होती है और या केन्द्रीय सरकार कोई अड़चन खड़ी कर देती है । अतः इस अनिश्चित स्थिति का अन्तिम निर्णय एक आयोग द्वारा ही किया जा सकता है । आशा करनी चाहिये कि माननीय मंत्री महोदय मेरे सुझाव को व्यावहारिक दृष्टि से देखने का प्रयत्न करते हुए इसे स्वीकार करेंगे ।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद): सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । इससे पहले जो विधेयक पेश किया गया था, जिसकी चर्चा अभी उप-मंत्री महोदय ने की, उसका भी हम लोगों ने स्वागत किया था । वास्तव में, जब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला सुनाया गया था, तो, उस के बाद इस तरह का विधेयक केन्द्रीय सरकार बनाए, इसकी मांग करने वाले सबसे पहले हम ही लोग थे । आश्चर्य की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के लिये यह कानून बनाया गया था, लेकिन भारत के अन्य भागों के लिये, जहां पर भी गन्ना उपकर लिया जा रहा था, सरकार को कानून लाने में इतनी देर लगी और साथ ही उत्तर प्रदेश के लिये २६ जनवरी, १९५० से पहले वसूल किये गये उपकर को कानूनी शक्ल देने के लिये उसको इस संशोधन का आश्रय लेना पड़ा, सिर्फ़ इससे ही सरकार की लापरवाही ज़ाहिर होती है । इस से यह प्रकट होता है कि सरकार के लोग यह नहीं देखते कि आखिर कौन सी चीज़ है, जो उनके अधिकार क्षेत्र में है, कौन सी चीज़ किस वक्त की जानी चाहिये ।

इस सम्बन्ध में मैंने पिछली बार भी कहा था, जिसको मैं फिर दोहराना चाहता हूं, कि यदि स्टेट लिस्ट में यह विषय नहीं था और प्रान्तीय सरकारें इसे अपने अधिकार-क्षेत्र में समझते हुए कानून बनाती रहीं, तो केन्द्रीय सरकार को कुछ सोचना चाहिए था । लेकिन केन्द्रीय सरकार ने कुछ नहीं सोचा, जिसका नतीजा यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस कानून को अवैध ठहराया गया और फिर सरकार को सदन के सामने आना पड़ा ।

जहां तक इस बिल के उद्देश्यों का सम्बन्ध है, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है कि जो रुपया इन कानूनों के अवैध हो जाने से सरकार के पास था उसे सरकार को मिल मालिकों को लौटाना पड़ेगा । इस पृष्ठभूमि में यह भी समझने की आवश्यकता है कि यह रुपया किसानों से लिया गया है, उपभोक्ताओं से जो चीनी के हैं, और जिनको चीनी का मूल्य अधिक देना पड़ा है, उनसे लिया गया है और इसे किन्हीं खास उद्देश्यों के लिए ही लिया गया है । कम से कम उत्तर प्रदेश में जो गन्ना उपकर लगाया गया है उसके पीछे यही उद्देश्य था कि गन्ने की खेती का विकास हो, गन्ना क्षत्रों में सड़कें अच्छी बनें इत्यादि । । इस कानून के अवैध हो जाने से यदि वह रुपया मिल मालिकों को वापस करना पड़ता है तो सही रूप से अगर देखा जाए तो वह रुपया मिल मालिकों का तो था नहीं और वह उनको किसी शक्ल में भी वापिस नहीं होना चाहिए । इसमें मैं समझता हूं कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं । यह रुपया शक्कर के उपभोक्ताओं का था और उन्होंने यह रुपया दिया मिल मालिकों को इसलिए कि यह सरकार के पास जाए ताकि वह गन्ना क्षेत्रों में सड़कें बना सकें, गन्न की किस्म में विकास कर सके ताकि गन्ने की किस्म में जो सुधार हो उससे उत्पादन बढ़ सके । इन सारे उद्देश्यों के लिए उन्होंने यह रुपया दिया हुआ था । इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि गन्ना उपकर से जो रुपया वसूल हुआ है चाहे उत्तर प्रदेश में या दूसरे प्रदेशों में, वह रुपया किसी भी शक्ल में मिल मालिकों के पास नहीं रह सकता है और उसको मिल मालिकों ने यदि जमा कर दिया सरकार के पास तो वह जिस उद्देश्य के लिए लिया

[श्री ब्रजराज सिंह]

गया था, उस उद्देश्य के लिये खर्च किया जाय और इस कानून के अवैध हो जाने के बाद यदि उसे वापस करने की नौबत आती है और वह उस काम के लिए खर्च नहीं किया जाता है जिसके लिए वह लिया गया था तो न सरकार और न ही जनता इससे कभी सहमत हो सकती है।

मेरे माननीय मित्र श्री महन्ती ने यह कहा है कि इस बिल पर बहस करते वक्त प्रान्तीय सरकारों का कितना रुपया बकाया है, जिसे उनको लेना चाहिये था और नहीं ले सकी हैं और उन्होंने उसे माफ कर दिया है, इसको यहां उठाना उचित नहीं है। मैं उनकी इस दलील से सहमत नहीं हूं और न ही यह उचित दलील है। उत्तर प्रदेश का जो कानून सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध घोषित किया गया था और जिसके बारे में हमें अच्छा ज्ञान है, उसमें कुछ इस तरह की व्यवस्थायें थीं जिनको पार्लियामेंट ने जो वैलिडेटिंग कानून बनाया और जो अब बनने जा रहा है, उसके मुताबिक भी उन व्यवस्थाओं को वैसे ही छोड़ दिया गया है और उनके अन्तर्गत प्रदेशों की सरकारों को यह हक हासिल था कि वे किन्हीं मामलों में उपकर की बकाया की वसूली को रोक सकती है, उसको माफ कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश में इस तरह के उदाहरण हैं जिनमें कि गन्ना उपकर की वसूली को रोका गया है और उनको माफ भी किया गया है। अब किन परिस्थितियों में उसको माफ किया गया है, यह समय नहीं है कि मैं उसका विवरण इस सदन में दूं, उनकी तफसीलों में जाऊं। लेकिन इतना साफ है कि उनको माफ किया गया। उपमंत्री महोदय भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि उत्तर प्रदेश में गन्ना उपकर का कुछ रुपया बाकी है और अगर यह सही है कि वह बाकी है तो मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि क्यों उसको वसूल नहीं किया जाता है। जब सरकार हमारे सामने आती है उस कानून को कानूनी शक्ल देने के लिए जिसको कि अवैध घोषित कर दिया गया है, तो जनता का यह हक है कि वह जाने कि जो रुपया मिल मालिकों ने वसूल किया है सरकारी खज़ाने में जमा करने के लिए चीनी के उपभोक्ताओं से, उस रुपये को उन्हें अपने पास रखने का कौन सा अधिकार है ? अपने पास वे उस रुपये को नहीं रख सकते हैं। वह जनता का रुपया था, जनता से वसूल किया गया था उपभोक्ताओं से वसूल किया गया था वह सरकार के पास आना चाहिये और जिन खास उद्देश्यों के लिये वह वसूल किया गया था उन पर ही उसको खर्च किया जाना चाहिये। मैं नहीं समझता कि किसी शक्ल में भी, किसी सूरत में भी इस रुपये को माफ किया जा सकता है। लेकिन फिर भी वह माफ किया गया है। अगर माफ न किया जाए पो बकाया क्यों हो। जितने दिन भी रुपया मिल मालिकों के पास रहता है, गलत तरीके से रहता है क्योंकि जब वसूल किया जाता है तो उसमें उनका कोई हेतु नहीं होता है, कोई सम्बन्ध नहीं होता है। किसी खास उद्देश्य के लिए सरकारी खज़ाने में जमा होने के लिए वह उनके पास जाता है और जितने दिन वह जमा नहीं होता है उतने दिन तक कानूनी जुर्म भले ही यह न हो कि कम से कम मारेल जुर्म जरूर है अगर वे उसको इसी तरह से अपने पास रख छोड़ते हैं। इसलिए यह सरकार की जिम्मेदारी है वह सफाई दे कि उत्तर प्रदेश में गन्ना उपकर की जो रकम बकाया है, वह क्यों है और क्या हिन्दुस्तान के और कोई दूसरे हिस्से भी हैं जहां इस उपकर की कोई रकम बाकी है ? अगर बाकी है तो सरकार को इस बात का उत्तरदायित्व लेना चाहिये अपने ऊपर कि वह न तो उसे माफ करे और न ही इस तरीके से बाकी रहने दे। इसका कारण जैसे मैंने निवेदन किया है यह है कि किसी को भी यह हक हासिल नहीं है उसको अपने पास रखने का। यह पैसा जनता का है और जनता के हित में ही उसको खर्च किया जाना चाहिये।

गन्ना उपकर कानून को अब जब हम कानूनी शक्ल देने जा रहे हैं तो कुछ दूसरे प्रश्न भी उठते हैं और उन पर भी विचार कर लेना उचित होगा। एक प्रश्न यह उठता है कि हम शूगर का निर्यात करने वाले हैं और इसमें हमें हानि होने वाली है। इस हानि को बर्दाश्त करते हुए भी हम निर्यात

करने जा रहे हैं और इसका कारण यह है कि एक तो शूगर का उत्पादन बढ़ गया है और दूसरे देश को विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है । ये जो दो कारण हैं, इन दोनों से ही मैं सहमत हूं । मैं मानता हूं कि शूगर का उत्पादन भी बढ़ गया है और हमें विदेशी मुद्रा की भी आवश्यकता है । लेकिन हमें इसके साथ ही साथ यह भी देखना है कि क्या जितनी मात्रा में हम शूगर का निर्यात करने वाले हैं विदेशों को, उससे शूगर के बढ़ते हुए उत्पादन की जो समस्या है वह हल हो जाएगी ? मैं समझता हूं कि वह हल नहीं होगी । दूसरे सदन में खाद्य मंत्री श्री पाटिल ने यह घोषणा की है कि चूंकि हम शूगर के आवागमन इत्यादि पर से सभी प्रतिबन्ध हटा रहे हैं, इसलिए अब शूगर का उपभोग बढ़ेगा और उसके फलस्वरूप सरकार को पचास करोड़ रुपया सालाना एक्साइज डयूटी इत्यादि के तौर पर अधिक मिल सकेगा । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि श्री पाटिल का यह विश्वास किन्हीं तथ्यों पर आधारित नहीं है ।

श्री ब० रा० भगत : यह कैसे रेलेवेंट है ?

श्री ब्रजराज सिंह : इसके सम्बन्ध इस तरह से है कि .....

श्री ब० रा० भगत : इस बिल से इसका कोई सरोकार नहीं है ।

श्री ब्रजराज सिंह : इसका सरोकार इसलिए है कि आप गन्ना उपकर जब लगाते हैं तो उससे शूगर की कीमतें बढ़ती हैं तो हिन्दुस्तान में उसका कंजम्पशन बढ़ नहीं पाता है । इसलिए इस मसले का सीधा सम्बन्ध गन्ना उपकर से है । आप सारे मसले पर इस शक्ल में नहीं देखेंगे तो .....

सभापति महोदय : यहां पर नया कर लगाने का सवाल नहीं है । जो कर लगाया गया था और जिसको वसूल किया गया था और जिस कानून के अन्तर्गत वह लगाया गया था वह हाईकोर्ट की डिग्री की वजह से इनवैलीडेट हो गया है और अब उसको वैलीडेट करने का ही सवाल ज़ेर गौर है ।

श्री ब्रजराज सिंह : मैं मानता हूं कि नया कर लगाने का सवाल नहीं है .....

श्री ब० रा० भगत : आप मान लीजिये ।

श्री ब्रजराज सिंह : क्या मान लूं ? मंत्री महोदय को स्वयं मालूम नहीं है कि क्या मान लूं ।

सभापति महोदय : मैंने कोई निर्णय नहीं दिया लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करें ।

श्री ब्रजराज सिंह : जो निर्णय भी आपका होगा वह शिरोधार्य होगा । मुझे उसको मानने में कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो इससे सम्बन्धित प्रश्न हैं, उन पर सदन में चर्चा की जा सकती है और मैं समझता हूं कि ये सभी इससे सम्बन्धित प्रश्न हैं, सीधा सम्बन्ध भले ही न हो लेकिन सम्बन्ध है जरूर । आपका कानून सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध घोषित किया जा चुका है और उसको जब आप कानूनी रूप देने जा रहे हैं, इसलिये उसका सीधा सम्बन्ध इससे भले ही न हो लेकिन उससे जुड़ा हुआ प्रश्न यह जरूर है । देश में शूगर के बढ़े हुए उत्पादन और निर्यात से इसका सम्बन्ध अवश्य है ।

जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है उसमें यह बात ध्यान देने की है कि एक्साइज डयूटी के तौर पर या दूसरे सरकारी टैक्सों के तौर पर जो आप टैक्स वसूल कर रहे हैं वह १३ रुपये ५ आने प्रति मन आता है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब समय आ गया है जब गन्ना उपकर और दूसरी तरह

[श्री ब्रजराज सिंह]

की जो एक्साइज डयूटी हैं, उनको हम कम करें ताकि उपभोक्ताओं को कम कीमत पर चीनी मिल सके, देश में चीनी का उपभोग बढ़ सके और अधिक उत्पादन से जो समस्या उत्पन्न हो गई है वह हल हो सके। श्री पाटिल की यह घोषणा कि एक्साइज डयूटी वह अधिक पा सकेंगे जब उपभोग बढ़ेगा मैं समझता हूं ठीक नहीं है जब कि चीनी के मूल्य वर्तमान में बहुत बढ़े हुए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह मसला किसी एक प्रदेश का नहीं है। सारे हिन्दुस्तान का यह मसला है और केन्द्रीय सरकार को विचार करना चाहिये कि किस तरह से उपभोक्ताओं को कम कीमत पर चीनी दी जा सकती है। अगर उनको उस कीमत पर चीनी नहीं दी जा सकती है जिस पर हम विदेशों को भेज रहे हैं तो कम से कम आज जो कीमत उनकी अदा करनी पड़ती है, उससे कम पर उनको मिल सके, ऐसा प्रबन्ध तो किया ही जाना चाहिये। हिन्दुस्तान जैसे अर्ध-विकसित, और अविकसित भी किन्हीं किन्हीं हिस्सों में, देश के लिए यह दुर्भाग्य का विषय है कि जिस चीज का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता भी है, वह चीज भी ऊंचे भावों पर लोगों को खरीदनी पड़ती है और विदेशों में सस्ते भाव पर उसे बेचना पड़ता है।

दूसरी बात खाद्य मंत्री जी ने बार बार यह कही है कि शूगर के दाम इसलिये कम नहीं हो सकते हैं कि शूगर के दाम में ७० परसेंट दाम गन्ने के शामिल हैं। मैं इसका विरोध करता हूं। यह सही नहीं है। अगर वह इसे सही समझते हैं तो मैं चाहता हूं कि वह और सरकार इसके लिए तैयार हों कि सारे प्रश्न की जांच करने के लिए और साथ ही साथ गन्ने की कीमत की जांच करने के लिए एक निष्पक्ष ट्रिब्यूनल बनाया जाए जो यह देखे कि जो कीमत है, जो दर है, वह उचित है या नहीं है और क्या इस कीमत में एक बहुत बड़ा हिस्सा गन्ने के मूल्य का आ जाता है? मैं इसे मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि शक्कर की कीमत कम नहीं हो सकती है। अगर जरूरी हुआ तो यह साबित किया जायेगा कि गन्ने की कीमत कोई ऐसे पैमाने पर नहीं है जिससे कि शक्कर की कीमत कम नहीं हो सकती। अगर सरकार सारे मसलों का आम अध्ययन कर के इस पर विचार करे तो मेरा निश्चित मत है शक्कर की कीमत को कम किया जा सकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय में सरकार का ध्यान जाना चाहिए, और केन्द्रीय सरकार को खास तौर से प्रदेशीय सरकारों को इस बात की राय देनी चाहिए कि वे चीनी तथा गन्ने के उत्पादन और उनके मूल्यों के सम्बन्ध में एक निश्चित नीति निर्धारित करें, जिससे एक तरफ मामूली उपभोक्ताओं को कम कीमत पर शक्कर मिले, दूसरी तरफ जो गन्ना उत्पादक हैं उनको भी उचित मूल्य मिल सके, जिससे वे गन्ने की खेती के लिये, प्रोत्साहित होते रहें।

जहां तक इस बिल के उद्देश्यों का सवाल है, मैंने पहले ही कहा कि मैं उसका स्वागत करता हूं, इसमें कोई दो रायें हो ही नहीं सकतीं। सरकार की तरफ से ही देर होती है। जो मसले उसके अपने हित के मसले हैं उन पर भी विचार करने में उसको कई कई महीने लग जाते हैं। इस बिल को तो पुराने बिल के साथ साथ ही आ जाना चाहिये था। पुराने बिल में २६ जनवरी, १९५० के पहले उत्तर प्रदेश गन्ने के ऊपर जो सेस वसूल हो चुका है उसे वैध करने की व्यवस्था करनी चाहिये थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वह उस समय नहीं हो सका क्योंकि सरकार का पुराना तरीका है कि वह फूंक फूंक कर कदम रखती है, खासकर पूंजीपतियों का जब मसला आता है तब। सम्भवतः वह उनसे डरती है, इसलिये वह इस मामले में भी फूंक फूंक कर आगे बढ़ी। यह कदम उसका देर से आया। लेकिन यह दुरुस्त मामला है और इसलिये इस पर मैं समझता हूं कि किसी के विभिन्न राय रखने का प्रश्न नहीं उठता।

फिर भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गन्ने की बिक्री से जो पैसा वसूल हुआ, और अब जो वसूल होगा, चाहे वह बाकी रह गया हो या माफ किया गया हो, कम से कम केन्द्रीय सरकार को तो

कुछ जांच पड़ताल करनी चाहिये कि जिन प्रदेशों में और जिन लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिये यह उपकर लगाया गया, क्या उन उद्देश्यों और लक्षों को प्राप्त किया जा चुका है। ऐसा तो नहीं हुआ है कि गन्ना उपकर लगाया तो गया गन्ने के विकास के लिये और उसे खर्च कर दिया गया जो प्रदेश के दूसरे प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों और समस्याओं को हल करने के लिये। अगर ऐसा किया गया है तो वह उचित नहीं है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस तरफ ध्यान देकर जिन प्रदेशीय सरकारों ने गन्ना उपकर लगाया है और वसूल किया है, उनको निदश देगी या कम से कम सलाह देगी कि यदि उन्होंने ५० अथवा ४० करोड़ रु० गन्ना उपकर से वसूल किया है तो यह निश्चित रूप से गन्ने के विकास के ऊपर खर्च होना चाहिये, जिससे वहां गन्ने की खेती का विस्तार हो।

इन शब्दों के साथ मैं फिर इस बिल का स्वागत करता हूं।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर): सभापति जी, हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रश्न उठाया कि यह कोई नया कर नहीं लगाया जा रहा है, अत: उस उपकर का क्या हुआ और क्या नहीं हुआ या उस का किस प्रकार व्यवहार हुआ, यह प्रश्न नहीं उठ सकता। हो सकता है कि उनका कहना ठीक है। सभापति जी, आप ने भी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। लेकिन मैं कहता हूं कि इस बिल में उन बातों का उठाना अत्यावश्यक है। कारण यह है कि जनता की और हम लोगों की यह शिकायत है कि सरकार कर वसूल तो कर लेती है परन्तु उसको ठीक से काम में नहीं लाती। नतीजा यह होता है कि हमारे डेवेलपमेंट का काम रुक जाता है। मैं तो कहूंगा कि जो आज हमारी शक्कर की इस प्रकार की दशा हुई है वह केवल हमारी सरकार की गफलत से हुई है। मैं यहां की सरकार की गफलत नहीं कहता, यह यू० पी० और बिहार की बात कहता हूं। हो सकता है कि कुछ अन्य प्रादेशिक सरकारों, जैसे आंध्र आदि, में भी ऐसा हुआ हो, लेकिन वहां का मुझे इतना अनुभव नहीं है।

जब यह सैस लगाया गया तो शुरू में १ पैसा मन लिया गया था। किसानों के बहुत विरोध करने पर भी वह कर लगाया गया। उस समय सरकार ने यह अंडरटेकिंग दी थी कि यह जो कर लगाया जा रहा है, यह जो सैस लगाया जा रहा है, वह गन्न के सुधार पर खर्च किया जायेगा। इस में उपभोक्ताओं का नाम कैसे लाया जाता है, यह मुझे पता नहीं। यह पैसा आया है किसानों की पाकेट से, और उस वक्त यह बताया गया था शुगर बोर्ड की ओर से कि हम लोग इस कर को ऐसे काम में लायेंगे जिस से कि गन्ने का उत्पादन ईटेंसिव हो। अर्थात् जहां पर गन्ना बोया जाता है वहां पर इस प्रकार के मार्डर्न मेथड्स एम्प्लाय किये जायेंगे जिस से कि जहां पर एक एकड़ में ३०० मन गन्ना पैदा होता है वहां पर ज्यादा हो सके। उस वक्त हम लोगों ने हिसाब लगाया था कि यदि यह मेथड्स इस्तेमाल किये जांये तो यू० पी० और बिहार में तो कम से कम एक एकड़ में ५०० मन गन्ने का उत्पादन हो सकता है। सरकार को यह बात समझ में आई और उन्होंने यह कर लगाया। १ पैसे मन से बढ़ कर आज यह कर १४ या १५ पैसे हो गया है। जैसा अभी कहा गया, लगभग ५० करोड़ रु० इस में सरकार को मिला।

यदि यह कर उसी काम में लगाया जाता जिस के लिये यह वसूल किया गया था, अच्छी मंशा से और मेहनत से अगर उसको लगाया जाता, तो मैं कहता हूं कि आज खांड की इंडस्ट्री की यह अवस्था न होती जो कि आज है। मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार पैसा तो लेती है परन्तु जिस काम के लिये वह कहती है कि पैसा ले रही है, उस काम में लगाती नहीं है। दूसरे कामों में लगाती है। नतीजा यह होता है कि वह इंडस्ट्री अवनति की ओर चली जाती है। और

[श्री झुनझुनवाला]

इस से जनता को तकलीफ होती है। म इस प्रश्न को इस लिये महत्वपूर्ण समझता हूं कि सरकार ने जो यह कर लगाया उसे जिस काम के लिये लगाया गया उस काम में उस ने खर्च नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि आज जो शक्कर की इंडस्ट्री है उसकी बड़ी फजीहत हो रही है।

दूसरी बात यह है कि यह बिल जो है उस के द्वारा जो रुपया सरकार ने वसूल किया है उसे वैलिडेट किया जा रहा है। इस में कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि यह अच्छी बात है। यदि इसका कोई उपाय होता कि जो रुपया आया है वह उन्हीं को वापस दिया जाय जिन से कि यह वसूल किया गया है, अर्थात् किसानों को वापस दे दिया जाय, तो मैं तुरन्त कहता कि यह चीज ठीक है और उसको किसानों को वापस कर देना चाहिये। परन्तु मुझे दुःख है कि यू० पी० के कई मेरे साथियों ने इस का जिक्र भी नहीं किया। उन्होंने कहा भी नहीं कि यह पैसा जो वह किसानों का है। उन्होंने तो मैनुफैक्चरर ही का जिक्र किया।

श्री ब्रजराज सिंह : सभापति महोदय, मैं आप की अनुमति से एक सफाई दे दूं। यह पैसा किसानों से नहीं बल्कि उपभोक्ताओं के पास से इस शक्ल में आया है कि जो पैसा टैरिफ कमिशन ने चीनी की कीमत निर्धारित करते वक्त सम्भाला, और जो पैसा आया, उस से चीनी की कीमत बढ़ गई थी। इसलिये यह किसानों का पैसा नहीं है, वह कंज्यूमर्स का है।

श्री झुनझुनवाला : मैं कहता हूं कि यह किसान का पैसा है। टैरिफ कमिशन ने क्या कहा और क्या नहीं कहा, इस से मुझे कोई सरोकार नहीं है। चूंकि सरकार ने कर लगा दिया था इस लिये उन्होंने कहा कि इस का इतना पैसा होना चाहिये। इस तरह से तो सभी चीजें आप कहने लगेंगे कि उपभोक्ताओं की हैं। मगर इस समय यह सवाल नहीं है कि आप क्या कहते हैं। मैं तमाम चीजों की बारीकी में नहीं जाना चाहता।

मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और कहता हूं कि यदि सम्भव हो तो यह पैसा किसानों को फिर दे दिया जाय और गन्ने की खेती करने वालों को दिया जाय जिस से कि हर एक एकड़ में जहां आज ३०० या ४०० मन गन्ना उत्पन्न होता है वहां इंटेंसिव कल्टिवेशन हो सके।। इस विधेयक में जो कानूनी बारीकियां हैं, उन के सम्बन्धमें बहुत बहस हो चुकी। मैं उस के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता।

यह भी यहां पर कहा गया कि बहुत से लोगों से यह पैसा वसूल भी नहीं हुआ। मैं देखता हूं कि एक तो जो पैसा जिस काम के लिये वसूल किया जाता है उस काम पर खर्च नहीं किया जाता और कुछ लोगों से वसूल भी नहीं किया जाता। तो ये दोनों ही चीजें ठीक नहीं हैं। इनके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जनता से हम जिस काम के लिए कर वसूल करते हैं उसी काम में उसे लगावें और उसको सभी से वसूल किया जाए। यदि किसी पर बाकी रहता है तो यह कह कर न छोड़ दें कि जो आदमी हमने वसूल करने के लिए भेजा था उसकी गलती से वह वसूल नहीं हो सका।

आय कर बिल पर बोलते हुए मैं ने कहा था कि कहीं कहीं पर ऐसा हुआ है कि जहां से रुपया काफी वसूल हो सकता था। वहां पर कोई खास इनकमटैक्स अपीलेट आफिसर गया और उस ने कहा कि यह रुपया वसूल हो सकता है तो उसका वहां से ट्रांसफर कर दिया गया। इस प्रकार की जो नीति है वह अच्छी नहीं है। उसका उत्तर देते हुए वित्त मंत्री महोदय ने कहा कि वह अफसर डिसलायल था इसलिए उसको लोगों को एक्सप्लाइट नहीं करने दिया गया और उसको दूसरी जगह भेज दिया गया, और यह बहुत अच्छा किया गया। मैं विनय के साथ मंत्री

महोदय से कहना चाहता हूं कि वह यह सोचते हैं कि पार्लियामेंट के एक मेम्बर ने यह बात कही है जो कि जनता के प्रति उतना ही जिम्मेदार है जितने कि मंत्री महोदय हैं। तो उनको इस प्रकार का उत्तर देने के बजाए उस मेम्बर से पूछना चाहिये था कि असल में क्या बात है, और अगर वास्तव में ऐसी बात थी तो उनको उस पर ऐक्शन लेना चाहिए था। इस प्रकार जो लोग ईमानदारी से काम करना चाहते हैं उनको डिस लायल कह कर अलग कर देना ठीक नहीं है। मंत्रियों को बोलने का आखिरी हक होता है और वह चाहे जो बोल दें। लेकिन जो भीतर की बात है उस में उनको जाना चाहिए।

श्री विश्वनाथ राय (सलेमपुर) : माननीय सभापति जी, सदन के सामने इस समय जो बिल पेश है। और जिस पर एक प्रकार से दूसरी बार विवाद हो रहा है, उस के सम्बन्ध में कुछ महीने पहले गत मार्च में प्रायः वही तर्क उपस्थित किए गए थे जो कि इस समय सामने आ रहे हैं, विशेषकर विरोधी बैंचों के एक माननीय सदस्य का उस समय भी यह आरोप था कि यह सैस है और सैस में छूट देकर बाद में उसको पार्टी के चन्दे के रूप में लिया गया है, लिया जाता है या लिया जाएगा। हो सकता है कि ऐसा आरोप करने के लिए उन के पास कोई आधार हो, लेकिन जहां तक घटनाओं और सत्य की बात है अभी भारत के किसी भी प्रदेश में ऐसी कोई बात नहीं आयी है जिस से यह कहा जाए कि सैस में छूट दे कर उस रुपये को बाद में पार्टी के चन्दे के रूप में लिया गया। इस बात की आशंका किसी को हो सकती है। लेकिन अगर इस प्रकार के तर्क को लेकर चलें तो हम केवल इस सदन के समय को ही बरबाद करेंगे। इसका उत्तर भी पहले दिया जा चुका है कि इस रुपये की देख रेख सरकार के कई अधिकारी करते हैं एक्साइज ड्यूटी की देखरेख कन्द्रीय सरकार के अधिकारी करते हैं और प्रदेशीय अधिकारी भी देखते हैं। इन सब के रहते हुए सैस का रुपया कहीं और चला जाए तो यह सम्भव नहीं है विशेष तौर से जब कि इसका सम्बन्ध किसी एक ही प्रदेश से नहीं कई प्रदेशों से है इस प्रकार का तर्क आपने मार्च में भी दिया था और इस समय भी कुछ लोग इस बात को कह रहे हैं और भविष्य में भी सम्भवतः कुछ लोग इसको कहें, लेकिन उस के लिए कोई आधार इस समय तक नहीं है।

उत्तर प्रदेश की असेम्बली में भी इस बारे में चर्चा चली। वहां की असेम्बली में इस बारे में न तो कोई कानून आया और न ऐसी कोई घटना हुई कि हम समझें कि ऐसा कहना उचित है कि सैस में छूट देकर उस रुपये को चन्दे के तौर पर पार्टी के लिए लिया जाता है। इसलिए जो उत्तर मैं ने पहले दिया था उसको मैं फिर नहीं दुहराना चाहता।

यह कहा जाता है कि यह बिल जो अब लाया गया है इसको पहल ही ले आना चाहिये था। अगर इसको लाने में देर न होती तो ज्यादा अच्छा होता। यह बात सही है और इसको मानते हैं।

जब यह चर्चा पिछली बार हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ही यह सारी आशंकाएं उत्पन्न हुई और केन्द्रीय सरकार को बिल लाने की आवश्यकता पड़ी कि जो सारे देश को लागू हो। पिछली बार मार्च में उत्तर प्रदेश के सैस के सम्बन्ध में जो निर्णय सुप्रीमकोर्ट ने दिया था और उसके कारण जो स्थिति पैदा हुई थी उसको ठीक करने के लिए वह बिल लाया गया था। यह वर्तमान बिल केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है बल्कि भारत के अन्य प्रदेशों के भी लिए है। यह एक व्यापक बिल है जो कि सारे देश के लिए लाया गया है। हो सकता है कि इसको उसी समय न लाने के कारण, जब कि उत्तर प्रदेश का बिल लाया गया, कुछ देरी हुई हो। लेकिन इससे कोई विशेष क्षति नहीं हुई है। यह कानून भविष्य के लिए तो नहीं है। यह तो उस चीज के लिए है जो बीत चुकी है और जो काम पहल हो चुका है उसी को कानूनी रूप देने के लिए यह बिल लाया गया है। इसलिए भविष्य के बारे में

[श्री विश्वनाथ राय]

जो तर्क इस समय सामने आ रहे हैं उनसे इस का कोई सम्बन्ध नहीं है। जो काम पहल हो चुका है इस विल का उद्देश्य उसको कानून रूप देना है।

इस बिल के उद्देश्य के सम्बन्ध में हमारे विरोधी सदस्य श्री ब्रजराज सिंह जी ने और हमारे श्री झुनझुनवाला जी ने चर्चा की है। यह सही है कि जब शरु में यह सैस एक्ट बनाया गया था तो उत्तर प्रदेश की सरकार के सामने यह सवाल था कि किस प्रकार गन्ने की खेती करने वालों को सुविधाएं दी जाए गन्ने की खेती और अन्य चीजों की खेती करने के लिए। उस समय सन् १९४७-४८ में गन्ना पैदा करने वाले किसानों का एक आन्दोलन चला था और १८ दिन की हड़ताल हुई थी। उस समय माननीय श्री केशव देव मालवीय उत्तर प्रदेश के उद्योग मंत्री थे। उन्होंने स्वीकार किया था कि किसानों की मांगों में औचित्य है और उनकी मांगों को पूरा करने का उपाय किया किया जाएगा। उसके बाद यह सैस की चर्चा चली और सैस का कानून बना। उससे किसानों को सुविधाएं मिलीं। यह बात सही है कि यह सैस जिस कार्य के लिए लिया जाता है उसका सारा अंश उसी काम में नहीं जाता। लेकिन जैसा कि अन्य उद्योगों में भी होता है उसी तरह गन्ने की खेती के सम्बन्ध में भी हुआ है। इस सैस का कुछ भाग अन्य कामों में भी लगाना पड़ता है जिनका सम्बन्ध मुख्य काम से है। अगर हम इस सारे सैस को केवल गन्ने की खेती के लिए ही देदें तो जो उससे सम्बन्धित कार्य हैं जैसे कि सड़कों को बनाना, सिंचाई, बैलगाड़ियों में रबर के टायर लगाना आदि उनके लिए कुछ नहीं बचेगा, और अगर इन कार्यों की उन्नति न की जाए तो गन्ने की खेती की उन्नति भी पूरी नहीं हो सकती। ये छोटी मोटी चीजें भी गन्ने के उत्पादन से सम्बन्धित हैं और गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए इन की भी आवश्यकता है। इसलिए श्री झुनझुनवाला का यह तर्क कि हम सैस को केवल गन्ने के लिए इस्तेमाल करें, यह किसान के हित में नहीं होगा। माननीय सदस्य को यह जानना चाहिए कि गन्ने की खेती हमेशा एक ही खेत में नहीं होती, वह रोटेशन से होती है। इसलिए जिस चीज से अन्य खेत का लाभ होगा उससे गन्ने के खेत को भी फायदा हो सकता है और जिस चीज से गन्ने के खेत को फायदा होगा उससे अन्य चीजों के खेतों को भी फायदा होगा। इसलिए यदि सैस को केवल गन्ने के खेतों के लिए ही काम में लाया जाय तो यह किसान के हित में नहीं होगा। गन्ने के विकास के लिए अन्य कई चीजों का विकास करना भी जरूरी है।

श्री झुनझुनवाला : लेकिन यह सैस तो गन्ने के लिए ही लिया जाता है।

श्री विश्वनाथ राय : ठीक है। लेकिन गन्ने का विकास करने के लिए जो अन्य साधन गन्ने के विकास के लिए आवश्यक हैं उनका भी तो विकास करना होगा। गन्ने के बिकास के लिए उनका विकास भी करना आवश्यक है।

मैं चाहता हूं कि यहां से प्रदेशीय सरकारों को भी इस तरह का आदेश दिया जाये कि जो केन सैस का रुपया वसूल हो उससे गन्ने की काश्त करने वाले किसानों को सुविधा दी जाये। मैं तो यह कहूंगा कि गन्ने का जो सैस का मामला है यह वहां तक ही सीमित न हो। मैं चाहूंगा कि शुगरकेन सैस के वैलिडेशन की कानूनी त्रुटि को दूर करके जो लाभ होगा उससे हम केवल गन्ने के ही काश्तकारों को नहीं अपितु अन्य किसानों को भी सुविधाएं और राहत पहुंचायें। यह बात सही है कि इस कानून से जो त्रुटि अभी बाकी रहती है वह दूर हो जायगी और उसनें कोई कानूनी कमजोरी नहीं रह जायगी लेकिन इसी के साथ साथ यह भी व्यवस्था करनी जरूरी है कि इससे सम्बंधित जो उद्योग धंधे और कार्य हैं उनको हम स्वालम्बी बना दें। इस बिल का पहला उद्देश्य यही है और में चाहता हूं कि उसके बारे में हमारी केंद्रीय सरकार का ध्यान और प्रदेशीय सरकारों का ध्यान अधिक से अधिक जाय।

अभी हाल की ही बात है कोई १०-१५ दिन पहले की बात है उत्तरप्रदेश की असेम्बली में वहां के मुख्य मंत्री ने उत्तर देतेहुए कहा था कि उतरप्रदेश में लगभग ६० करोड़ रुपये का गन्ना किसानों ने फैक्टरियों के हाथों बेचा है जिसमें से कि ४ करोड़ रुपय बतोर गन्ने के मूल्य का किसानों को मिलना

बकी रहता है। अब किसानों को प्राकृतिक प्रकोपों का तो आये दिन सामन करना पड़ता ही है और उनका सामना करने की क्षमता तो उनमें रहती ही है और उसमें किसी का कोई बस भी नहीं चलता है लेकिन प्राकृतिक कोपों के अलावा किसानों के लिए यह भी दिक्कत रहती है कि उनको उनके माल का उचित दाम समय पर नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं सरकार का ध्यान इधर दिलाते हुए यह सुझाव दूंगा कि यह जो शुगरकेन सैस वैलिडेशन बिल आप पास कर रहे हैं उसको कानूनी जामा पहना रहे हैं और खामियों को दूर कर रहे हैं तो उससे होने वाली आय के वास्ते आप एक पालिसी बनायें कि किसानों को अपना सामान बेचने के बाद भी उनको समय पर मूल्य नहीं मिलता है तो उनको राहत पहुंचाने के वास्ते कुछ धन सुरक्षित रहे । अब यह कोई किसी एक साल की बात नहीं है। हर साल ही करोड़ों रुपया किसानों का बाकी रह जाता है और वह बकाया रकम दो, चार महीने बाद नहीं बल्कि साल साल भर बाद मिलती है ।

उत्तर प्रदेश में किसानों की काफी रकम बकाया रह जाती है और इस बिल पर बहस के समय मैं आपके द्वारा केन्द्रीय सरकार का और राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज किसानों को सचमुच में इस योग्य बनाने की आवश्यकता है ताकि वह अधिक उपज कर सकें, गन्ने को खेती का अधिक विकास कर सकें और उसके लिये इस बात की जरूरत है कि उनको जो आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं और रुपये की कमी उनको एक दो साल नहीं बल्कि हर साल पड़ती है और करोड़ों रुपया किसानों का ६–६ महीने और साल साल भर तक बकाया रहता है तो उनको राहत पहुंचाने के लिये इस शुगरकेन सैस से जो पैसा वसूल हो उसमें से कुछ हिस्सा इसके लिये सुरक्षित रक्खा जाय। उचित तो यह होता अगर जो ऐक्ट पहले पास हो चुका है उसे स्वीकृति देते समय एक ऐसा क्लाज लगा देते जिससे उन किसान वर्कर्स को जिनके कि हित के लिये वह कानून बना और इस वक्त उसकी कानूनी स्वीकृति देना चाहते हैं, उनको जो महीनों उनकी फसल की कीमत नहीं मिली और जिसके कि कारण उनके कृषि के कामों में या अन्य कार्यों में क्षति पहुंची वह न पहुंचती और वह दूर हो जाती ।

चीनी उद्योग के बारे में कई बार वाद-विवाद हुआ और बहुत से तर्क उपस्थित किये गये। चीनी का उद्योग भारत में दूसरे नम्बर का धंधा है और आज गन्ने के काश्तकारों को उनके माल के एवज में जो उचित दाम नहीं मिलते हैं और पेमेंट पूरा नहीं होता है और बकाया रहता है और उसके कारण उनको आर्थिक कठिनाई झेलनी पड़ती है उसको दूर करने के लिये ऐसी व्यवस्था करनी जरूरी है जिससे किसानों को उनके माल के उचित दाम समय पर मिल जायें ।

दिन प्रति दिन हमारा गन्ने का उत्पादन और चीनी का उत्पादन बढ़ रहा है और यह तो आप जानते हैं कि चीनी के उत्पादन के सम्बन्ध में हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य रक्खा गया था उससे हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। जहां हमारा ४५ लाख एकड़ का उत्पादन का लक्ष्य था उसके बदले ४७ लाख एकड़ पर गन्ने की खेती होने लगी है और आशा की जाती है कि इस वर्ष यह जो सन् १९६१–६२ का सीजन है उसमें ४ लाख एकड़ और बढ़ जायेगी। यह एक बढ़ती हुई खेती है जिसका कि विकास हो रहा है और विकास होने में बहुत बड़ा भाग इस ऐक्ट का रहा है जिसे कि आप केन सैस ऐक्ट कहते हैं। अब हम इस विकास में केवल एक्रेज ही न बढ़ायें गन्ने की खेती की भूमि ही न बढ़ायें बल्कि इस मिलने वाली सुविधा का पूरा लाभ उठायें और किसानों को उसमें से राहत प्रदान करें ताकि वह प्रति एकड़ अधिक पैदावार कर सकें। अब यदि प्रति एकड़ पर गन्ने का उत्पादन बढ़ जाय तो अवश्य ही चीनी का दाम भी कुछ सस्ता होगा और उससे किसानों को किसी तरीके की क्षति नहीं होगी क्योंकि उतने ही खर्चे में यदि वह एक एकड़ में अधिक गन्ना

[श्री विश्वनाथ राय]

पैदा कर लेते हैं तो उनको लाभ होगा क्योंकि उनको अधिक दाम पहले के मुकाबले मिल सकेंगे जब कि प्रति एकड खर्चा उनका वही रहता है। इससे चीनी की दर भी कुछ कम कर सकेंगे। मैं यहां पर यह चीज बिलकुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर गन्ने का उत्पादन करने वाले किसान के हित पर आघात करके और केवल चीनी के उपभोक्ता के स्वार्थ को ध्यान में रख कर कोई काम ऐसा किया जाता है जिससे कि किसानों को नुकसान पहुंचता है तो उपभोक्ता को वास्तव में लाभ नहीं पहुंचेगा। अब गन्ने का उत्पादन नहीं बढ़ता है तो जाहिर है कि उपभोक्ता को उसमें नुकसान ही होगा। इसलिये इस बिल का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिये यह आवश्यक है कि उन सुविधाओं को किसानों के वास्ते प्रस्तुत करें जिनसे कि प्रति एकड़ गन्ने की पैदावार बढ़े और आज किसानों को जो कठिनाइयां हैं जैसे कि उनको अपने माल के दाम समय पर नहीं मिलते हैं, यह कठिनाइयां दूर हो जांय और शुगरकेन सैस के रूप में जो पैसा वसूल होता है उसका पूरा पूरा लाभ किसान उठा सकें।

जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है सभी सदस्य इसका स्वागत ही करेंगे। सारा सदन् इसका स्वागत करता है और पिछली बार भी सदन इसका स्वागत कर चुका है। अब विवाद केवल इस बारे में हो सकता है कि इस बिल के जो उद्देश्य हैं वह कैसे पूरे किये जांय। अब जहां तक विरोधी पार्टी के सदस्यों का रूलिंग पार्टी का कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लगाना कि सैस से वसूल होने वाले रुपये का उनके द्वारा दुरुपयोग होता है या वैसा कर सकती हैं यह बिलकुल निराधार आरोप है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सन् १९४८–५९ के बाद से चीनी के बारे में कांग्रेस सरकार ने जिस नीति को अपनाया है और उसके लिए ऐक्ट बनाया उसके कारण आज हम अपने देश को चीनी के बारे में न केवल आत्मनिर्भर बना सके हैं वरन् चीनी का निर्यात करने की स्थिति में पहुंच गये हैं ....

श्री ब्रजराज सिंह : इसमें सरकार का क्या हिस्सा है, यह तो किसानों ने किया है।

श्री विश्वनाथ राय : यह ठीक बात है कि किसानों ने चीनी का उत्पादन बढ़ाया है लेकिन यह भी सही है कि आप उनके लिये साधन उपस्थित करते हैं और उनको अन्य आवश्यक सुविधायें सुलभ करते हैं और उसके परिणामस्वरूप जो लाभ होता है वह केवल किसानों का ही नहीं अपितु सारे समाज का होता है। ऐसे ही यह सरकार यहां पर है वह देश के हित को खयाल में रख कर किसानों को आवश्यक सुविधायें सुलभ करती है। उसी तरीके से आप करते हैं और उससे उन पर प्रभाव पड़ता है।

इस ऐक्ट के द्वारा उनको प्रोत्साहन मिला है और यह सिद्ध हो गया है कि देश चीनी के बारे में न केवल आत्मनिर्भर बन सका है वरन् वह अपनी चीनी बाहर निर्यात करने की स्थिति में पहुंच गया है। इस मौजूदा बिल से हालांकि निर्यात का कोई सम्बन्ध नहीं है तो भी मैं बतलाना चाहता हूं कि अगर हम किसानों को सुविधायें देते रहे और जो इस बिल का उद्देश्य है उसको पूरा करते रहे तो हम निर्यात के सम्बन्ध में काफी आगे बढ़ जायेंगे। बस और अधिक न कहते हुये मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

†**श्री नि० बि० माईति** (घाटल) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मेरा विचार यह है कि विधेयक के अन्ततोगत्वा अच्छे ही प्रभाव होंगे। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी कोई आशंका नहीं होनी चाहिये कि विधेयक से गन्ने के उत्पादन पर प्रतिकल प्रभाव पड़े।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय सरकार राज्यों से उन विभिन्न अधिनियमों के उद्देश्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिये कह सकती है जिसका इस विधेयक द्वारा वैधकरण किया जा रहा है। सरकार को इस सम्बन्ध में स्पष्ट आश्वासन दे देना चाहिये। यदि माननीय मंत्री ऐसा कर देंगे तो सब के सन्देह दूर हो जायेंगे ।

†श्री त्यागी (देहरादून) : मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं कि उन्हें विभिन्न राज्यों में गन्ना उपकर के रूप में प्राप्त राशियों के वृत्तान्त दे तथा यह भी बतायें कि इन राशियों को सामान्य राजस्व से क्या अनुपात तथा उनके कितने भाग को गन्ने की फसल के विकास पर खर्च किया जाता है ।

†श्री ब० र० भगत : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गन्ना उपकर के तौर पर जो राशि वसूल की गई है, उसमें से कितना धन गन्ने के विकास और अन्य सम्बद्ध बातों पर व्यय किया गया है, इस बारे में जानकारी के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। गन्ना उपकर के रूप में वसूल की गई राशि के आंकड़े हमारे पास हैं। इस दिशा में केवल उत्तर प्रदेश में ही ४५ करोड़ रुपये वसूल किये गये हैं। अन्य राज्यों में वसूल की गई इस दिशा में राशि ४६.४७ करोड़ रुपये की है। मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि यह विधेयक पारित न किया गया तो ४५ करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश को देने पड़ेंगे और बहुत बड़ी राशि अन्य राज्यों को भी वापिस करनी होगी। जहां तक इस धन को गन्ना विकास के लिये प्रयोग करने का प्रयत्न है उसके लिये मेरा निवेदन है कि सब से प्रथम बात तो यह है कि इस कोष का सारा धन व्यय हो चुका है और बाकी अब कुछ नहीं है। यह भी है कि कोई भी राज्य सरकार इस मामले में यह आश्वासन नहीं देगी कि वह एक खास उद्देश्य के लिये ही इस राशि को खर्च करेगी। वैसे एक बात मुझे स्पष्ट कर देनी चाहिये कि राज्य सरकारें और केन्द्रीय सरकार सभी चीनी उद्योग का विकास चाहते हैं। क्योंकि चीनी उद्योग देश का महत्वपूर्ण उद्योग है और इससे काफी राजस्व भी प्राप्त होता है। कोई भी इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। वैसे यह विषय खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का है। यदि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की इच्छा हो तो यह आंकड़े एकत्रित किये जा सकते हैं कि किस राज्य में इस दिशा में क्या और कितना व्यय किया गया।

इसके अतिरिक्त एक यह भी कठिनाई है कि अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार वह यह कि किसी संविधि द्वारा किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिये लिखी गई राशि उस प्रयोजन के लिये खर्च की जाय तो लेखा परीक्षा विभाग उस पर आपत्ति कर सकता है । महालेखा परीक्षक लिख देगा कि धन का प्रयोग उचित ढंग से नहीं हुआ है। अतः माननीय सदस्यों को इस बात की ओर भी ध्यान देना चाहिये। अब तो भारत की संचित निधि का अंग बन जायेगा और उसके लिए संविधि, तकनीकी तथा अन्य प्रकार की अपेक्षित व्यवस्था कर ली जायेगी। मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने एक मत से इस विधेयक का समर्थन किया है । मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि चीनी उद्योग के विकास में तो सब का ही हित है, और इस विषय पर सदन में बहुत बार चर्चा हो चुकी है। इस छोटे से विधेयक पर इन सब बातों की चर्चा नहीं की जानी चाहिये। जो बातें कुछ माननीय सदस्यों ने कही है ये नई नहीं हैं। ये सब

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब० र० भगत]

तो राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था से सम्बन्धित हैं और इन पर बार बार चर्चा हो सकती है। यह तो बहुत ही महत्व का विषय है ।

एक प्रश्न पूछा गया है कि जब मार्च में यह वैधकरण का विधेयक प्रस्तुत किया गया तो उस समय कार्यवाही करके सभी राज्य अधिनियमों का वैधकरण क्यों न किया गया। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश के समक्ष आया और अब उच्चतम न्यायालय ने इस दिशा में अपना विपरीत निर्णय दिया, तो मामला केन्द्रीय सरकार के पास आया। केन्द्रीय सरकार ने सारे मामलों पर परीक्षण किया और सारी बातों पर विचार करके अब उस पर कार्यवाही की जा रही है। उस समय तुरन्त कुछ कर देना सम्भव नहीं था। अब स्थिति यह है कि यह विधेयक विभिन्न राज्य अधिसूचना निकाल कर उन तिथियों को लागू करेंगे जो कि उनके द्वारा निर्धारित की जायेगी। भविष्य में उन्हें इस बारे में क्या करना चाहिए इसके लिए उन्हें परामर्श दे दिया गया है। परन्तु मैं श्री महन्ती के सुझाव से सहमत नहीं हूँ कि इसके लिए संविधान में संशोधन किया जाय। संविधान में संशोधन करने की कोई आवश्यता नहीं है।

श्री बनर्जी ने कहा है कि ४५ करोड़ में से कितना व्यय हुआ और कितना बाकी बचा है। मेरा निवेदन है कि इस मामले में कुछ भ्रांति है। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि जो ४५ करोड़ रूपये की राशि प्राप्त हुई थी वह खर्च हो गयी है। इसके बाद प्रश्न है छूट देने का अथवा उपकर कम करने का। इसके लिए स्थिति यह है कि यह काम राज्य की विशेष परिस्थितियां देखकर ही किया जा सकता है। मेरा विचार नहीं कि आज के विकास कार्यक्रमों और तत्सम्बन्धी खर्चों को देखते हुए इस दिशा में कोई गुंजाइश हो। आखिर यह छूट का मामला भी ३ करोड़ का है।

मेरा विचार है कि मैंने सब बातों का उत्तर दे दिया है। एक यह भी निवेदन कर देना चाहता हूँ कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात राज्य के निर्णय के कराधान के समस्त क्षेत्र की जांच करने के लिए आयोग नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं सदन को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि इस विधेयक का एक मत से संशोधन किया गया है।

†**सभापति महोदय** : मैं इस प्रस्ताव को मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कुछ राज्यों के अधिनियमों के अन्तर्गत गन्ने पर उप-कर लगाने और इकट्ठा करने को वैध करने और उत्तर प्रदेश गना उप-कर (वैधकरण) अधिनियम, १९६१ में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मल अंग्रेजी में

†**सभापति महोदय** : कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि खंड २ से ५ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ से ५ विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

खंड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"दिल्ली नगर निगम अधिनियम १९५७ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस विधेयक का उद्देश्य निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन करना है। इसका कारण यह है कि हम अन्य अधिनियम में इस प्रकार की व्यवस्था कर चुके हैं कि द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन किया जाये और उन में से एक अनुसूचित जाति या आदिम जाति के लिए सुरक्षित रहे। दिल्ली नगरपालिका निगम के अधीन कुछ निर्वाचन क्षेत्र द्विसदस्यीय थे और कुछ त्रिसदस्यीय। यह निश्चय किया गया कि ८० पूर्ण रूप से निर्वाचित स्थानों में से १२ स्थान अनुसूचित जातियों के लिये सुरक्षित रखे जायें। इसी उद्देश्य के लिये धारा ५ में कुछ संशोधन करने का निश्चय किया गया है।

इसी अवसर पर यह भी निश्चय किया गया कि अवसर से लाभ उठा कर अधिनियम में कुछ अन्य संशोधन भी किये जायें। मैं इन संशोधनों के संबंध में संक्षेप से कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

उदाहरणार्थ धारा ११३(२) (घ) के संबंध में एक टेक्नीकल कठिनाई पैदा हो गयी। इस धारा में संभरण शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। तथापि इस अधिनियम अधीन हम नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी और मिलेटरी इंजीनियरिंग सर्विस को बिजली

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

'संभरित' करते हैं। तथादि इस अधिनियम के अधीन केवल बिक्री का ही उपबंध है। अतः यह आपत्ति की गयी कि क्या इस संभरण की पूरी कीमत प्राप्त करने का निगम को अधिकार है या नहीं।

इस संबंध में उच्चतम विधि संबंधी सलाह ली गयी। उन्होंने कहा कि वर्तमान अधिनियम में 'संभरण' शब्द भी रख दिया जाये जिससे कि किसी प्रकार का संदेह न रह जाये। जिससे कि संचित संभरण के लिये भी निगम पूरी कीमत का दावा कर सके। इस विधेयक में इसकी व्यवस्था कर दी गयी है।

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर और पुनर्वास अधिनियम के अधीन विस्थापित व्यक्तियों को कुछ भूमि दी गयी। उन्हें सम्मति और उस पर कब्जा भी दिया गया। तथापि उसमें यह उल्लिखित किया गया था कि उसकी कीमत किश्तों में चुकायी जायेगी यद्यपि ऐसी सम्पत्तियां शरणार्थियों के नाम हस्तांतरित की जाती हैं तथापि जिस अंश तक इसकी मल्कीयत सरकार के पास रहती है वह सम्पत्ति कर से मुक्त रहती है। अतः कई विस्थापित व्यक्तियों ने कहा कि वे ऐसी सेवाओं तथा आग बुझाने इत्यादि की सेवाओं के लिये भी कर नहीं देंगे। यह आपत्ति केवल टक्नीकल ही कही जा सकती है। तथापि इसका टक्नीकल लाभ उठाया रूप से वह सम्पत्ति सरकार की है अतः उन्हें उस कर से छट है। इस आपत्ति का सामना करने के लिये धारा ११९ और १२० का संशोधन किया गया है। इसमें कहा गया है कि कि ये कब्जाधारी व्यक्ति निगम की स्थापना या उनके कब्जे की तारिख, जो भी विलम्ब से है, कै दिन से कर देंगे। यह व्यवस्था पूर्णतया न्यायोचित और समीचीन है। तदनुसार उक्त धाराओं में परिवर्तन किया गया है।

दूसरा परिवर्तन विलम्ब को दूर करने के लिये किया गया है। मकान पर कर लगाने के पहिले एक विहित प्रक्रिया पूरी करनी होती है। कर की दर निश्चित की जाती है। इसके आधार पर निर्धारण सूची तयार की जाती है इस पर कर की राशि भी उल्लिखित होती है। इस प्रक्रिया में काफी विलम्ब हो जाता है। अतः इस पर कुछ संशोधन करने का विचार किया गया है।

जब कर के प्रयोजन के लिये मूल्य का निर्धारण हो जाता है तो उसका एक विशेष प्रतिशत, कर के रूप में देना ही पड़ता है। अतः यह निश्चय किया गया है कि इसके सबंध में दुहरा कार्य नहीं किया जाये। वस्तुतः कर के प्रयोजन के लिये जो लागत निर्धारित की गयी उससे ही मकान मालिक को यह ज्ञात हो जायेगा कि उसने कितना कर देना है।

वर्तमान विधेयक के अनुसार राशि तभी वसूल की जा सकती है जब निर्धारित कर सूची तयार कर दी जाये। इस टैकनीकल कठिनाई के कारण कुछ मकान मालिक को उस अवधि के लिये, कोई कर नहीं देना होता है। जहां नोटिस दिया जाता है वहां नोटिस की अवधि से ही कर वसूल हो सकता है। इसकी व्यवस्था कर ली गयी है।

अगला संशोधन गायों के बारे में है। यद्यपि सामान्य मत यह था कि गायों पर किसी प्रकार का कर नहीं लगाने चाहिये। तथापि ऐसा करने से कई स्वास्थ्य सम्बन्धी कठिनाइयों पैदा हो जाती। सिद्धांततः यह स्वीकार कर लिया गया है कि एक परिवार में एक गाय पर कोई कर नहीं लगेगा। तदुपरांत प्रति गाय के लिये केवल ३० रुपये प्रतिवर्ष कर रखा गया है। इस प्रयोजन के लिये धारा १३७ में खंड (घ) जोड़ दिया गया है।

इस अधिनियम के अधीन ऐसी भी अवस्थायें हैं जब कि सम्पत्ति के खाली अथवा अनुत्पादक रहने पर कर वापस करना होता है । इस उपबन्ध को काफी कठोर समझा गया । अतः यह निश्चित किया गया कि उस सम्पत्ति का एक अंश ही कर से मुक्त हो सकता है मकान के सम्बन्ध में यह दो तिहाई है और जमीन के सम्बन्ध में आधा ।

धारा ३४३ के स्थान पर अन्य संशोधन रखा गया है । यह अनधिकृत मकानों को गिराने के सम्बन्ध में है । इसके कई कारण हैं वस्तुतः कभी कभी तो रात भर में ही एक मकान या झोपड़ी इस उद्देश्य से खड़ी कर ली जाती है कि फिर उसे कोई नहीं गिरा सके अतः इसके विरुद्ध कभी कभी बहुत शीघ्रता से कार्यवाही करनी होती है । क्योंकि यदि इसके विषय में तत्काल कार्यवाही नहीं की जायेगी और यह मामला हर बार न्यायालय ले जाना पड़े तो बहुत कठिनाइयां पैदा हो जायेंगी और इससे दिल्ली के विकास में बाधा पैदा हो जायेगी ।

मैं इस सम्बन्ध में दिल्ली नगर निगम द्वारा पारित एक संकल्प की ओर माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । उसमें कहा गया है कि संक्षिप्त कार्यवाही के उपरांत मकान गिराने की शक्तियां प्रदान की जायें । क्योंकि असैनिक न्यायालयों में इन मामलों के जाने से इन मामलों में बहुत विलम्ब हो जाता है । निस्सन्देह अपील के रूप में न्यायालय जाने की छूट दी गई है ।

तथापि सभी मामलों में ऐसा करने की छूट नहीं दी जा सकती है । अतः यह व्यवस्था की गयी है कि पीड़ित व्यक्ति मकान गिराने के आदेश मिलने के १५ दिनों के अन्दर जिला न्यायाधीश के पास इसकी अपील कर सकता है । इस सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण उपबन्ध रखा गया है वह यह है कि यदि कार्यवाही रोको आदेश के लिये आवेदन किया जाये तो न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने के पूर्व आवेदन को विहित प्रतिभूति की राशि जमा करनी होगी ।

जैसा कि मैं ने कहा है अधिकारों की पूरी तरह रक्षा की गई है और वह इस तरह कि शीघ्र से शीघ्र अपील दायर करने की व्यवस्था कर दी गई है । इस में दीवानी मुकदमों की तरह अधिक समय नहीं लगेगा । यह कहा गया है कि जहां संक्षिप्त रूप से परीक्षण के फलस्वरूप गिराने के आदेश दिये जाते हैं, तो परिविदित पक्ष १५ दिन के अन्दर जिला न्यायाधीश के पास जा सकता है और यदि वह रोक आदेश मांगता है तो उसे प्रतिभूति देनी पड़ेगी । इन दो उपबन्धों से अधिकरों की रक्षा हो सकगी । प्रतिभूति संतोषजनक होनी चाहिए । इस प्रयोजन के लिए धारा ३४३ को बिल्कुल नया रूप दिया गया है ।

अन्तिम खंड ४६० है । वर्तमान विधि के अनुसार यह आवश्यक है कि चुनाव याचिकाओं का निपटारा केवल जिला न्यायाधीश द्वारा किया जाये । किन्तु दिल्ली के जिला न्यायाधीश के पास विभिन्न प्रकार का इतना काम होता है कि उसे चनाव याचिका निपटाने के लिए भी अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों की सहायता लेनी पड़ेगी । इस लिए यह आवश्यक समझा गया था कि इस सम्बन्ध में उन्हें शक्तियां प्रत्यायोजित की जायें । ऐसा करने से काम जल्दी निबटाया जा सकेगा ।

ये आठ या नौ मुख्य संशोधन हैं, जिनका मैंने उल्लेख किया, उस संशोधन के अतिरिक्त जो वार्डों या निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन के सम्बन्ध में है । यह काम बहुत महत्वपूर्ण

[श्री दातार]

है, जो हमारे सामने है । चूंकि दिल्ली नगर निगम के चुनाव अगले वर्ष के आरम्भ में होने हैं, इस लिये इस सम्बन्ध में व्यवस्था की गई है ।

वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत दिल्ली निगम सदस्यों की संख्या ८० है, जो चुने जाने हैं। ६ आल्डरमेन हैं। वर्तमान उपबन्धों के अधीन, इन की संख्या बढ़ाई जा सकती है, किन्तु अभी हम यह कार्यवाही नहीं कर सकते, क्योंकि दिल्ली की जनगणना के अधिकृत आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। संख्या १०० तक बढ़ाई जा सकती है । किन्तु न केवल दिल्ली नगर बल्कि विभिन्न वार्डों के बारे में विस्तृत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। निर्वाचन क्षेत्रों को पुनः बनाना पड़ेगा और इसमें बहुत समय लगेगा । इसलिए इस समय वार्डों या सदस्यों की संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती । यह भविष्य में, जब विस्तृत आंकड़े प्राप्त हो जायगे, एक विधेयक द्वारा किया जायेगा ।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

राज्य सभा से संदेश

†**सचिव** : मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य सभा के सचिव से यह सन्देश मिला है कि :

राज्य सभा ने अपनी ४ सितम्बर, १९६१ की बैठक में लोक सभा द्वारा २८ अगस्त, १९६१ को पारित किये गये आयकर विधेयक में निम्न संशोधन किये जायें ।

खंड १३

१. पृष्ठ २३, पंक्ति २४ में "this Act" [यह अधिनियम] शब्दों के पश्चात "any income thereof" [उससे लेने वाली कोई आय"] शब्द रख दिये जायें ।

खंड ८८

२. पृष्ठ ७३, पंक्ति १८ के पश्चात निम्नलिखित शब्द रख दिये जायें :

"(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (5) this section shall apply to donation given for the renovation or repair of any temple, mosque, gurdwara, church or any other place which is notified by the Central Govt. in the official Gazette to be of historic, archaeological or as to be importance.

["(६) उपधारा ५ में किसी बात के रहते हुए भी यह धारा उस मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा गिरजा अथवा किसी उच्च स्थान जिसे केन्द्रीय सरकार ने सरकारी गजट में अधिसूचना निकाल कर ऐतिहासिक पुरातत्वीय अथवा कलात्मक महत्व का घोषित किया हो, उसके जीर्णोद्धार अथवा मरम्मत के लिये दिये गये दान पर लागू होगी।)"]

---

†मूल अंग्रेजी में

खंड २८८

३. पृष्ठ १ ७ में

(१) पंक्ति ३१ के पश्चात निम्नलिखित शब्द रख दिये जायें :

"(v) any person who has passed any accountancy examination recognised in this behalf by the Board; or

(vi) any person who has acquired such educational qualifications as the Board may prescribe for this purpose; or"

["(५) ऐसा कोई व्यक्ति जिसने बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त लेखापालन की कोई परीक्षा पास की हो ; अथवा

(६) ऐसा व्यक्ति जिसके पास बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिए विहित शिक्षा ; अर्हवास हों; अथवा

(२) पंक्ति ३२, कोष्टकों और "(v)" (अक्षर "५") के स्थान पर कोष्टकों और अक्षर "(vi)" ("७") रख दिया जाये ।]

• आयकर विधेयक, १९६१

राज्य-सभा से संशोधनों सहित लौटाए गए रूप में

†**सचिव :** श्रीमान, मैं आयकर विधेयक १९६१ को, जिसे राज्य-सभा न संशोधनों सहित लौटा दिया है सभा पटल पर रखता हूं ।

---

*लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा

†**सभापति महोदय :** अब सदन आधे घंटे की चर्चा आरम्भ करेगा ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसीरहाट) : मैं तीसरी योजना में महिलाओं की शिक्षा के लिये आवंटित राशियों पर चर्चा शुरू करना चाहती हूं ।

माननीय मंत्री का यह वक्तव्य कि तीसरी योजना में सामान्य शिक्षा के लिये रखे गये ४०८ करोड़ रुपये में से १७५ करोड़ रुपये लड़िकियों की शिक्षा के लिये रखे गये हैं, भ्रमोत्पादक है ।

हम लड़कियां कि शिक्षा के विषय में बहुत पिछड़े हुए हैं । यदि हम विभिन्न राज्यों के आंकड़े देखें तो हमें पता चलेगा कि प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की तुलना में बहुत कम है । लड़कियों की शिक्षा के मामले में रूढ़िवाद कितनी बड़ी बाधा है । सरकार ने इस बात को नहीं समझा है और वह लोगों को लड़कियों को स्कूलों में भेजने के लिये प्रोत्साहन भी नहीं दे सकती है । तीसरी योजना में इस क्षेत्र में विकास की गति बहुत अधिक होनी चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

*आधे घंटे की चर्चा

योजना आयोग ने जिस ढंग से इस समस्या के बारे में कार्यवाही की है, उस से हम ६१ प्रतिशत लड़कियों को शिक्षा देने का लक्ष्य भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे ।

लड़कियों की शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति ने भी महिलाओं की शिक्षा के लिये विशेष कार्यक्रमों की आवश्यकता को स्पष्ट किया है, उस ने इस प्रयोजन के लिये विशेष निधियों की व्यवस्था करने के लिये कहा है ।

लड़कियों की शिक्षा के विशेष कार्यक्रमों के लिये हमें सामान्य शिक्षा सम्बन्धी आय-व्ययक का कम से कम १० प्रतिशत हिस्सा रखना चाहिये और उस में से केन्द्र द्वारा चलाई गई योजनाओं के लिये ठोस आवंटन किये जाने चाहियें । यदि आवश्यक हो, तो राज्यों द्वारा समान अनुदान दिये जाने की शर्त हटा दी जाये ।

अन्य योजनाओं के अन्तर्गत अधिका आवश्यक कार्यों के होने के कारण विभिन्न राज्य केन्द्र द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं के अधीन प्राप्य धन को खर्च नहीं कर पाते । राज्यों के ५ करोड़ रुपयों के आवंटन में से केवल १ करोड़ रुपया खर्च किया गया है ।

अतः राज्यों ने इच्छा प्रकट की है कि हम उन्हें उन योजनाओं के लिये सहायता दें । धन के उन पुनर्विनियोग की शक्तियों द्वारा वे उस धन को अन्य प्रयोजनों के लिये व्यय करते हैं ।

केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड ने भी यह सिफारिश की थी कि महिला शिक्षा के विशेष कार्यक्रम को केन्द्र द्वारा और भी की गई योजना के रूप में बढ़ावा दिया जाये तथा उस के लिए धन का आवंटन किया जाये । उन्हों ने यह भी सिफारिश की है कि प्रारम्भिक तथा माध्यमिक स्कूलों में लड़कियों के लिये होस्टल बनाने के लिये और अध्यापिकाओं के लिये क्वार्टर बनाने के लिये केन्द्रीय योजनाओं में अधिक धन दिया जाये ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** (नवद्वीप) : क्या सरकार विशेष कार्यक्रमों को केन्द्र द्वारा शुरू किये जाने के सुझाव पर विचार करेगी ? केन्द्र कम से कम यह तो कर सकता है कि जहां कहीं आवश्यक हो, लड़कियों के लिये अलग स्कूल बनाये ?

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** (खम्मम) : क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि आन्ध्र प्रदेश में महिला अध्यापिकायें नौकरियों को क्यों स्वीकार नहीं करतीं ? उन्हें क्या प्रोत्साहन दिया जा रहा है ?

†**श्रीमती मंजुला देवी** (ग्वालपाड़ा) : क्या महिलाओं के लिये दिया जाने वाला रुपया केन्द्रीय आवंटन होगा ?

श्रीमती लक्ष्मी बाई (विकाराबाद) : सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने ऐसी बहुत सी स्कीम्स स्टेटों में चला रखी हैं । गर्ल्स को एक दम से एजुकेट करने के लिये भी स्कीम्स चल रही थीं । वहां पर यह होता था कि जो लड़कियां स्कूल्स मे जातीं थीं और जिन की अटेन्डेंट अच्छी होती थीं उन को स्कालरशिप्स मिलते थे । मिडिल स्कूल हाई स्कूल ज सब जगह ऐसा होता था । यह चीज केवल साल दो साल ही चली । क्या मिनिस्टर साहब को इस के बारे में मालूम है ?

वैसे श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने गर्ल्स एजुकेशन के बारे में बहुत कुछ कह दिया है । लेकिन जब तक आप गर्ल्स एजकेशन के बारे काफी पैसा नहीं देते तब तक आप की सारी स्कीम्स बेकार होती

†मूल अंग्रेजी में

जायेंगी। इस की तरफ आप को तवज्जह देनी चाहिये कि जो स्कालरशिस लड़कियों की अच्छी अटेंडेंस आदि के लिये रक्खे गये थे और दूसरे जो स्पेशली गरीब लड़कियों को कपड़े आदि के वास्ते धन मिलता था, वह सब बन्द हो गया है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या इस तरफ तवज्जह दी जायेगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : सब से पहले मैं यह मानता हूं कि लड़कियों की शिक्षा की प्रगति और लड़कों की शिक्षा की प्रगति में बहुत अन्तर है। इसी लिये शिक्षा मंत्रालय ने राज्य सरकारों पर ज़ोर दिया है कि वे लड़कियों की शिक्षा को अधिकतम प्राथमिकता दें। तीसरी योजना में ऐसा ही किया गया है।

योजना आयोग की यह राय हैं कि इस मामले में राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकारों के उत्तरदायित्व की स्पष्ट रूप से व्याख्या की जाये उस ने यह कहा है और ठीक कहा है कि लड़कियों की शिक्षा के लिये आवंटन राज्य क्षेत्र में से हों क्योंकि इस मामले में राज्य सरकारें कार्यवाही कर रही हैं। तथापि रुपये की व्यवस्था योजना आयोग को करनी पड़ती है। चाहे वह केन्द्रीय क्षेत्र में हो या राज्य क्षेत्र में ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने कहा है कि विशेष योजनाओं के लिये आवंटन केन्द्रीय क्षेत्र में होने चाहियें। यह सत्य है। किन्तु बाद में योजना आयोग ने यह निर्णय किया कि यह राज्य क्षेत्र में होना अधिक वांछनीय होगा। इस से योजनाओं के क्रियान्वय में कोई फर्क नही पड़ेगा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : प्रश्न यह है कि क्या राज्यों के पास पुनर्विनियोग की शक्ति होगी।

†**डा० का० ला०श्रीमाली** : केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व अनुसन्धान, सर्वेक्षण और जांच करने का है, जैसा कि योजना आयोग ने कहा है।

जहां तक वास्तविक क्रियान्वय का सवाल है, यद्यपि निधियां केन्द्रीय क्षेत्र में रखी जायें, ये राज्य क्षेत्र में चली जायेंगी। यह केवल आवंटन का प्रश्न है। महिला शिक्षा सम्बन्धी विशेष योजनाओं के लिये ११ करोड़ रुपये की निधियां राज्य क्षेत्र में रखी गई हैं।

मैं ने सदन को भ्रम में डालने का कोई यत्न नहीं किया। केवल तथ्य उस के सामने रखे हैं।

योजना के वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार, तीसरी योजना में स्कूल में दाखिल किये जाने वाले २०३.९ अतिरिक्त बच्चों में से १०३.३ लाख, अर्थात् आधी से अधिक लड़कियां होगी : दाखिला इस प्रकार रहेगा।

(आंकड़े लाखों में)

स्तर	लड़के	लड़कियां
प्रारम्भिक	६७	८६
मिडल	२१.८	१२.८
माध्यमिक	११.८	४.५
योग	१००.६	१०३.३

इन आंकड़ों से मालूम होगा कि सरकार ने लड़कियों की शिक्षा को अधिकतम प्राथमिकता दी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

इन लक्ष्यों की ओर जब भी किसी का ध्यान जायेगा उसे अनुभव होगा कि वास्तव में ही सरकार शिक्षा को सब से अधिक प्राथमिकता दे रही है। मुझ से यह पूछा गया है कि हम किस आधार पर आवंटन कर रहे हैं हमें एक बात समझ लेनी चाहिये कि कुछ तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर ही अनुमान लगाया जा सकता है। योजना में भी ऐसा ही किया गया है। शिक्षा के लिये तीसरी योजना के अन्तर्गत कुल चार सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस में से १७५ करोड़ रुपया राज्य की योजनाओं के के अन्तर्गत लड़कियों की शिक्षा पर व्यय किया जायेगा। इस १७५ करोड़ में से भी ११४ करोड़ प्राइमरी और मिडल स्तर की शिक्षा देने पर व्यय किया जायेगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि तीसरी योजना के अन्तर्गत ४३ प्रतिशत धन लड़कियों की शिक्षा पर व्यय होगा। इस के अतिरिक्त ११ करोड़ रुपये की विशेष योजनायें हैं। इस दिशा में विभिन्न प्रकार की सुविधायें दे कर लोगों को इस ओर आकृष्ट किया जा रहा है। महिला अध्यापिकाओं के लिये क्वार्टर बनाये जा रहे हैं। अध्यापिकाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिये विशेष भत्ते की व्यवस्था की जा रही है। कई माताओं को सहशिक्षा विद्यालयों में अध्यापन कार्य पर लगाया जा रहा है। सरल ढंग से प्रशिक्षण दे कर प्रौढ़ महिलाओं को अध्यापिकाओं के पद पर नियुक्त किया जा रहा है।

यह सत्य है कि उतनी प्रगति नहीं हो सकती जितनी कि हम चाहते थे। इस मामले में हम सब की चिन्ता एक ही जैसी है। परन्तु इस दिशा में हमारी सब से बड़ी कठिनाई हमारी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां हैं : श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने ठीक ही कहा है कि इस दिशा में आर्थिक कठिनाइयों के अतिरिक्त भी कुछ कठिनाइयां हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में माता पिता लड़कियों और औरतों की शिक्षा को महत्व नहीं ही देते। वे समझते हैं केवल लड़कों को ही शिक्षा दी जानी चाहिये ताकि वह आगे चल कर परिवार के लिये कुछ कमाई कर सके। लड़कियों के बारे में उनका दृष्टिकोण यह नहीं है। इस मामले में योजना बनाते समय राज्य सरकारों से काफी विस्तार से चर्चा की थी। मैं अब भी अपनी इस बात को पुनः कहता हूं कि हमारा लक्ष्य यही है कि तीसरी योजना के अन्त तक सारे देश में प्राइमरी शिक्षा अनिवार्य कर दी जाये। परन्तु प्रश्न यह कि इस दिशा में बनया हुआ कानून प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित हो सकेगा। क्योंकि इस दिशा में डंडे से काम नहीं हो सकेगा हमें इस दिशा में लोगों में चेतना पैदा करनी होगी। लोगों को लड़कियों को शिक्षा के सम्बन्ध में पूर्ण रूप से समझाना होगा। जब तक ऐसा नहीं किया जता लड़कियों का शिक्षा के कार्यक्रम उतने प्रभावशाली ढंग से सफल नहीं होंगे जितने की होने चाहियें।

इस लिये मैं कहता हूं कि आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक मां बाप यह समझे कि लड़कियों को भी शिक्षा के लिये भेजना उतना ही आवश्यक है जितना कि लड़कों को। इस मामले में केवल सरकार की सहायता से ही काम नहीं चल सकता। लोगों में भी देश भर में इसके लिये जागृति पैदा करने का आन्दोलन करना बड़ा आवश्यक है। यह सम्भव नहीं कि एक ही दिन में सरकार द्वारा कोई कानून करके पास अथवा आदेश दे कर एक ही दिन में लड़कियों की शिक्षा देश भर में प्रचलित नहीं की जा सकती। यदि कोई ऐसा समझता है तो वह गलती पर है। परन्तु फिर भी इन समस्त परिस्थितियों के बावजूद हम पूरी शक्ति से इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। यदि हमारी प्रगति सन्तोषजनक न हुई तो आवश्यक प्रयत्नों द्वारा अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने का पूरा प्रयास किया जायेगा। इस मामले में हमने योजना को बड़ी च लचीली अवस्था में रखा है। हम प्रतिवष इस शिक्षा में प्रगति पर सविस्तार विचार करेंगे। यदि हमें महसूस हुआ कि प्रगति सन्तोष-जनक नहीं है तो योजना का पुनरीक्षण कर योजना में अपेक्षित तबदीली कर दी जायेगी। सदन को भी प्रतिवर्ष इस विषय पर सविस्तार चर्चा करने का अवसर बराबर मिलता रहेगा।

यदि देश के सभी लड़के और लड़कियां शिक्षा के लिये आगे नहीं आते तो इसका यह कारण नहीं है कि इसके लिये पैसे की कोई कमी है। प्रथम बार सरकार ने यह दृढ़ निश्चय किया है कि ६ से ११ वर्ष का प्रत्येक बच्चा शिक्षा प्राप्त करने के लिये स्कूल में जायेगा। इस दिशा में प्रत्येक प्रकार की आर्थिक कठिनाई का हल किया जायेगा, समुचित आर्थिक व्यवस्था की जायेगी। यदि राज्य सरकारों ने इस दिशा में पर्याप्त प्रगति दिखाई तो उन्हें अपेक्षित वित्तीय साधन उपलब्ध होते रहेंगे। वैसे भी इस बात की प्रतीक्षा किये बिना कि किसी राज्य में सन्तोषजनक प्रगति दिखाई दी है या नहीं, उन्हें इस उद्देश्य के लिये धन दिया ही जायेगा। उत्तर प्रदेश में शिक्षा की प्रगति सब से कम है। २३ से लेकर ४० प्रतिशत बच्चे स्कूलों में पढ़ने के लिये अपना नाम दर्ज करवाते हैं। इसके मुकाबले में केरल में प्रगति काफी सन्तोषजनक है। वहां तो यह स्तर लगभग निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है। इस दिशा में जो राज्य पीछे हैं उन राज्यों में इस उद्देश्य के लिये भगीरथ प्रयत्न किये जायेंगे। लड़कियों की शिक्षा के सम्बन्ध में जो पिछड़ी धारणायें हैं, उन्हें जनमत द्वारा दूर करने का पूरा प्रयत्न किया जायेगा।

इसके लिये जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं, उसमें कोई जादूगरी दिखाने का प्रयत्न नहीं किया गया। जो राशी केन्द्रीय क्षेत्र में निर्धारित की गई है लगभग उतनी ही राशि विभिन्न राज्यों के क्षेत्र में भी रखी गई है। यह ठीक है परिस्थितियों के कारण कुछ उच्च निर्धारित लक्ष्यों को नीचे करना पड़ा है। योजना में भी कुछ छटनी करनी पड़ी। हम योजना आयोग पर जोर दे रहे हैं, और भी सभी दिशाओं से उन पर दबाव डाला जा रहा है कि वह इस कार्य के लिये अधिक से अधिक धन की व्यवस्था करे। मेरा विचार है कि हम इस दिशा में काफी सीमा तक सफल रहे हैं। अब मैं बड़े सन्तोष के साथ कह सकता हूं कि देश की शिक्षा के मार्ग में कोई भी बाधा प्रस्तुत नहीं होने दी जायेगी। और इस दिशा की आर्थिक कठिनाइयों को सन्तोषजनक ढंग से हल करने का प्रयत्न किया जायेगा। यह ठीक है कि हमें व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। यदि हमारे पास अधिक धन हुआ तो हम अध्यापिकाओं को अधिक वेतन देंगे, स्कूलों की इमारतों को सुन्दर ढंग से बनायेंगे। और अपेक्षित सामान की ठीक ढंग से व्यवस्था की जायेगी। इस सब के होते हुए मैं यही कहना चाहता हूं कि अब लड़कियों की शिक्षा की प्रगति वित्तीय कारणों से नहीं रुकेगी।

योजना आयोग, शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार सभी शिक्षा के प्रश्न को सब से अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं। अतः मैं आश्वासन देता हूं कि इस दिशा में किसी को चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं। श्रीमती देशमुख के त्याग पत्र से लोगों के दिलों में इस दिशा में कुछ भ्रांति पैदा हुई थी कि सरकार इस समस्या के प्रति उदासीन है। परन्तु मैंने इस अवसर का लाभ उठा कर स्थिति काफी स्पष्ट कर दी है और मैं एक बार फिर यह कह देना चाहता हूं कि लड़कियों की शिक्षा का मामला पैसे के कारणों से नहीं रुकेगा। परन्तु हमें समस्त देश में इसके लिये जनमत निर्माण करना होगा। और उसके लिये महिला सदस्यों का सहयोग तो अपेक्षित है ही अन्य माननीय सदस्यों को भी अपना पूरा सहयोग देना होगा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : जैसा कि मंत्री महोदय आश्वासन दे रहे हैं कि केन्द्रीय सहायता प्राप्त होती रहेगी, तो क्या हम समझ लें कि राज्य की तत्सम्बन्धी योजनाओं के लिये धन उपलब्ध होता रहेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जहां तक केन्द्रीय सहायता का सम्बन्ध है योजना आयोग ने केन्द्रीय क्षेत्र का ११ करोड़ रुपया राज्यों के क्षेत्र में देने का निर्णय कर लिया है। परन्तु अब उसके आवंटन का प्रश्न बाकी रहता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** यदि यह ११ करोड़ रुपया केन्द्र द्वारा राज्यों को दे दिया गया तो केन्द्र के पास कुछ नहीं बचेगा। इसके पश्चात् राज्यों को कुछ और सहायता देने के लिये कोई गुंजाइश नहीं होगी ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** इस बात की मैं गारंटी करता हूं। राज्यों को यह ११ करोड़ रुपया खर्च करना चाहिये, ऐसा न हो कि यह धन बिना प्रयोग के ही पड़ा रहे। मेरा विचार है कि मेरा ऐसा कहने से माननीय सदस्या की सन्तुष्टि हो जायेगी ।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, ६ सितम्बर, १९६१/१५ भाद्र, १८८३ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[मंगलवार, ५ सितम्बर, १९६१]

१४ भाद्र, १८८३ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	. . . . .	३४३५–६१
तारांकित प्रश्न संख्या		
१२१०	जहाजों के डीजल इंजन	३४३५–३६
१२११	पिछड़े क्षेत्र . .	३४३६–३८
१२१२	पटसन उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड .	३४३८–३९
१२१३	मशीनों का निर्माण .	३४३९–४०
१२१४	भारी मशीनी औजार कारखाना, रांची . .	३४४१–४२
१२१६	केन्द्रीय रेशमकीट पालन संस्था, बरहामपुर .	३४४२–४५
१२१७	भारतीय आप्रवासियों के आगमन के बारे में ब्रिटेन की जांच	३४४५–४६
१२२०	कुवेत में भारतीय . .	३४४७
१२२१	असम नागालैंड सीमा विवाद	३४४८
१२२२	जल संभरण योजनाओं के लिये नल	३४४९–५०
१२२३	कलकत्ते में भारत सरकार मुद्रणालय	३४५०–५१
१२२५	भूटान में डाक पद्धति	३४५१–५२
१२२६	पौलैंड से कारतूसों का आयात .	३४५२–५६
१२२७	नकली रूई के सूत की कीमतें . . .	३४५६–५७
१२२८	पाकिस्तानियों द्वारा आक्रमण . .	३४५७–५९
१२२९	चीन-नेपाल सीमा आयोग .	३४५९
१२३०	नारियल जटा की वस्तुओं का निर्यात .	३४६०
१२३१	उर्वरक कारखाने	३४६०–६१
प्रश्नों के लिखित उत्तर	. . . .	३४६१–३५१८
तारांकित प्रश्न संख्या		
१२१५	जापान तथा अन्य देशों को कच्चे लोहे का निर्यात	३४६१–६२
१२१८	औद्योगिक श्रमिकों की भारत यात्रा . . .	३४६२

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः		
तारांकित प्रश्न संख्या		
१२१६	जापान को बेचे गये नमक की कीमत	३४६२–६३
१२२४	नंगल में औद्योगिक बस्ती	३४६३
१२३२	बम्बई में उर्वरक कारखाना . .	३४६४
१२३३	दूसरा मशीनी औजार कारखाना, बंगलौर	३४६४
१२३४	भारतीय शीशे की मांग . . .	३४६४–६५
१२३५	सरकारी निगमों द्वारा राजनैतिक दलों को अंशदान .	३४६५
१२३६	बकाया किराया . .	३४६५–६६
१२३७	विस्थापित व्यक्ति द्वारा आत्महत्या	३४६६
१२३८	कर्मचारी राज्य सीमा योजना .	३४६६
१२३९	अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय का अनुसमर्थन .	३४६६–६७
१२४०	टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी	३४६७
अतारांकित प्रश्न संख्या		
३३४४	कनाट सकस, नई दिल्ली में केन्द्रीय पाक . .	३४६७
३३४५	ट्राम्बे में उर्वरक संयंत्र .	३४६७–६८
३३४६	औद्योगिक सोडियम सल्फेट संयंत्र .	३४६८
३३४७	इंजीनियरी समान निर्यात संवर्द्धन परिषद्	३४६८–६९
३३४८	निर्यात संवर्धन .	३४६९
३३४९	छोटे पैमाने के उद्योग . .	३४६९
३३५०	सिद्धपुर में श्रीसया जी जुबली काटन एण्ड जूट मिल्स .	३४७०
३३५१	औद्योगिक सहकारी संस्थाएं . .	३४७०
३३५२	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में श्रम संबंधी समस्याएं .	३४७०
३३५३	नागपुर में कुटीर उद्योग का एम्पोरियम . .	३४७०–७१
३३५४	औद्योगिक बस्ती . . .	३४७१
३३५५	प्रीमियर ओटोमोबाइल्स, बम्बई .	३४७१
३३५६	प्रसाधन सामग्री का उत्पादन .	३४७१–७२
३३५७	मैसूर में रेशम उद्योग . . .	३४७२
३३५८	आंध्र प्रदेश में उद्योगों के लिये लाइसेंस . .	३४७२
३३५९	आंध्र प्रदेश में गन्दी बस्तियों का हटाया जाना ,	३४७२

विशय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

३३६०	हिमाचल प्रदेश में चमड़ा उद्योग	३४७३
३३६१	नई दिल्ली में औद्योगिक प्रदर्शनी . . .	३४७३–७४
३३६२	कोयला खानों के कर्मचारियों के लिये मकान	३४७४
३३६३	उत्तर प्रदेश में गन्दी बस्तियों का हटाया जाना	३४७५
३३६४	नंगल उर्वरक कारखाना . .	३४७५
३३६५	सहायक अभ्रक श्रम कल्याण अधिकारी	३४७५–७६
३३६६	श्रम निरीक्षकों (केन्द्रीय) के स्थायी पद	३४७६
३३६७	अन्नपूर्णा के लिये भारतीय अभियान दल	३४७६–७७
३३६८	दिल्ली में अनधिकारवासी .	३४७७–७८
३३६९	ओरियेन्ट पेपर मिल्स लि०, कलकत्ता	३४७८
३३७०	लंका में भारतीयों पर कर . .	३४७८–७९
३३७१	रानी एलिजाबेथ की भारत यात्रा की रंगीन फिल्म .	३४७९
३३७२	दिल्ली का जनता होटल .	३४७९
३३७३	ज्योफोन	३४७९–८०
३३७४	पश्चिमी जर्मनी को निर्यात	३४८०
३३७५	केबिल फैक्टरी	३४८०
३३७६	गोआनियों और पुर्तगाली सैनिकों के बीच झगड़ा . .	३४८०–८१
३३७७	कांगो में भारतीय सैनिक . . .	३४८१
३३७८	एरणाकुलम् में इस्पात के तार के रस्से बनाने का कारखाना .	३४८१
३३७९	लकड़ी काटने का आरा	३४८२
३३८०	बिहार में अम्बर चर्खा .	३४८२
३३८१	कृषि मजदूर .	३४८२–८३
३३८२	नागा विद्रोही	३४८३
३३८३	भूतपूर्व शासकों के पास विस्फोटक पदार्थों का स्टाक . .	३४८३–८४
३३८४	हरितनील मणि का निर्यात .	३४८४
३३८५	प्रशुल्क आयोग . . .	३४८४
३३८६	वोल्टा बांध के लिये घाना को सहायता	३४८४–८५
३३८७	कपड़े का निर्यात . . .	३४८५
३३८८	पुनर्वास मंत्रालय के गजटेड अफसरों की छंटनी .	३४८५

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर---क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
३३८९	हस्तशिल्पियों तथा निरीक्षकों के लिये केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्था, बम्बई	३४८५–७६
३३९०	आइसोटोप्स का निर्यात	३४८६
३३९१	मोनाजाइट निक्षेप	३४८६
३३९२	जनता होटल, दिल्ली के लिये भूमि	३४८६–८७
३३९३	तम्बाकू का आयात	३४८७
३३९४	हथकरघा उद्योग	३४८७
३३९५	दिल्ली में पंजीबद्ध प्रशिक्षण मजदूर	३४८७–८८
३३९६	औद्योगिक प्रबंध सम्बन्धी उत्पादकर्ता दल	३४८८
३३९७	डीजल दुग्धनाशक पदार्थ	३४८९
३३९८	बर्मा के साथ व्यापार	३४८९
३३९९	ब्रिटेन से श्रमिकों के बारे में जानकारी	३४८९–९०
३४००	कल्याण प्रशिक्षण संस्था, भूली	३४९०
३४०१	अमरीका से रुई का आयात	३४९०–९१
३४०२	केन्द्रीय श्रमिक बोर्ड	३४९१–९२
३४०३	नागा विद्रोहियों द्वारा आक्रमण किये गये पदाधिकारियों की सहायता	३४९२
३४०४	हिन्दी में प्रकाशित पत्रिकायें	३४९२
३४०५	केन्द्रीय मूल्यांकन और कार्यान्विति प्रभाग	३४९२–९३
३४०६	कोयला खान उद्योग सम्बन्धी उत्पादकता दल	३४९३
३४०७	ट्रिनिडाड भेजे जाने वाले भारतीय विशेषज्ञ	३४९३
३४०८	विद्रोही नागाओं द्वारा अपहरण	३४९४
३४०९	श्री लंका में भारतीय फिल्मों पर प्रतिबन्ध	३४९४
३४१०	लेवल जम्पिंग	३४९४–९५
३४११	खादी उद्योग	३४९५
३४१२	खलासियों की भर्ती	३४९५–९६
३४१३	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य भारित कर्मचारी	३४९६
३४१४	जम्मू में बम विस्फोट	३४९६
३४१५	उड़ीसा में भारत सेवक समाज	३४९६–९७
३४१६	विदेशी सरकारों को मान्यता देना	३९९७
३४१७	छोटे पैमाने के उद्योग	३४९८

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
३४१८	नागालैंड अन्तरिम निकाय	३४९८
३४१९	सड़कों की मरम्मत आदि का काम सिक्किम सरकार को सौंपना	३४९८
३४२०	अनुशासन संहिता	३४९९
३४२१	नई दिल्ली के किदवई नगर में समाज सदन	३४९९
३४२२	राजनैतिक दलों के सम्मेलन संबंधी फिल्म	३५००
३४२३	भूटान में डाक व्यवस्था	३५००
३४२४	पहाड़गंज में सम्पत्ति की नीलामी	३५००–०१
३४२५	मनीपुर में खादी तथा ग्रामोद्योग कार्यक्रम	३५०१
३४२६	नेताजी की जीवनी	३५०२
३४२७	भूटान में सड़कें	३५०२
३४२८	मनीपुर का सर्वेक्षण	३५०२–०३
३४२९	सरकार द्वारा उड़ीसा में चलाई गई अग्रिम परियोजना कम्पनियों के लिये लेखा परीक्षक	३५०३
३४३०	भारतीय सहायता मिशन, नेपाल के कर्मचारी	३५०३–०४
३४३१	मद्रास के बुनकर	३५०४
३४३२	तीसरी योजना में गन्दी बस्तियों का हटाया जाना	३५०४–०५
३४३३	चाय का निर्यात	३५०५
३४३४	कपड़ा मिलें	३५०५–०६
३४३५	दिल्ली और नई दिल्ली में भूमिगत पानी	३५०६–०७
३४३६	आन्ध्र प्रदेश में औद्योगिक यूनिट	३५०७
३४३७	यूरोपीय साझा बाजार	३५०७
३४३८	२४ परगने के हेरोभंगा बस्ती में माध्यमिक स्कूल	३५०७–०८
३४३९	स्टालों में व्यापार धन्धा करने वाले विस्थापित व्यक्ति	३५०८
३४४०	दिल्ली की गीता कालोनी में नागरिक सुविधाओं पर व्यय	३५०८–०९
३४४१	जम्मू तथा काश्मीर राज्य के विस्थापित परिवारों के लिये दिल्ली में बस्ती	३५०९
३४४२	भारतीय चाय की किस्म में गिरावट	३५०९
३४४३	जेनेवा में वस्त्रोद्योग सम्बन्धी सम्मेलन	३५१०
३४४४	हैवी इलैक्ट्रिकल्ज़ लिमिटेड, भोपाल	३५१०
३४४५	मैसूर से कच्चे लोह का निर्यात	३५१०–११

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

३४४६ पंजाबी आदि भाषाओं में पढ़ाने वाले स्कूलों के लिये अनुदान बन्द करने की मलाया सरकार की अधिसूचना ३५११

३४४७ बंगलौर में गन्दी बस्तियां हटाना . ३५११

३४४८ चीनी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू करना ३५१२

३४४९ विस्थापित परिवारों को हटाना ३५१२–१३

३४५० मुल्तानी ढांढा, पहाड़गंज, नई दिल्ली में सम्पत्ति की नीलामी . ३५१३

३४५१ आकाशवाणी . . ३५१३–१४

३४५२ उर्वरक के कारखाने . . . ३५१४

३४५३ सिलाई की मशीने और पंखे . ३५१४

३४५४ मीटर फैक्टरी ३५१४

३४५५ नई दिल्ली में फिरोजशाह रोड के बंगलों में की गई मरम्मत ३५१५

३४५६ नागा विद्रोही ३५१५

३४५७ संयुक्त राज्य अमेरिका को चाय का निर्यात ३५१६

३४५८ दस्तकारी उद्योग . . . ३५१६

३४५९ दादरा और नगर हवेली का विकास ३५१६–१७

३४६० सिलाई की मशीने ३५१७

३४६१ काशीपुर (उत्तर प्रदेश) में कागज मिल . ३५१७

३४६२ औद्योगिक विवाद अधिनियम . . . ३५१७–१८

३४६३ आकाशवाणी के समाचार वाचक (न्यूज़ रीडर्स) ३५१८

स्थगन प्रस्ताव ३५१८–२०

अध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों को जिनकी सूचना प्रत्येक के सामने बताये गये सदस्यों ने दी थी, पेश करने की अनुमति नहीं दी :—

(२)	मोसाबाडी ताम्बे की खानों का बन्द किया जाना	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
(२)	उत्तर सिक्किम में तीस्ता नदी पर रस्से के पुल का टूट जाना जिसके परिणाम स्वरूप कई व्यक्तियों की मृत्यु हुई जिन में चार भारतीय सेनाधिकारी भी थे।	सर्व श्री स० मो० बनर्जी, आसर, और ब्रजराज सिंह

विषय पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . ३५२०–२१

श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा ने जम्मू और काश्मीर राज्य में बसाये गये विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास प्रतिकर दावों के बहुत अधिक संख्या में अस्वीकार किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक -कार्य मंत्री का ध्यान दिलाया।

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक -कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया और एक विस्तृत विवरण सभा पटल पर भी रखा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३५२१–२२

निम्नलिखित पत्र टेबल पर रखे गये :—

(१) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, १९५६ की धारा २६ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २६ अगस्त, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०५३ में प्रकाशित खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति।

(२) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम, १९४८ की धारा ३६ के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम की वर्ष १९६०–६१ का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) खान अधिनियम, १९५२ की धारा ५९ की उप-धारा (७) के अन्तर्गत दिनांक ५ अगस्त, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०१४ में प्रकाशित कोयला खान (संशोधन) विनियम, १९६१।

राज्य सभा से सन्देश ३५२२

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना दी :—

(१) राज्य सभा अपनी ४ सितम्बर, १९६१ की बैठक में लोक-सभा द्वारा ३१ अगस्त, १९६१ को पास किये गये समाचार पत्र (मूल्य और पृष्ठ) जारी रखना विधेयक, १९६१ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।

(२) राज्य सभा ने आयकर विधेयक, १९६१ में कुछ संशोधनों की सिफारिश की।

अनुपस्थिति की अनुमति ३५२२

बारह सदस्यों की सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दी गई।

धार्मिक न्यास विधेयक — विषय — पृष्ठ

विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति में रिक्ति की पूर्ति के लिये सदस्य की नियुक्त ३५२३

श्री राधेलाल व्यास ने प्रस्ताव किया कि श्री भोली सरदार की मृत्यु के कारण, उन के स्थान पर धार्मिक न्यास विधेयक, १९६०, संबंधी संयुक्त समिति में श्री च० ला० चौधरी को नियुक्त किया जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति में सदस्य की नियुक्ति के बारे में राज्य सभा से सिफारिश ३५२४

श्री राधे लाल व्यास ने अपने प्रस्ताव में राज्य सभा से यह सिफारिश की कि श्री हरिहर पटेल के त्याग पत्र देने के कारण हुई रिक्ति में उन के स्थान पर धार्मिक न्यास विधेयक, १९६०, संबंधी संयुक्त समिति में राज्य सभा एक सदस्य नियुक्ति करे। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित–

(१) भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक पर प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेत्तर चर्चा जारी रही। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंडवार चर्चा के बाद विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया। ३५२८—३७

(२) वित्त उप मंत्री (श्री ब० रा० भगत) ने प्रस्ताव किया कि गन्ना उप-कर (वैधकरण) विधेयक पर विचार किया जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंडवार चर्चा के बाद विधेयक पारित किया गया। ३५३७—५३

विधेयक विचाराधीन . . . . . ३५५३—५६

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) ने प्रस्ताव किया कि दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाये। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

राज्य सभा द्वारा संशोधित रूप में विधेयक सभा पटल पर रखा गया ३५५७

सचिव ने आय-कर विधेयक, १९६१, को राज्य सभा द्वारा लौटाये गये रूप में उस सभा द्वारा सिफारिश किये गये संशोधनों सहित सभा पटल पर रखा।

आधे घंटे की चर्चा . . . . . ३५६७—६२

श्रीमती रेणुचक्रवर्ती ने लड़कियों स्त्रियों की शिक्षा के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ४३७ के १४ अगस्त, १९६१ को दिये गये उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घंटे की चर्चा उठाई . . ३५५७—५९

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) ने वाद विवाद का उत्तर दिया। ३५५९—६२

बुधवार, ६ सितम्बर, १९६१।१५ भाद्र, १८८३ (शक) के लिये कार्यावलि

दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक पर अग्रेत्तर चर्चा और उसे पारित करना तथा खनिज रियायत नियम, १९६०, में रूप भेद के बारे में प्रस्ताव पर चर्चा।

GMGIPND—LS III—(Ai) LSD—14-10-61—125